खण्ड-229, अंक-8
मंगलवार, 11 वैशाख, शक संवत् 1884
(1 मई, 1962 ई0)

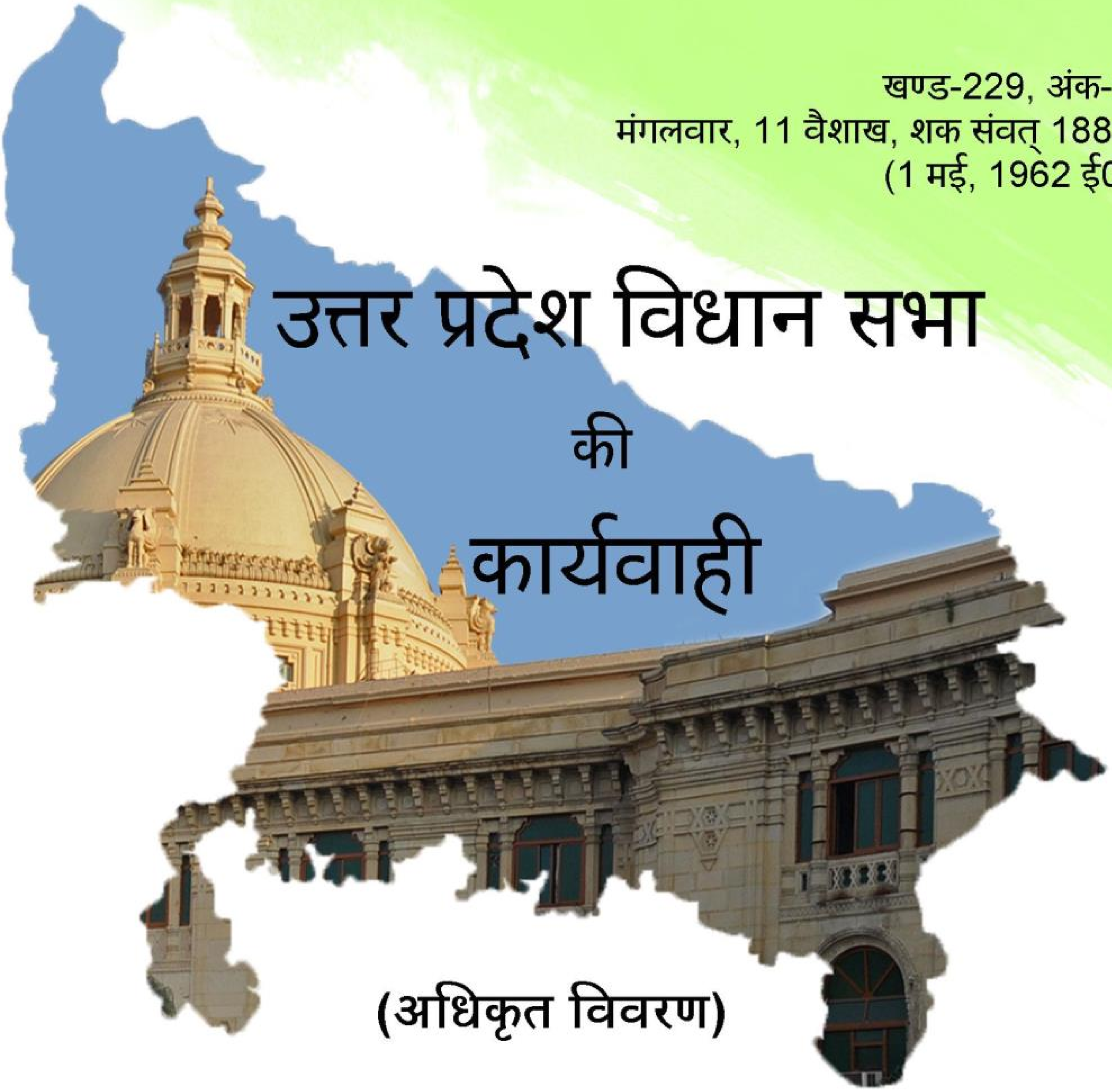

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 229 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६२

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	५७७–५८१
प्रश्नोत्तर	५८१–५९६
नगरपालिका विभाग की विज्ञप्तियों के अधीन प्रख्यापित महापालिका वाहन कर नियमावली, १९६२ (उपस्थापित की गयीं)	५९६
यू० पी० पंचायतराज रूल्स में प्रख्यापित संशोधन (उपस्थापित किये गये) ..	५९६
उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९५८ के अधीन प्रख्यापित विज्ञप्तियां (उपस्थापित की गयीं)	५९६
जौनसार बावर जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (अध्याय ३) नियमावली, १९६१ में प्रख्यापित संशोधन (उपस्थापित किये गये) ..	५९६
नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनाएं	५९७–६००
१९६२–६३ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या १०—सामान्य प्रशासन तथा अनुदान संख्या ११—आयुक्त (कमिश्नर) और जिला प्रशासन (जारी)	६००–६५२
नत्थियां	६५३–६५४

विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, १ मई, १९६२

विधान सभा की बैठक-सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदन मोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३४८

अच्छेबरसिंह, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार, श्री
अवधेश प्रताप, श्री राजा
अवेद्यनाथ, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अष्टभुजा, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासन, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री (वाराणसी)
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कंधईलाल, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथ, श्री
काशीनाथबहादुर, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किसुना, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केशभान, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
केसरीप्रसाद, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (एटा)
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह, श्री
गणेशचन्द, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल, श्री
गयाप्रसाद, श्री (वाराणसी)
गयाप्रसाद, श्री (सीतापुर)
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री

गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबली, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदीश, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगनप्रसाद, श्री
जगन्नाथ, श्री (जौनपुर)
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जमीलुर्रहमान, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, श्री काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बेश्वरीप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त, श्री
द्वारकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम, श्री
नरेन्द्रबहादुरसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री (मुरादाबाद)
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचम, श्री
परमाई, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम, श्री
पि.ई, श्री
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पाण्डेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री (इटावा)
बद्रीप्रसाद, श्री (फतेहपुर)
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसंत सिंह, श्री

बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेनीबाई, श्री
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास, श्री (आगरा)
भगवानदास, श्री (मिर्जापुर)
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री (देवरिया)
मंगल, श्री (बहराइच)
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद अली खां, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महादेव, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण, श्री
मुकुन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजर, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनसिंह, श्री
यशपाल, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रफी खां, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथ, श्री
राजनारायण, श्री (मिर्जापुर)
राजनारायण, श्री (वाराणसी)
राजनारायण मिश्र, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, श्रीमती
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
राजकिशोर, श्री (फतेहपुर)
रामकिशोर, श्री (बाराबंकी)
रामकुमार, श्री
रामचरणशाह, श्री

रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरती, श्रीमती
रामरूपसिंह, श्री
रामलखन श्री
रामलखन,शुक्ल, श्री
रामलाल, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरत, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामायण, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह, श्री
रुद्रप्रतापसिंह, श्री कुंवर
लक्ष्मीशंकर, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती, श्रीमती
विनयलक्ष्मी, श्रीमती
विश्वनाथ, श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
बैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शारदाभक्तसिंह, श्री
शिवचरण, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीपाल, कुंवर
श्रीराम, श्री (उन्नाव)
श्रीराम, श्री (बिजनौर)
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुगनचन्द, श्री
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुबेदारसिंह, श्री
सुरजन, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सूरजपालसिंह, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री

हरिनाथ तिवारी, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतराम, श्री
हेमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट:—वन मंत्री, श्री अलगूराय शास्त्री तथा सिंचाई उप-मंत्री, श्री राम-नारायण पाण्डेय भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, १ मई, १९६२

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

अन्तरिम जिला परिषद्, उन्नाव के प्रबंध के संबंध में शिकायती-पत्र

**१—श्री देवदत्त (जिला उन्नाव) (अनुपस्थित)—क्या राज्य सरकार ने अन्तरिम जिला परिषद्, उन्नाव के सम्पूर्ण अधिकार उत्तरदायित्व और कर्त्तव्य उसके अध्यक्ष में न्यस्त कर दिये हैं ?

श्री अध्यक्ष—अब कुछ अल्पसूचित तारांकित प्रश्न रह गये हैं। (श्री देवदत्त मिश्र का नाम पुकारने पर) पता नहीं क्यों श्री देवदत्त मिश्र जी नहीं आये। लेकिन जब अल्पसूचित तारांकित प्रश्न लिस्ट में आ गये और सम्बन्धित सदस्य अनुपस्थित हैं, इससे जाहिर है कि ये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न होने के योग्य नहीं थे, परन्तु श्री राम सुन्दर पांडेय जी इनमें दिलचस्पी रखते हैं अतः विकास मंत्री जी से मेरी प्रार्थना है कि वे १–३ प्रश्नों का उत्तर दे दें।

श्रम मंत्री के सभा-सचिव (श्री बंशीधर पाण्डेय)—जी नहीं।

**२—श्री देवदत्त (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या कारण है कि २८ जुलाई, १९६१ को अध्यक्ष चुनाव के बाद आज तक कार्य समिति, वित्त समिति, शिक्षा समिति, सार्वजनिक-निर्माण समिति और जन-स्वास्थ्य समिति का संगठन नहीं कराया गया ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—कार्यकारिणी समिति बनी हुई है। परिषद् के लिये अन्य समितियों का निर्माण उसकी इच्छा पर निर्भर है।

**३—श्री देवदत्त (अनुपस्थित)—क्या कारण है कि बावजूद इस बात के कि अन्तरिम जिला परिषद्, उन्नाव को उसके विधि सम्मत अधिकारों से वंचित रखा गया है फिर भी राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई उचित कार्यवाही ही नहीं की ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—शासन को इस सम्बन्ध में कोई शिकायत नहीं मिली थी अतएव शासन द्वारा कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता। अभी दिनांक २४ अप्रैल, १९६२ को एक शिकायती पत्र शासन को प्राप्त हुआ है। उस पर कार्यवाही की जा रही है।

कृषि आयोग के गठन की मांग

**४—श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—क्या सरकार प्रदेश में एक ऐसे कृषि आयोग का गठन करने जा रही है जो कृषि के क्षेत्र में अधिक सुधार करने, आधुनिक यंत्रों से किसानों को परिचित कराने तथा कृषि उपयोग में लाने, उत्पादन बढ़ाने और कृषि से सम्बन्धित सारे मसलों पर विचार करके इस सम्बन्ध में उचित सुझाव सरकार को दे ?

नोट—अल्पसूचित तारांकित प्रश्न १–३ श्री रामसुन्दर ने पूछे।

कृषि उप-मंत्री (श्री शिवराजसिंह)—जी नहीं।

श्री ऊदल—क्या मंत्री जी इस बात को देखते हुये, कि हमारे कृषि के क्षेत्र में ठीक से आधुनिक औजारों को जैसा कि कृषकों को इस्तेमाल करना चाहिये, नहीं हो रहा है और हमारी पैदावार गिरती चली जा रही है, पुनः विचार करेंगे कि कृषि आयोग का गठन किया जाय ?

श्री शिवराजसिंह—श्रीमन्, सरकार द्वारा गत वर्ष स्टेट फार्म कमेटी बनाई गई थी और इसी प्रकार से स्टेट में एक एग्रीकल्चरल इम्पलीमेंट्स कमेटी भी बनाई गई थी।

श्री ऊदल—मंत्री जी का कहना यह है कि मशीनीकृत फार्मों के लिये स्टेट में एक कमेटी बनाई गई थी लेकिन क्या हुआ उसका हमें कुछ पता नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस मसले पर सरकार पुनः विचार करेगी कि हमारे कृषकों को आधुनिक औजारों का प्रयोग करना चाहिये और उत्पादन बढ़ाना चाहिये, इस क्षेत्र में बहुत कम प्रगति हुई है, इसके लिये एक आयोग का गठन किया जाय ?

श्री शिवराजसिंह—श्रीमन्, मैंने निवेदन किया कि इसी आशय से स्टेट में एक एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स कमेटी बनाई गई थी और उसकी रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

श्री रामायण (जिला देवरिया)—क्या मंत्री जी उक्त कमेटी की मुख्य-मुख्य सिफारिशों को बताने की कृपा करेंगे ?

श्री शिवराजसिंह—श्रीमन्, कमेटी ने रिपोर्ट पेश की है उस पर अभी विचार नहीं हो सका है। इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री ऊदल—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस कमेटी की रिपोर्ट जो विचाराधीन है उस पर अंतिम निर्णय कब तक हो जाने की सम्भावना है ?

श्री शिवराजसिंह—शीघ्र ही।

माखी ग्राम में दो हरिजनों की हत्या

****५—श्री भोखालाल** (जिला उन्नाव)—क्या सरकार को पता है कि मार्च, १९६२ ई० में ग्राम माखी, थाना कोतवाली, जिला उन्नाव में दो हरिजनों की हत्या कर दी गई? यदि हां, तो इस मामले में कितने व्यक्तियों के विरुद्ध रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई और उसमें से कितने व्यक्ति अब तक गिरफ्तार किये जा चुके हैं ?

गृह उपमंत्री (श्री नवलकिशोर)—जी हां। इस मामले में कुल ७ व्यक्तियों के विरुद्ध थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गयी थी, जिसमें से ५ व्यक्ति गिरफ्तार किए गए और बाकी दो ने अदालत में आत्मसमर्पण किया।

श्री भोखालाल—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो बताने की कृपा करेंगे कि मृतकों की किस औजार से हत्या की गई और उनके किस प्रकार की चोटें थीं ?

श्री नवलकिशोर—मान्यवर, यदि आपकी आज्ञा हो तो जो घटना हुई है वह बहुत दर्दनाक हुई है, इसलिये उसका थोड़ा-सा विवरण दे दूं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो नहीं है। दो हरिजन गयादीन और शंकर को २ मार्च को दो ठाकुर साहबान पकड़ कर ले गये। वहां पर दो हरिजनों को पीटा जा रहा था और कहा जा रहा था कि तुमने किस के घर में सेंध लगाकर चोरी की है। वे कहते थे कि हमने चोरी नहीं की है। इनको भी पीटा गया तो इन्होंने कह दिया कि हमने सेंध लगाई है और सब माल इन दोनों आदमियों के पास है। उनको पीट कर दूसरे स्थान पर ले गये। फिर तीसरे स्थान पर ले गये। वहां उनके हाथ बांध कर टांग दिया

गया। उनको पीटा गया और लोहे के छुरे से दागा गया और बहुत ही एक बारबेरिज्म के साथ पीटा गया और उसके बाद चबूतरे पर फेंक दिया गया। इससे साबित होता है कि उनके मुक्के, घूंसे, लात और दागने के दाग होंगे। लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मेरे पास नहीं है। जो घटना हुई है बड़ी दर्दनाक है, बारबेरिज्म का नंगा नाच जैसे होता है, वैसी बात हुई।

श्री भीखालाल--क्या माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुए कि वह खुद महसूस करते हैं कि यह हत्याएं बहुत दर्दनाक तरीके से की गयीं और उन्नाव जिले में इस प्रकार की हत्याएं बढ़ती जाती हैं, उन्होंने अख्बार में पढ़ा होगा कि परसों नरसों पांच हत्याएं हो गयी हैं, इस प्रकार की हत्याओं को रोकने के लिए कोई विशेष प्रबन्ध करेंगे ?

श्री नवलकिशोर--जहां तक विशेष प्रबन्ध का सवाल है सरकार की पूरी चेष्टा रहती है कि इस तरह की बातें न हों। जहां तक इस घटना का सम्बन्ध है, इनकी इनक्वायरी की गयी और उससे साबित होता है कि जो आरोप लगाये गये हैं वह सही हैं और कई दफाओं ३०२, ३२३ के अन्दर चालान भी कर दिया गया है।

श्री भीखालाल--क्या माननीय मंत्री जी पता लगाने की कृपा करेंगे कि दो आदमी जिन्होंने अदालत में आत्मसमर्पण किया है पुलिस ने बावजूद इसके कि गांव में मौजूद रहे, उनको गिरफ्तार करने में तसावली की, उनके साथ खास रियायत बरती, भविष्य में ऐसा न हो, इसके लिए वह जांच करवाएंगे और इसकी तरफ कदम उठाएंगे ?

श्री नवलकिशोर--ऐसी कोई सूचना नहीं है। मगर यदि माननीय साथी मुझे लिख कर दें तो मैं इसकी जांच करवाऊंगा।

श्री रामायण--क्या माननीय गृह मंत्री जी इस बात का पता लगाने का प्रयास करेंगे कि यह जो घटना हुई इस का मुख्य कारण चोरी नहीं थी वरन् इन लोगों से बेगार लेना चाहते थे, और काम न करने के कारण, क्रुद्ध हो कर इन लोगों ने उनको मारने का प्रयास किया ?

श्री अध्यक्ष--देखिये, यह प्रश्न ऐसा है कि मोटिव क्या था, यह आप इसके द्वारा जानना चाहते हैं। इस संबंध में जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा अदालत में चालान हो चुका है। तो शायद यह पढ़ना मुनासिब न होगा।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९(२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

दुवारी ग्राम से बाढ़ पीड़ित शिविर संबंधी शिकायती-पत्र

*१--**श्री रामसुन्दर** (जिला आजमगढ़)--क्या सिंचाई मंत्री ६ मार्च, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या १४२ और १४३ के उत्तर के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि दुवारी, जिला आजमगढ़ बाढ़ पीड़ित शिविर बनाने का ठेका किन-किन ठेकेदारों को कितने-कितने रुपये पर कब-कब दिया गया था ?

*२--क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ठेकेदारों को कितनी कितनी बोरी सीमेंट कितने-कितने मन लोहा, कितनी-कितनी हजार ईंट एवं कितना-कितना रुपया कब-कब प्रदान किया गया ?

*३--क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त दरख्वास्त की जांच कराने वाले परगनाधीश घोसी की रिपोर्ट क्या है ?

सिंचाई उपमंत्री (डाक्टर रामनारायण पांडेय)--वांछित सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री रामसुन्दर—क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विलम्ब का कारण क्या है और सूचना कब तक एकत्र हो सकेगी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—जो उत्तर विभाग से आया हुआ था वह अधिक संतोषप्रद नहीं था, इसलिये नहीं लाये गये और शीघ्र ही उपस्थित करने का प्रयत्न किया जायगा ।

श्री अध्यक्ष—देखिये, जहां तक प्रश्नों का संबंध है, यदि किसी प्रश्न का यह उत्तर दिया जाता है कि सूचना एकत्र की जा रही है, तो प्रश्न समाप्त नहीं होता । उसका उत्तर साधारण तौर पर फिर दिया जाता है । मैं आशा करता हूं कि जब यह प्रश्न फिर सूची में आयें, तो उस वक्त तक पूरी सूचना एकत्र हो जायगी । ऐसा न हो कि फिर भी कहा जाय कि सूचना एकत्र की जा रही है । अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो बता दें ।

श्री ऊदल—श्रीमन्, यह सवाल बड़ा पुराना है । मार्च में भी यह प्रश्न आया था और माननीय मंत्री जी अब भी कह रहे हैं कि सूचना एकत्र की जा रही है ।

बुलन्दशहर जिले में नलकूपों व सिंचाई की गूलों का निर्माण

*४—**श्री हिम्मतसिंह** (जिला बुलन्दशहर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बुलन्दशहर में प्रथम व द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कितने नलकूप व नहर में सिंचाई की नई गूलें बनाने की योजना थी, उसमें से कितने नलकूप व नई गूलें बन पाई, न बन सकने के कारण क्या हैं ?

सिंचाई मंत्री (श्री राममूर्ति)—वांछित सूचना एकत्र की जा रही है ।

गंगा व घाघरा नदियों से बलिया जिले की जमीन का कटाव

*५—**श्री काशीनाथ** (जिला बलिया)—क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या यह सच है कि गत वर्षों में नदियों के कटाव के कारण लगभग २० हजार एकड़ बलिया जिले की भूमि बिहार में चली गई है और भविष्य में नदियों का कटान उत्तर प्रदेश की ओर न हो सके, इसके लिये सरकार ने कोई योजना बनायी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उस योजना को बताने का कष्ट करेगी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—गत ९ वर्षों में २० हजार एकड़ नहीं बल्कि १५,९१३.८८ एकड़ क्षेत्र बलिया जिले का गंगा तथा घाघरा नदियों से कट गया है पर यह ठीक-ठीक नहीं कहा जा सकता है कि यह कटा हुआ क्षेत्र बिहार में गया या नहीं । सुरेमनपुर के निकट घाघरा नदी के कटाव को रोकने के लिये बल्ली की ठोकरों के साथ साथ ४ पक्के पत्थर की ठोकरों (Stone spurs) के निर्माण का कार्य प्रारम्भ हो गया है और गाय घाट के पास ६ बल्ली की ठोकरों द्वारा गंगा के कटाव को रोकने की योजना का प्रारम्भिक सर्वेक्षण हो रहा है ।

श्री काशीनाथ—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह १५९१३.८८ एकड़ जमीन किन-किन गांवों का रकबा जोड़कर हुई है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—इसकी सूचना तो नहीं है लेकिन यह बता सकता हूं कि ५४०९ एकड़ जमीन गंगा से और १०५०४.८८ एकड़ घाघरा से कटी है ।

श्री रामायण—मान्यवर, उस कटाव की समस्या को लेकर अनेक बार इस सदन में प्रश्न आते हैं, मारपीट, झगड़ा, लड़ाई बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच चलता है, तो इस समस्या के अंतिम निश्चय के लिये सरकार ने अब तक क्या प्रयास किये हैं ?

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार और बिहार सरकार के दरमियान कई मर्तबे कान्फरेंसेज हुई और जब आपस में ऐग्रीमेंट न हो सका तो माननीय प्राइम मिनिस्टर को आर्बिट्रेशन के लिये भेज दिया गया ।

श्री काशीनाथ—माननीय मंत्री जी ने कहा कि इसकी सूचना नहीं मिली है कि किन-किन गांवों की जमीन मिलाकर १५९१३ एकड़ है, तो यह सूचना अभी तक न प्राप्त होने का कारण क्या है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—यह काम बड़ा लम्बा है । आसानी के साथ सूचना एकत्रित नहीं हो सकती । सबकी पैमाइश होगी तब तो पता लगेगा कि किस गांव की कितनी जमीन है ।

श्री काशीनाथ—मैं यह जानना चाहता हूं, १४ वर्ष से यह सिलसिला चल रहा है, अभी तक यह सर्वेक्षण क्यों नहीं हो पाया ?

श्री अध्यक्ष—आपके सामने अभी यह बताया गया कि इस संबंध में बिहार और यू०पी० गवर्नमेंट से बातचीत हुई और अन्ततोगत्वा जब फैसला नहीं हो पाया....

श्री काशीनाथ—मेरा प्रश्न यह नहीं है । मेरा प्रश्न यह है कि किन-किन गांवों की जमीन कट कर के बिहार में चली गई है ? यह तो केवल इस उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है, यह जानकारी हासिल करना कि कौन-कौन से गांव ऐसे हैं जो कट कर के बिहार में या नदियों की धारा में चले गये हैं ।

श्री अध्यक्ष—वह कह रहे हैं कि इसकी सूचना की आवश्यकता है । तो आप फिर से नया प्रश्न पूछ लीजियेगा । जवाब आ जायगा । इसमें क्या बात है?

श्री मैनेजर (जिला बलिया)—क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार और बिहार सरकार के बीच में प्रायः निर्णय हो चुका था कि सन् ८२ के सर्वे के अनुसार सीमा का स्थायी निर्धारण कर दिया जाय ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—सन् ५२ में लखनऊ में रेवेन्यू मिनिस्टर के लेविल पर और माननीय पंत जी की अध्यक्षता में एक कांफ्रेंस यहां हुई थी, उसमें यह उसूल तय हुआ था कि मुस्तकिल बाउंड्री तय कर दी जाय । अब यह किस हिसाब से तय की जाय यह हम नहीं कह सकते । लेकिन मुस्तकिल बाउंड्री के प्रश्न को दोनों सरकारों ने मान लिया था ।

श्री मैनेजर—क्या माननीय मंत्री जी को यह पता नहीं है कि उस कांफ्रेंस में यह निर्णय हुआ था कि सन् ८२ के अनुसार सीमा का निर्धारण किया जाय और उसमें यह भी तय हुआ था कि सन् ८२ के सर्वे की सीमा पर जो गांव पड़ते हैं उन गांवों के लोगों की राय जानने के लिये केंद्रीय गुप्तचर विभाग से रिपोर्ट ली जाय ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—मैं नहीं कह सकता कि सन् ८२ के कागजात के अनुसार तय होना तय हुआ । मेरी जानकारी के अनुसार यह तय हुआ था कि लोगों की राय के मुताबिक फैसला होना चाहिये और सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो मुकर्रर हुआ था । उसने तहकीकात करके सबकी राय जानकर एक रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजी । वह अभी भी कांफिडेंशियल है ।

श्री मैनेजर—क्या राजस्व मंत्री जी, जो इस विभाग को बहुत अरसे से, संभाल रहे हैं, यह बतलाने में क्यों असमर्थ हैं और उनकी स्मरण शक्ति क्यों क्षीण होती जाती है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—हम आल पावरफुल नहीं हैं । जो जानते हैं वही कहते हैं और जो नहीं जानते हैं वह नहीं कहते हैं ।

श्री रामायण—क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि यह मामला केंद्र को कब सिपुर्द किया गया और उसके बाद से केंद्र की ओर से इस दिशा में उसको जानने का कोई प्रयास किया गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—केंद्र के द्वारा कुछ प्रिलिमिनरीज तय हुई थीं। अब उसके बाद आरबिट्रेटर प्राइम मिनिस्टर मुकर्रर करेंगे।

श्री काशीनाथ—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि केवल गंगा का कटाव एक ही जगह ठोकर बनाने से रुक जायगा ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—जी नहीं, एक ही स्थान पर थोड़े ही बनाया गया है ?

श्री रामसुन्दर—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि बलिया की तरह सुरेमनपुर, आजमगढ़, गोरखपुर और देवरिया आदि जिलों में, जो नदी का कटान है, उसको रोकने के लिये कोई व्यवस्था सरकार के विचाराधीन है ?

श्री अध्यक्ष—यह प्रश्न आप अलग से कर सकते हैं।

श्री काशीनाथ—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह सर्वेक्षण का कार्य कब तक पूरा होगा और ठोकर बनाने का काम कब से शुरू होगा ?

सिंचाई मन्त्री (श्री राममूर्ति)—यह मसला कई साल से गवर्नमेंट के सामने है और उसके संबंध में रेलवे डिपार्टमेंट से भी बड़ा बहस मुबाहसा होता रहा है। जब तक पूरा सर्वेक्षण न हो जाय और हमारे जो एक्सपेरिमेंटल माडल हैं उनका रिजल्ट न आ जाय उस वक्त तक कहना मुश्किल है।

लेकिन माडल रिसर्च के लिये रुड़की पहुंचे हुये हैं। जैसे ही वे आ जायेंगे उनके हिसाब से काम किया जायगा। यह जल्दी करने का काम नहीं है। यह बड़ा काम है। इसको कायदे से करना चाहिये।

श्री काशीनाथ—जहां तक गंगा के काटने को रोकने का सवाल है उसका रेलवे डिपार्टमेंट से कोई संबंध नहीं है। उसका घाघरा के कटाव से संबंध जरूर है। मेरा सवाल गंगा के कटान से है। गंगा बलिया की ओर न बढ़ सके उसके लिये कब से आप ठोकर बनाने का काम शुरू करेंगे।

श्री राममूर्ति—जैसे ही सर्वेक्षण समाप्त होगा उसका काम शुरू हो जायगा।

(श्री अध्यक्ष द्वारा आगे का प्रश्न लेने पर)

श्री मैनेजर—एक प्रश्न मैं और करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—अब यह प्रश्न समाप्त हो गया है।

श्री मैनेजर—यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक प्रश्न और करने दीजिये।

श्री अध्यक्ष—यह प्रश्न समाप्त हो गया। आप कृपा कर बैठ जायं।

श्री मैनेजर—यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। आप एक प्रश्न की आज्ञा और दे दीजिये। अगर आप आज्ञा नहीं देते हैं तो यह हमारे साथ ज्यादती है।

श्री अध्यक्ष—आप कृपा कर अब बैठ जायं।

श्री हुकुमसिंह विसेन—अध्यक्ष महोदय, यह ज्यादती शब्द का प्रयोग बहुत खराब है।

श्री अध्यक्ष—परन्तु यह पहली मर्तबा ही यहां पर आये हैं।

श्रम मंत्री (श्रीमती सुचेताकृपालानी)---चाहे कोई पहली मर्तबा ही यहां पर आया हो, लेकिन यह बिलकुल गलत बात है कि इस तरह से कोई कहे। इस तरह से नहीं कहना चाहिये। इससे हाउस की डिगनिटी कायम नहीं रह सकती।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि माननीय मैनेजर सिंह अभी उन पार्लियामेंटरी पद्धतियों से पूर्णतः परिचित नहीं हैं। इस वजह से वह इस प्रकार की बातें करते हैं और मेरा विश्वास है कि आपकी आपत्ति सुनकर वह इस बात को ध्यान में रखेंगे।

नलकूप डिवीजन, गोरखपुर के कर्मचारियों की आवास व्यवस्था

*६---**श्री उग्रसेन** (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)---क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय नलकूप डिवीजन गोरखपुर में कितने अमीन, मिस्त्री और नलकूप चालक काम करते हैं तथा उनमें कितने अमीन, मिस्त्री और नलकूप चालकों को विभाग की तरफ से आवासगृह मिला है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---राजकीय नलकूप डिवीजन, गोरखपुर में काम करने वाले अमीन, मिस्त्री व नलकूप चालकों की संख्या निम्नलिखित है:---

अमीन	..	१६
मिस्त्री	..	१६
नलकूप चालक	..	२०४

उपरोक्त कर्मचारियों में से १२० नलकूप चालकों को आवासगृह मिले हैं।

श्री काशीनाथ---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि बाकी कर्मचारियों के लिये कब तक आवासगृह की व्यवस्था की जायगी ?

श्री राममूर्ति---कायदा यह है कि जब कोई प्रोजेक्ट तैयार किया जाता है तो उसमें अगर ऐसे आवास देने की सुविधा रखी जाती है तो वह बनवाया जाता है और अगर वह नहीं रखी जाती तो नहीं दिया जाता। जहां तक नलकूप चालकों का सवाल है, यदि नलकूप किसी बस्ती के नजदीक होते हैं तो उनके आवासगृह बनवा दिये जाते हैं जहां नलकूप चालक रहते हैं, लेकिन गांव के दूर रहने की वजह से अक्सर लोगों को चोर चहार का डर रहता है जिससे वे वहां रहना पसन्द नहीं करते और इसलिये वहां आवासगृह नहीं बनवाये जाते।

श्री रामायण---जिनको आप आवासगृह नहीं देते हैं, उसके बदले में आप उन्हें पैसे वगैरह देते हैं।

श्री राममूर्ति---ऐसा कोई नियम नहीं है।

सिंचाई विभाग की नियमावली में संशोधन करने की प्रार्थना तथा रामगंगा बांध का निर्माण कार्य

*७---**श्री चन्द्रबली** (जिला देवरिया)---क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि वे सिंचाई विभाग की नियमावली में कुछ संशोधन इस विषय में करने जा रहे हैं कि यदि किसी किसान के खेत में पानी मेड़ न होने के कारण किसी भाग में चला जाय तो उतने ही भाग की आबपाशी दर्ज की जाय न कि सारे खेत की ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---जी नहीं।

नोट---तारांकित प्रश्न ६ श्री काशीनाथ ने पूछा।

*८—श्री चन्द्रबली—क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि सिंचाई विभाग द्वारा कपास के खेतों में बरसात के दिनों में बोये जाने वाले उरद को आला जिन्स मानकर कपास के स्थान पर उरद की आबपाशी ली जाती है ? यदि हां, तो इस प्रकार के अनियमितता के क्या कारण हैं और सरकार कपास के स्थान पर उरद की ली गई आबपाशी कर किसानों को वापस करने का आदेश देने का कष्ट करेगी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—जी हां ।

नहर विधान के अन्तर्गत यह नियम है कि यदि किसी खेत में मिली हुई जिन्हें एक ही फसल में बोई जाय तो सिंचाई कर की दर सबसे अधिक दर वाली जिन्स पर लागू होती है । ऐसी अवस्था में सिंचाई कर वापस करने का प्रश्न नहीं उठता ।

*९—श्री चन्द्रबली—क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि रामगंगा बांध को बांधने में अब तक कितनी प्रगति हुई है और कब तक इस बांध से किसानों को पानी मिलने की आशा है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—राम गंगा बांध के बांधने के संबंध में प्रारम्भिक कार्य चालू है । इस योजना का निर्माण-कार्य लगभग आठ वर्षों में पूर्ण होगा, जिसके पश्चात् किसानों को पानी दिया जा सकेगा ।

श्री चन्द्रबली—क्या माननीय सिंचाई मंत्री बतलायेंगे कि पूरे क्षेत्र में पानी नहीं दिया तो पूरे क्षेत्र की मालगुजारी क्यों ली जायगी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—श्रीमन्, नियम यह है कि ६ इंच की मेड़ होती है, और जहां से मेड़ बनती है, उसके अन्दर पानी लिया जाता है उस हिसाब से चार्ज होता है ।

गाजीपुर जिले में सिंचाई साधनों की कमी तथा बाढ़ विभाग के निर्माण-कार्य

*१०—श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले की सैदपुर तहसील का कितना रकबा सिंचित और कितना असिंचित है और सरकार उस असिंचित रकबे को सिंचित करने के लिये क्या उपाय कर रही है ?

श्री राममूर्ति—सूचना एकत्र की जा रही है ।

*११—श्री कमलासिंह यादव—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले में बाढ़ विभाग द्वारा तहसीलवार कौन-कौन से बांध नहर तथा रेगुलेटर बनाये गये हैं और उनके मेंटेनेंस के लिये सरकार ने क्या उपाय किया है ?

श्री राममूर्ति—सूचना एकत्रित की जा रही है ।

*१२—श्री कमलासिंह यादव—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले की सैदपुर तहसील में बेलहरी ताल, मगारी ताल तथा खरारी ताल से सिंचाई के लिये क्या-क्या योजना बनी थी और इस वक्त उसकी क्या दशा है ?

श्री राममूर्ति—सूचना एकत्रित की जा रही है ।

औसेर ग्राम में पांडों नदी पर बांध की आवश्यकता

*१३—श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)—क्या सरकार यह बताने की कृपया करेगी कि जिला फर्रुखाबाद में पांडों नदी में ग्राम औसेर तहसील कन्नौज में उसकी कोई बांध लगाने की योजना है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—जी नहीं ।

[१ मई, १९६२ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

न्यायालय सुधार संबंधी मुकर्जी समिति की रिपोर्ट

*१—श्री गणेशचन्द (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि न्यायालयों में सुधार लाने के लिये सरकार ने जो मुकर्जी समिति नियुक्त की थी उसकी रिपोर्ट आ गई है या नहीं ?

न्याय मंत्री के सभा-सचिव (श्री चन्द्रसिंह)—जी हां।

*२—श्री गणेशचन्द्र—यदि हां, तो क्या उसकी प्रतिलिपि सरकार सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री चन्द्रसिंह—जी नहीं, उसे अभी सदन की मेज पर रखना उचित नहीं होगा। सरकार द्वारा उस पर विचार हो जाने के पश्चात् यदि उचित समझा गया तो उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी जायगी।

श्री गणेशचन्द—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि मुकर्जी समिति की रिपोर्ट पर सरकार कब तक विचार कर लेगी और कब तक अदालतों में उस पर अमल होने लगेगा ?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—वह रिपोर्ट काफी बड़ी है और यह बतलाना कि कब तक उसके हर पहलू पर विचार हो जायगा, मुश्किल है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द विचार हो जाय।

श्री गणेशचन्द—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि अगर पूरी रिपोर्ट सरकार सदन की मेज पर नहीं रख सकती तो उसके जो मुख्य-मुख्य सुझाव हैं वह सदस्यों को छपवा कर बांटे जायेंगे ?

श्री सैयद अली जहीर—इसका तय करना भी मुश्किल है कि उसमें कौन-कौन मुख्य सुझाव हैं और कौन मुख्य नहीं हैं। अभी तो पूरी रिपोर्ट पर विचार हो रहा है।

कुंवर श्रीपाल (जिला जौनपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या मुकर्जी रिपोर्ट में मिनिस्टीरियल स्टाफ की तनख्वाहों के बारे में भी कुछ सुझाव दिये गये हैं ?

श्री अध्यक्ष—आप तो उसके डिटेल्स पूछ रहे हैं। अभी तो उस पर विचार हो रहा है। यदि आपको पता हो तो बतला दें।

श्री सैयद अली जहीर—मेरे ख्याल में, अभी मैंने पूरी रिपोर्ट देखी तो नहीं है, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं, उस रिपोर्ट से और मिनिस्टीरियल स्टाफ से कोई वास्ता नहीं है।

श्री ऊदल—यह रिपोर्ट सरकार को कब प्राप्त हुई थी ?

श्री सैयद अली जहीर—नवम्बर या दिसम्बर, १९६१ में।

सारदा सागर व टांडा नहर सिंचाई योजनायें

*३—श्री रामसुन्दर—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा नहर की शाखा से आजमगढ़ जिले की सिंचाई कब से प्रारम्भ होगी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—सारदा सागर (स्टेज २) के अन्तर्गत सारदा नहर सिस्टम से आजमगढ़ जिले में ठेकमा तथा आजमगढ़ डिस्ट्रीब्यूटरियों से १९६० में आंशिक रूप से सिंचाई प्रारम्भ हो गई थी। ठेकमा डिस्ट्रीब्यूटरी पर कार्य पूर्ण हो चुका है और अब उससे सिंचाई की जा रही है। आजमगढ़ फूलपुर तथा लालगंज डिस्ट्रीब्यूटरी पर कार्य चालू है और आशा की जाती है कि मार्च, १९६३ तक कार्य पूर्ण हो जायगा जिसके बाद इनसे सिंचाई हो सकेगी।

*४—श्री रामसुन्दर—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टांडा नहर से आजमगढ़ जिले की कितने एकड़ भूमि का सिंचन हुआ है और कुल कितने एकड़ सिंचन करने का आयोजन है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ६५३ पर)

श्री रामसुन्दर—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जहां ४१ हजार एकड़ के करीब सिंचाई की योजना थी वहां केवल ७ हजार एकड़ ही सिंचाई होने का क्या कारण है ?

श्री राममूर्ति—अध्यक्ष महोदय, जब कोई योजना सिंचाई की नयी किसी क्षेत्र में चलती है तो अमूमन उसमें ५-७ साल लग जाते हैं जब कि लोग उस योजना से पानी लेने के आदी हो जाते हैं । आहिस्ता-आहिस्ता लोग उस चीज को समझते हैं और उससे पानी लेने लगते हैं । जैसे-जैसे लोग अच्छी तरह से उसको समझने लगेंगे, वे पानी लेते रहेंगे ।

*५—श्री उग्रसेन—[२९ मई, १९६२ के लिये स्थगित किया गया ।]

*६-८—श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—[२९ मई, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

राज्य में ग्रामों को ऊंचा करने की योजना

*९—श्री रामसुन्दर—क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष १९६२-६३ में प्रदेश के किन-किन जिलों के कितने-कितने निचले ग्रामों को सरकार द्वारा ऊंचा करने की योजना बनाई गई है और उस पर कितना रुपया व्यय किया जायेगा ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—तृतीय पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष १९६१-६२ में गोरखपुर जिले के १०० ग्रामों को ऊंचा करने का एक प्रोजेक्ट अभी तक स्वीकृत हुआ है और इस पर १९६२-६३ में ५,७८,६०० रुपये व्यय होने की सम्भावना है । अन्य जिलों में गांव ऊंचा करने के प्रस्तावों पर विचार हो रहा है और अभी तक इस सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया जा सका है ।

श्री रामसुन्दर—क्या सिंचाई मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि कौन-कौन वे जिले हैं जिनके गांव ऊंचा करने की योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री राममूर्ति—इस वक्त ४ जिले हैं । गोरखपुर के बारे में भी वहां के जिलाधीश ने कुछ गांवों के नाम भेजे हैं । बाकी जिलों से कुछ सुझाव आये भी नहीं हैं और कुछ, जो हमारे प्रदेश में बाढ़-बोर्ड है, उसके सामने पेश नहीं हुये हैं । जब वहां से वे मंजूर हो जायेंगे, तभी उन गांवों को ऊंचा करने का सवाल पैदा होगा ।

श्री रामसुन्दर—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर के जिन १०० गांवों को ऊंचा करने की स्वीकृति हुई है उस पर कार्य प्रारम्भ हो गया है या नहीं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—यह शुरू हो रहा है ।

श्री रामसुन्दर—वे कौन-कौन से जिले हैं जिनके गांवों को ऊंचा करने की आयोजना सरकार के विचाराधीन है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—देवरिया, बलिया, बस्ती तथा गोरखपुर ।

श्री रामायण—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया में कितने गांवों को ऊंचा करने की योजना सरकार के विचाराधीन है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—अभी तो ५० के लिये चल रही है ।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जौनपुर जिला बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में नहीं रखा गया है ?

(उत्तर नहीं दिया गया)

श्री गेदासिंह (जिला देवरिया)---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अगली पंचवर्षीय योजना तक जितने भी गांव बाढ़ में आते हैं वे सब ऊंचे कर दिये जायेंगे ? क्या ऐसा इरादा सरकार का है क्योंकि बाढ़ के दिनों में वहां लोगों को आश्रय मिल जाता है और यह योजना कई वर्षों से चल रही है जो सफल मानी जाती है ?

श्री राममूर्ति---अभी तक जो सर्वेक्षण हुआ है उसमें करीब ७ हजार गांवों को ऊंचा करने का सवाल है जिसमें से करीब ४ हजार ८०० गांवों को ऊंचा किया जा चुका है। करीब साढ़े ४ हजार तो गांव ऐसे हैं जिनको पूरे तरीके से ऊंचा किया जा चुका है, और कुछ को आंशिक रूप से। बाकी गांवों के बारे में ज्यों-ज्यों रिपोर्ट आती जायेगी, उनका सर्वेक्षण और जांच होती जायेगी, उनको ऊंचा किया जायेगा। लेकिन मेरा खयाल यह है कि इस पंचवर्षीय योजना में पूरे ७ हजार गांवों को, जो हमारा लक्ष्य है, ऊंचा करना सम्भव नहीं होगा, वह आगे चल कर होगा ।

श्री रामसूरत (जिला गोरखपुर)---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि गोरखपुर जिले से जिन गांवों को ऊंचा करने की सूची अथवा मांग सरकार के पास आयी है, उसके लिये सरकार आदेश देगी ताकि बरसात होने के पहले गांवों का स्तर ऊंचा किया जा सके ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---जिन १०० गांवों के लिये हुआ है उनमें शीघ्र ही व्यवस्था की जा रही है ।

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)---क्या आदरणीय मंत्री जी यह खयाल करके कि जौनपुर जिले में प्रति वर्ष बाढ़ आती है, और इस साल उस जिले के गांवों को ऊंचा करने के लिये कोई रुपया नहीं दिया है तो माननीय मंत्री जी उसके लिये रुपया देने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---जौनपुर के लिये तो इस योजना में है नहीं ।

श्री गेंदासिंह---अभी बताया गया कि कुछ गांवों को आंशिक रूप से ऊंचा किया गया है। उनमें जिनके घर नीचे हैं, उनको बेहद कठिनाई का सामना करना पड़ता है, तो क्या उनको प्राथमिकता दी जा सकेगी कि वह जल्दी ऊंचे किये जा सकें ?

श्री राममूर्ति---आंशिक रूप से मेरा मतलब यह था कि गांव में कुछ घर ऊंचे होते हैं, कुछ नीचे रहते हैं। तो जो नीचे थे उनको ऊपर कर दिया गया है ताकि ऊपर वालों की लेविल में आ सकें। अगर ऐसे कोई नोटिस में हों तो जहां काम करने की जरूरत है उसको दिखाया जा सकता है और उस काम को पूरा करने की कोशिश की जायगी ।

श्री रामसुन्दर---३,००० गांव जो ऊंचा करने को बाकी है, यदि सरकार उनको ऊंचा करने की व्यवस्था करे तो कितना रुपया सरकार को आवश्यक होगा ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---एक गांव को ऊंचा करने में करीब ६,००० रुपया व्यय होता है ।

कुंवर श्रीपाल---मंत्री जी ने कहा है कि जौनपुर में गांवों को ऊंचा करने का कोई विचार नहीं है, तो जौनपुर जिले के जो गांव बाढ़ में आते हैं क्या वह सब ऊंचे कर दिये गये हैं इस वजह से ऊंचा करने का इरादा नहीं है ?

श्री राममूर्ति---जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया था, हर जिले के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अपने यहां के गांवों को ऊंचा करने की फेहरिस्त भेजा करते हैं और फ्लड बोर्ड उसमें प्राथमिकता देता है कि कहां पर पहले काम किया जाय अपनी पूंजी को देखते हुये। तो ४ जिलों का जो जिक्र

[श्री राममूर्ति]

किया गया—देवरिया, गोरखपुर, बस्ती और बलिया—उनके बारे में विचार है और कोशिश तो यह है कि बाकी के २,००० गांवों में जिनको ऊंचा करने की जरूरत है, आहिस्ता आहिस्ता उनको भी ऊंचा किया जाय ।

*१०-११—श्री शिवनाथसिंह (जिला कानपुर)—[२५ मई, १९६२ के लिए स्थगित किये गये।]

राजनीतिक पेन्शन बढ़ाने की प्रार्थना

*१२—श्री गणेशचन्द—क्या सरकार इस विषय पर विचार करने की कृपा करेगी कि जिन राजनीतिक पीड़ितों को वह बीस रुपया माहवार पेंशन दे रही है, उनके तीस रुपया माहवार कर दिये जावें ?

परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री गनेशीलाल)—वर्तमान आर्थिक परिस्थिति में सरकार इस सुझाव पर विचार नहीं कर सकती ।

श्री गणेशचन्द—क्या सरकार इस प्रश्न पर विचार करेगी कि कुछ राजनीतिक पीड़ितों को २० रुपया दिया जाता है और कुछ को बहुत ज्यादा दिया जाता है तो सबको ३० रुपया माहवार कर दिये जावें ?

परिवहन मंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)—पेंशन तो कई चीजों को देख कर मुकर्रर की जाती है फिर भी एक कमेटी मुकर्रर है जो पिछले दिनों काम नहीं कर सकी जनरल एलेक्शन के आ जाने से, उसमें इस बारे में विचार किया जायगा ।

कुंवर श्रीपाल—वह कौन-कौन सी खास बातें हैं जिनको देखते हुये इन पेंशनों को देने का विचार किया जाता है ?

श्री मुजफ्फर हसन—कई चीजें देखी जाती हैं—माली हालत क्या है, इसी तरह की चीजें देखी जाती हैं, रिपोर्ट आती है, उसको सामने रखते हैं ।

श्री बद्रीप्रसाद (जिला फतेहपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कुछ ऐसे भी केस हैं जिनमें पेंशन दे दी गयी है और अब बन्द कर दी जायगी ?

श्री मुजफ्फर हसन—ऐसे भी केस हो सकते हैं। और पर्टिकुलरली पूछा जाय तो मैं बता दूं ।

श्री ऊदल—क्या मंत्री जी इस प्रश्न पर विचार करेंगे कि जिनको ज्यादा दिया जा रहा है वह तो ठीक है, लेकिन जिनको २० रुपया दिया जा रहा है उसको बढ़ा कर ३० रुपया कर दिया जाय ?

श्री मुजफ्फर हसन—बात यह है कि यह रेकरिंग ग्रान्ट है और बराबर बजट बढ़ता जाता है, काफी बड़ी तादाद में दरख्वास्तें पड़ी हुई हैं । इसलिये मुश्किल मालम होता है कि एक साथ उस रकम को ऊंचा कर दिया जाय ।

श्री होरीलाल यादव—इस बात को देखते हुये कि पोलिटिकल सफरर को सर्टीफिकेट मिलने में बड़ी दिक्कत होती है, क्या मंत्री जी सरकार की तरफ से कोई प्रमाणित सूची बनवाने की कृपा करेंगे ?

श्री मुजफ्फर हसन—वह सर्टिफिकेट तो सरकार की ही तरफ से मिलते हैं, अपनी-अपनी जगह पर ।

श्री रामसुन्दर—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस समय सरकार ने राजनीतिक पेंशन देने का क्या आधार निश्चित किया है ?

श्री अध्यक्ष—इसके नियम बने हुये हैं।

बख्शी तालाब स्थित चर्मशोधन केन्द्र के विस्तार की योजना

*१३—श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली), श्री बेदराम (जिला एटा), तथा श्री बसन्त सिंह (जिला जौनपुर)—क्या सरकार बतायेगी कि उसके बख्शी के तालाब स्थिति चर्मशोध एवं प्रशिक्षण केन्द्र के विस्तार की योजना बनाई गई है? अगर हां, तो वह क्या है और उस पर कितना खर्च होगा व उससे क्या लाभ होगा?

श्री शिवराजसिंह—जी हां। योजना की रूपरेखा उस पर होने वाले व्यय का ब्योरा तथा उससे लाभ, संलग्न परिपत्र में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ६५४ पर)

श्री हरीशकुमार गंगवार—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि नीदरलैन्ड ने जो १२ लाख रुपये का अनुदान दिया है उसमें ६ लाख रुपया मशीनों के लिये प्राप्त बताये गये हैं, तो क्या उनके विशेषज्ञ भी यहां आये हैं जो इस कार्य को मूर्तरूप दे रहे हैं?

श्री शिवराजसिंह—तीन विशेषज्ञ वहां के यहां पर काम कर रहे हैं।

श्री हरीशकुमार गंगवार—इन विशेषज्ञों पर, जो वहां से सहायता के रूप में मिले हैं, लगभग कितना रुपया खर्च होने की आशा है?

श्री शिवराजसिंह—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

रामनवमी के अवसर पर अयोध्या जाने वाली स्पेशल बसें

*१४—श्री सुखदेव (जिला गोंडा) (अनुपस्थित)—क्या परिवहन मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि इस वर्ष रामनवमी के अवसर पर अयोध्या आने-जाने वाली स्पेशल बसें कितनी हैं और गत वर्ष कितनी बसें चली थीं?

श्री मुज़फ्फर हसन—इस वर्ष ५७ और पिछले वर्ष ५२ स्पेशल बसें रोडवेज द्वारा चलाई गई थीं।

*१५—श्री रघुवीर (जिला गाजीपुर)—[१० मई, १९६२ के लिए प्रश्न ४९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*१६-१८—श्री रामसिंह—[२९ मई, १९६२ के लिए स्थगित किये गये।]

*१९—श्री रामप्रसाद देशमुख (जिला अलीगढ़)—[२९ मई, १९६२ के लिए स्थगित किया गया।]

रजावल माइनर के टेल कमाण्ड म पानी से फसल को कथित क्षति

*२०—श्री रामप्रसाद देशमुख—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि रजावल माइनर के टेल के कमाण्ड के रकबा में से जो अक्तूबर, नवम्बर, १९६१ में पानी की वजह से फसल गल गयी थी तो उन काश्तकारों को क्या मुआवजा दिया गया है, यदि नहीं दिया गया तो क्यों नहीं?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—रजावल माइनर के टेल के कमाण्ड में अक्तूबर नवम्बर, १९६१ में नहरी पानी से कोई फसल नहीं गली। अतः इस सम्बन्ध में काश्तकारों को मुआवजा देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री रामप्रसाद देशमुख—क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि किसानों ने जो शिकायतें लिख कर भेजी हैं कि काफी पानी भरा हुआ है उसको दूर करने के क्या उपाय किये गये हैं?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—स्थिति यह है कि वहां एक एरिया नीचा पड़ता है इस माइनर की टेल के बाद और उससे एक ड्रेन उस पानी को निकालने के लिये बनाई जा रही है और जहां तक इस माइनर का सम्बन्ध है इसको भी उस ड्रेन से मिलाया जा रहा है जिससे कि टेल का पानी कभी उस नीचे एरिया में न भरे।

श्री रामप्रसाद देशमुख—क्या मन्त्री जी को ज्ञात है कि इस टेल से जो पानी निकलने की बात है वह उन्हीं किसानों के खेतों में भरा हुआ है जिन की फसल बर्बाद हुई है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—इसकी सूचना इस समय नहीं है।

*२१—श्री राधेश्याम (जिला मथुरा)—[२९ मई, १९६२ के लिए स्थगित किया गया।]

*२२-२४—श्री केशव गुप्त (जिला मुजफ्फरनगर)—[२९ मई, १९६२ के लिए स्थगित किये गये।]

*२५—श्री शिवचरण (जिला आगरा)—[२९ मई, १९६२ के लिए स्थगित किया गया।]

विधायक निवास कर्मचारियों को कम छुट्टी मिलने की शिकायत

*२६—श्री महेशसिंह (जिला हरदोई)—क्या विधायक निवास के कर्मचारी Government Estate Department के अन्तर्गत कर्मचारी हैं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—जी हां।

*२७—श्री महेशसिंह—यदि हां, तो क्या उनको Estate Department के इसी श्रेणी के अन्य कर्मचारियों को दी जाने वाली सुविधायें मिलती हैं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—जी हां। विधायक निवासों के निम्न श्रेणी के कर्मचारियों को साप्ताहिक तथा गजटेड छुट्टियां नहीं मिलती हैं। इसके स्थान में उसको मास में एक दिन की छुट्टी दी जाती है और विशेष धार्मिक त्योहारों के अवसर में भी छुट्टियां मिलती हैं।

श्री महेशसिंह—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि एक महीने में चार दिन की छुट्टी और एक दिन की छुट्टी में क्या सरकार को कोई फर्क मालूम होता है ?

श्री राममूर्ति—इसमें तीन दिन का फर्क होता है।

श्री महेशसिंह—यदि फर्क मालूम होता है तो इन सेवाओं में तीन दिन का फर्क क्यो है ?

श्री राममूर्ति—जब विधान सभा का सत्र चलता होता है, उस समय काम की बहुतायत होती है लेकिन जब सेशन उठ जाता है इन कर्मचारियों के पास बहुत कम काम रह जाता है। अतः इस बात को देखते हुए कि बाद में उन लोगों को काफी कम काम करना पड़ता है और काफी छुट्टी मिल जाती है इसलिये उन लोगों को इन दिनों में कम छुट्टी दी जाती है। अगर इनको और लोगों के बराबर ही छुट्टी दी जाय तो कम से कम २८ हजार रुपये की आवश्यकता होगी। इस खर्च को देखते हुए अभी कोई ऐसा इरादा नहीं है कि उन को हर हफ्ते छुट्टी दी जाय।

जौनपुर जिले के रामपुर ब्लाक में कृषि फार्म के लिये अध्याप्त भूमि

*२८—श्री रमेशचन्द्र शर्मा—क्या सरकार को मालूम है कि जौनपुर के अन्तर्गत रामपुर ब्लाक के जिन किसानों की जमीन फार्म के नाम से ली गयी उनमें अधिकतर किसान २-३ एकड़ तक के ही काश्तकार थे और उनकी तमाम जमीन फार्म के नाम पर ले ली गई ?

श्री शिवराजसिंह—जी हां। जौनपुर जिले के अन्तर्गत रामपुर ब्लाक में कृषि फार्म की स्थापना के लिए कुल २६ काश्तकारों की जमीन ली गई है। २.३ एकड़ तक के काश्तकारों की संख्या १५ है इनमें से केवल एक ही काश्तकार पूर्णतया भूमिहीन हुआ है।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी महीने में कोई ऐसे आदेश जारी हुए हैं कि पूर्वी जिले में किसी किसान की जमीन किसी फार्म के लिये न ली जाय?

श्री शिवराजसिंह—इसमें सन् का ब्यौरा नहीं दिया गया है इसलिये उत्तर नहीं दिया जा सकता।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा—जनवरी, सन् १९६२ में ही सरकार की तरफ से कोई ऐसे आदेश जारी हुए हैं कि पूर्वी जिलों में किसी किसान की जमीन किसी कृषि फार्म के लिये न ली जाय?

श्री शिवराजसिंह—इस प्रकार के आदेश जारी हुये हैं फरवरी, १९६२ में कि इस तिथि के बाद seed multiplication farms के लिये कोई जमीन एक्वायर न की जाय।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इस प्रकार के आदेश के खिलाफ किसानों की जो जमीन रामपुर में ले ली गयी है उस को कृषि फार्म से अलहदा कर के किसानों को लौटाने की सरकार कृपा करेगी?

श्री शिवराजसिंह—जिन जमीनों पर सरकार अब तक कब्जा कर चुकी है उनको वापस करने का सरकार का इरादा नहीं है न कोई सरकार की ऐसी नीति है।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जिन किसानों को बिलकुल भूमिहीन बना दिया गया है या जिनके पास केवल १ या २ एकड़ जमीन ही थी और उनकी जमीन ले ली गयी है उनके लिये सरकार क्या करने जा रही है,? उनको खाने पीने के लिये कहां से मिलेगा इसका सरकार ने कोई प्रबंध किया है?

श्री शिवराजसिंह—जो भूमि एक्वायर की जाती है उसके बदले में नियत रूप से कम्पेन्सेशन दिया जाता है। इसके अलावा सरकार की एक योजना है कि भूमिहीनों को और पढ़े लिखे अनएम्पलायड यूथ को कोलोनाइजेशन के अन्तर्गत जमीन दी जाय।

श्री माताप्रसाद—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जब सरकार की नीति है कि कृषि फार्म के लिये छोटे काश्तकारों की जमीन न ली जाय लेकिन यहां २६ किसानों की जमीन ले ली गयी है जो बहुत गरीब हैं और औसतन जिनकी एक एकड़ से अधिक जमीन न होगी, तो क्या वहां पर बड़े काश्तकारों की जमीन उस ब्लाक में सरकार को नहीं मिली?

श्री शिवराजसिंह—इस बात की चेष्टा की जाती है कि यदि ब्लाक फार्म के लिये कोई जमीन एक्वायर की जाय तो बड़े-बड़े काश्तकारों की जमीन ली जाय। इस ब्लाक के अन्दर ऐसा मुमकिन नहीं था, इसीलिये इन काश्तकारों की जमीन लेनी पड़ी।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा—क्या मन्त्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि जब इन किसानों की जमीन ली जा रही थी तो वहां के ब्लाक अधिकारी की या वहां की ब्लाक कमेटी के प्रधान की इस सम्बन्ध में कोई राय ली गयी थी?

श्री शिवराजसिंह—श्रीमन्, इस सम्बन्ध में बी० डी० ओ० का कोई सवाल नहीं है। जिला कृषि अधिकारी इस सम्बन्ध में अपनी राय जिलाधीश द्वारा सरकार को भेजते हैं।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा—क्या मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि किसानों की पहली फसल जो खरीफ की थी उस पर सरकार ने अपना कब्जा नहीं किया था ? फसल छोड़ने के लिये भी किसानों ने दरख्वास्त दी थी और बहुत परेशानी हुई तब उनकी फसल छोड़ी गयी ?

श्री अध्यक्ष—फसल के बारे में आप अलग से पूछ लीजियेगा। यहां तो पूछा गया है कि कितनी जमीन ली गयी और कितनी नहीं ली गयी।

नगरपालिका विभाग की विज्ञप्तियों के अधीन प्रख्यापित महापालिका वाहन-कर नियमावली, १९६२*

वित्त उपमंत्री (श्री जयराम वर्मा)—अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से नगरपालिका विभाग के शुद्धि-पत्र संख्या ४२—म (नि—१६) /११—ग—१—कार्य (९)—५७, दिनांक १९ मार्च, १९६२ के साथ पठित विज्ञप्ति संख्या ७१—म (नि १६)/ ११—ग—१—कार्य (९) —५७ दिनांक २६ फरवरी, १९६२ के अधीन प्रख्यापित महापालिका वाहन-कर नियमावली, १९६२ को उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ की धारा ५४० की उपधारा (४) के अनुसार इस सदन की मेज पर रखता हूं।

यू० पी० पंचायतराज रूल्स में प्रख्यापित संशोधन †

श्रम-मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से यू० पी० पंचायत राज रूल्स में पंचायत राज विभाग की विज्ञप्ति संख्या ३४२१—प/ ३३—५०७—५५ दिनांक, ४ अगस्त, १९६१ तथा विज्ञप्तियां संख्या ३२५८—प/३३—५६—६१, दिनांक २९ अगस्त, १९६१, संख्या ३९३३—प ३३—१५५(११) —५९, दिनांक ७ सितम्बर, १९६१ तथा संख्या ४४८१—प/ ३३—३०१—५८ दिनांक २९ सितम्बर, १९६१ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को जो यू० पी० पंचायतराज ऐक्ट, १९४७ की धारा ११० की उपधारा (३) के अनुसार क्रमशः दिनांक २८ अगस्त, १९६१ तथा दिनांक १३ नवम्बर, १९६१ को सदन की मेज पर रखे गये थे और जिन के सदन को मेज पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि सदन के विघटन के कारण पूरी नहीं हुई है, पुनः सदन की मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९५८ के अधीन प्रख्यापित विज्ञप्तियां *

वित्त उपमंत्री (श्री जयराम वर्मा)—अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९५८ की धारा ३—क के अधीन प्रख्यापित वित्त विभाग की विज्ञप्तियां संख्या एस० टी० —४९०७, १०—९०० (४)—६१, दिनांक १ मार्च, १९६२ तथा संख्या एस० टी० —४९०७—१०—९०० (४) —६१, दिनांक १ मार्च, १९६२ की उक्त धारा ३—क की उपधारा (२) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

जौनसार बावर जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (अध्याय ३) नियमावली, १९६१ में प्रख्यापित संशोधन †

विद्युत् उपमंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—अध्यक्ष महोदय, आप की आज्ञा से मैं जौनसार बावर जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (अध्याय ३) नियमावली १९६१ में राजस्व विभाग की विज्ञप्ति संख्या ६९२ १—क—१३९४—५८ दिनांक ५ मार्च, १९६२ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को जौनसार बावर जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५६ की धारा ४३ की उपधारा (६) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

---

*छापी नहीं गयी।
†छापे नहीं गये।

नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—अब नियम ५२ के अन्तर्गत मेरे पास ४ सूचनाएं आई थीं। उनमें से एक माननीय भीखा लाल जी की है और दूसरी माननीय मतोला सिंह जी व द्विजेन्द्र नारायण जी की है। यह दोनों ऐसी सूचनाएं हैं कि जिन के सम्बन्ध में मैंने यह आदेश दिया है कि अल्पसूचित तारांकित प्रश्नों द्वारा जो सूचनाएं वह चाहते हैं वह मिल सकती हैं तदनन्तर अगर आवश्यक हुआ तो कुछ कार्यवाही होगी ।

अन्य २ मेरे पास आये हैं उन मे से एक माननीय टम्ब्रेश्वरी प्रसाद जी का है और एक माननीय विश्वनाथ प्रसाद जी का है। जो माननीय विश्वनाथ प्रसाद जी का है वह घटना २३–४–६२ की कही जाती है और मैं समझता हूं कि यह पहले ही आना चाहिये था अतः यह अस्वीकृत हुआ।

श्री टम्ब्रेश्वरीप्रसाद का जो है वह एक कालेज के सम्बन्ध में है। जो यूनिवर्सिटी के अन्तर्गत है उसको भी मैंने अस्वीकार किया है और जहां तक मैं समझा हूं वह ऐसा विषय नहीं है जो नियम ५२ के अन्तर्गत उपयुक्त रीति से आ सकता हो। अतः वह अस्वीकार कर दिया गया।

श्री टम्ब्रेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)—मेरा निवेदन यह है कि औषधालय के अन्दर यह जहां भी जायं ऐसी घटनायें हो जाती हैं जो मानवता की हद को पार कर जाती हैं तो उस समय हमको उस पर विचार करना चाहिये जैसा कि कानपुर मेडिकल कालेज में हुआ। साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं १६ फरवरी की काउन्सिल की प्रोसीडिंग आपको भेज दूं जिसमें डाक्टर फरीदी ने वहां के प्रिन्सिपल के सम्बन्ध में विशेष जानकारी हासिल की है और अनाटोमी के प्रोफेसर के सम्बन्ध में जानकारी से माननीय हुकुमसिंह जी ने दी है। तो कोई कारण नहीं कि जब उस कालेज के एक प्रोफेसर के सम्बन्ध में एक सदन में जानकारी दी गई हो तो दूसरे सदन में ऐसे प्रोफेसर के सम्बन्ध में जो इस तरह का आचरण करे कि १२ से ४ बजे तक छात्राओं के होस्टल के अन्दर रहे और उसके बाद माननीय मुख्य मंत्री जी से तमाम अभिभावकों की ओर से यह सवाल उठाया गया हो कि उनकी छात्राओं की परीक्षा और चरित्र की सुरक्षा होनी चाहिये, जानकारी न दी जाय। ऐसी स्थिति में मेरे खयाल से जब दूसरे सदन में इस प्रकार दूसरे प्रोफेसर या इन्हीं प्रोफेसर के सम्बन्ध में बात हो चुकी हो तो आप यहां अलाऊ न करें यह मेरी समझ में नहीं आता। काउन्सिल की प्रोसीडिंग मैं आपकी सेवा में भेजता हूं।

श्री अध्यक्ष—एक सदन का आदेश या उस सदन में जो निर्णय होते हैं वह इस सदन में भी लागू हों ऐसा नियम हमारे यहां नहीं है। और वास्तविकता यह है कि यद्यपि वह अपर चैम्बर कहलाता है लेकिन अन्तिम निर्णय आपका और इस सदन का ही होता है। अगर इस दृष्टि से देखिये तो कदाचित् यहां के निर्णय वहां लागू होने चाहिये न कि वहां के निर्णय यहां लागू हों ।

दूसरी बात यह है कि अलग होने के अतिरिक्त मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि चूंकि विश्वविद्यालय के अन्तर्गत यह है और हमारा ऐसा विश्वास है कि विश्वविद्यालय इस पर कार्यवाही करने के लिये सक्षम है तो अभी ऐसी बात नहीं मालूम होती कि सरकार किसी तरह उससे सम्बद्ध हो गई है। यह हो सकता है आईन्दा चल कर माननीय टम्ब्रेश्वरी प्रसाद जी को कुछ तथ्य मालूम हो जायं जिससे आवश्यकता इस बात की पड़े कि हम उस पर मंत्री जी से कहें कि वह वक्तव्य दें। सम्प्रति मैं इसे अस्वीकार कर रहा हूं।

श्री टम्ब्रेश्वरीप्रसाद—मेडिकल 'ए' डिपार्टमेन्ट से डील होता है इसके जहां तक ऐडमिनिस्ट्रेशन का सम्बन्ध है सरकार करती है। इसी सदन में माननीय गौरीशंकर राय जी एक

[श्री टम्बेश्वरीप्रसाद]

विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में सवाल उठा चुके हैं उसकी कार्यवाही मुझे मिल नहीं पायी नहीं तो आपकी सेवा में पेश करता।

श्री अध्यक्ष—ठीक है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी बतायेंगे इसका ऐडमिनिस्ट्रेशन सरकार के हाथ में है?

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—मेडिकल कालेज कानपुर का एकेडेमिक ऐडमिनिस्ट्रेशन तो विश्वविद्यालय से सम्बन्ध रखता है और वहां के प्रोफेसर्स आदि की नियुक्तियां पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा होती हैं। और वैसे-देख रेख सामान्यतः डायरेक्टर आफ मेडिकल और हेल्थ सर्विसेज द्वारा होती है।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—माननीय मुख्य मंत्री जी अभी कानपुर गये थे वे कृपया इस पर प्रकाश डालें कि क्या वे लेडी एस्टूडेंट्स या उनके अभिभावक कोई डेपूटेशन बना कर इस विषय पर मुख्य मंत्री जी से मिले थे और उन्होंने कुछ बातें कहीं उस पर मुख्य मंत्री जी ने उनसे क्या कहा?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—कल कुछ छात्रायें मुझसे अवश्य मिली थीं और उन्होंने कुछ बातें एक प्रोफेसर के सम्बन्ध में मेरे सामने पेश की थीं।

कुछ सवाल जो मेरे सामने उन्होंने प्रस्तुत किये थे उनके विषय में स्वतः मैंने सवाल किया था कि इम्तिहान के दौरान पहले इस प्रकार की बातें क्यों मेरे सामने लाई जाती हैं। यदि एक व्यक्ति के विषय में आरोप लगाये जाते हैं तो वे आरोप पहले से भी आ सकते थे। मैंने उनसे इस प्रकार की बातें करने के बाद कुछ बातें वहां के अधिकारियों से की थीं। इसके पूर्व भी एक रोज या दो रोज पहले एक व्यक्ति मेरे पास आया हस्ताक्षर किये हुये एक कागज को ले कर और उनमें मैंने कुछ आरोपों को देखा था।

श्री अध्यक्ष—मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन कर दूं कि जो बात उन्होंने कही है उसको देखते हुये मैं यह समझता हूं कि इसके संबंध में एक वक्तव्य हो जाय। आप कब तक उसे दे सकेंगे?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मैं यह चाहता था कि इस विषय में थोड़ी जानकारी हो जाय। जो बातें कल मेरे सामने आई थीं और कुछ बातें अधिकारियों ने जिनका विभाग से संबंध नहीं है बतलाई थीं उनसे कुछ ऐसा प्रतीत हुआ कि कुछ उस विभाग के अध्यापकों और मुख्य अध्यापकों में आपस में बनती नहीं हैं और वे अध्यापक छात्राओं को बहका रहे हैं और मुख्य अध्यापक के विरुद्ध आरोप लगाने की चेष्टा कर रहे हैं। यही कारण है कि जो मुझे प्रेरित करता है कि मैं अभी वक्तव्य देने में देरी करूं इसलिये की पूरी जानकारी मैं इस विषय में पहले हासिल कर लूं और तब मैं वक्तव्य दूं।

श्री अध्यक्ष—कब तक दे सकेंगे?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—डायरेक्टर दौरे पर गये हुये हैं। वे लौट कर आ जांय। मैं उनसे पूछूंगा और जब वे अपनी रिपोर्ट इन तमाम विषयों में देंगे, उसके उपरान्त ही मैं कुछ कह सकूंगा। कदाचित् १ हफ्ता अवश्य लग जायगा।

श्री यादवेन्द्रदत्त—मुख्य मंत्री महोदय ने बताया कि डायरेक्टर दौरे पर गये हैं। इस सूबे में ही हैं, बाहर तो गये नहीं हैं। मुख्य मंत्री महोदय उनसे टेलीफोन पर या वायरलेस से सम्पर्क स्थापित करके दो तीन दिन में ही वक्तव्य दे दें तो जो इस प्रकार की स्थिति है और जैसी लोगों के मन में शंकायें हैं उनका स्पष्टीकरण हो जायगा। इसलिये मुख्य मंत्री महोदय से हम लोगों की तरफ से आप आग्रह करें कि इस विषय पर वह दो, तीन दिन में वक्तव्य दे दें।

श्री काशीनाथ (जिला बलिया)—एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष—आप बैठें ।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—वक्तव्य में दो तीन दिन में दे सकता हूं, लेकिन उसके साथ न्याय नहीं कर सकूंगा क्योंकि जब तक सारी जानकारियां और सारे पहलू मेरी जानकारी में न आ जायं तब तक ऐसा करना न तो संस्था के साथ कोई न्याय करना होगा, न उस व्यक्ति के साथ न्याय करना होगा और न उन परम्पराओं के प्रति न्याय करना होगा । जब इस बेकार के आरोप किसी व्यक्ति के विषय में आते हैं तो बिना उस व्यक्ति के द्वारा सारी स्थिति को सामने रखे हुये यदि मैं कोई एक नई परम्परा बनाने लगूं तो न तो वह उचित कार्यवाही होगी और न मैं अपने संसदीय कर्तव्य का पालन ही कर सकूंगा ।

श्री काशीनाथ—मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । मैं आपसे निवेदन कर दूं कि जब मुख्य मंत्री जी बोल रहे थे उस वक्त मैं खड़ा हुआ था । व्यवस्था का प्रश्न किसी वक्त भी उठाया जा सकता है । माननीय यादवेन्द्रदत्त दुबे जी के बाद हम सबको ऐसा लगा कि अध्यक्ष महोदय कुछ कहना चाहते थे और बगैर अध्यक्ष महोदय के कुछ कहे हुये माननीय मुख्य मंत्री जी खड़े हो कर अपनी तकरीर करने लगे, यह सदन की मर्यादा और परम्परा के विरुद्ध है । भविष्य में ऐसा नहीं होना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—जो माननीय टम्बेश्वरी प्रसाद जी की सूचना है उसको मैं पढ़ कर सुना दूं । उनकी सूचना है—

"कानपुर में गणेशशंकर विद्यार्थी मेडिकल कालेज के एक प्रोफेसर के द्वारा दो छात्राओं के प्रति चरित्र दोष व्यवहार की घटनाओं को ले कर विगत २४ अप्रैल से वहां की छात्राओं द्वारा प्रदर्शन हो रहा है । एक प्रोफेसर के द्वारा इस प्रकार का व्यवहार सर्वथा निन्दनीय है । इस घटना से सम्पूर्ण प्रदेश तथा विशेष रूप से कानपुर में एक अत्यन्त असंतोष का वातावरण व्याप्त हो गया है । इससे साधारण जन जीवन में क्षोभ और अस्तव्यस्तता का निर्माण कर प्रदेश की आन्तरिक दशा प्रभावित होती है । नियम ५२ के अन्तर्गत आपके द्वारा मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं ।"

यह विषय ऐसा है जिसमें एक छात्रा या दो छात्राओं और एक प्रोफेसर, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति और कुछ महिलाओं के संबंध में बातें होंगी और मैं समझता हूं कि इस बात की गंभीरता को ध्यान में रखते हुये यह उचित कदापि नहीं होगा कि मैं मुख्य मंत्री से कहूं कि वे जैसे भी हो जल्दी से जल्दी सूचनायें प्राप्त करें । अतः मैं १० मई, १९६२ इस संबंध में वक्तव्य देने के लिये नियुक्त करता हूं । मैं आदरणीय सदन के सदस्यों से भी निवेदन करूंगा कि इस बात को ध्यान में रखें कि जहां इस प्रकार की बातें हों उस संबंध में अगर प्रश्न जरा जल्दी या भावनाओं की प्रेरणा पा कर पूछे गये तो उसमें बजाय इसके कि हम उस वातावरण को शुद्ध कर सकें संभव है कि उसको और जटिल कर देंगे । तो मैं १० मई, १९६२ इसके लिये नियुक्त करता हूं कि उस दिन माननीय मुख्य मंत्री अपना वक्तव्य दें ।

श्री यादवेन्द्रदत्त—श्रीमन्, मुख्य मंत्री ने तो सात ही दिन मांगे थे और आपने दस दिन कर दिये । अगर आप उन्हीं की बात मान लें तो भी ८ तारीख रखें ।

श्री अध्यक्ष—जो मुझे सुविधाजनक मालूम हुआ वह मैंने रख दिया ।

श्री रामायण (जिला देवरिया)—यह ठीक है, आपने आज्ञा दी है कि इस विषय के संबंध में १० मई को मंत्री जी वक्तव्य दें लेकिन मेरा अपना खयाल है कि इस लम्बी अवधि में परिस्थिति और विषम हो सकती है । उस परिस्थिति के परिहार के लिये क्या यत्न किया जायगा ? क्या मुख्य मंत्री जी उसके लिये इस सदन को आश्वस्त करने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—मेरा खयाल है कि जब बात यहां छिड़ गयी है तो सभी लोग सतर्क रहेंगे।

श्री रामायण—श्रीमन्, आजतक ऐसा नहीं हुआ। नियम ५२ के अन्तर्गत इतना लम्बा काल कभी नहीं दिया गया। नियम ५२ का तात्पर्य यह है कि वह समस्या अर्जेन्ट है पब्लिक इम्पार्टेन्स की है....

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—ऐसे पेचीदा मामले भी तो नहीं होते थे।

श्री रामायण—पेचीदगी तो आप जितनी चाहें पैदा करें।

श्री अध्यक्ष—आप तो सिर्फ यही चाहते हैं कि माननीय मुख्य मंत्री उस वातावरण पर ध्यान रखें। वह उन्होंने सुन लिया।

१९६२–६३ के आय–व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान अनुदान संख्या १०–सामान्य प्रशासन तथा अनुदान संख्या ११–आयुक्त (कमिश्नर) और जिला प्रशासन

श्री अध्यक्ष—अब वित्तीय वर्ष १९६२–६३ के आय-व्ययक पर बहस शुरू होगी।

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या १०–सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १,६७,१३,६०० रुपयों से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

राज्यपाल महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ११–आयुक्त (कमिश्नर) और जिला प्रशासन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ६,४३,९५,८०० रुपयों से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अध्यक्ष महोदय, जिन अनुदानों की स्वीकृति के लिये मैंने सदन के समक्ष मांग प्रस्तुत किया है वे सामान्य प्रशासन से संबंध रखते हैं। सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत कई वे चीजें भी आती हैं जिनके द्वारा शासन का स्तर ऊंचा होता है, शासन में दक्षता का प्रश्न उठता है। और उन परम्पराओं को स्थापित करने का प्रश्न उठता है जिनके द्वारा शासन उन उद्देश्यों की पूर्ति करता है जिनके लिये वह समाज में स्थापित है। सामान्य प्रशासन इन पिछले दस बीस वर्षों में उत्तरोत्तर बदला है। एक जमाना था जब सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत कार्य करने वाले अधिकारी महज ला ऐंड आर्डर की व्यवस्था करने में अपना समय देते थे। एक समय आया कि उनके कंधों पर वे सारे गुरुतर उत्तरदायित्व आ पड़े जिनके द्वारा देश का निर्माण हो सकता है और नया समाज हमारे बीच में रचा जा सकता है। इन कार्यों के बीच में रहते हुये हमारे अधिकारी ऐसे जमाने से गुजरे हैं जब भूलें हुई हैं, गलतियां हुई हैं और कहीं अधिकारियों ने उस क्षमता का परिचय नहीं दिया है जो उनके अन्दर इस युग में उत्तरोत्तर पैदा होनी चाहिये थी। इसलिये जब मैं इन अनुदानों को आपके समक्ष स्वीकृति के लिये प्रस्तुत करता हूं उस समय मैं सदन से यह भी प्रार्थना करना चाहता हूं कि इन पर हमें अपने सुझाव दें। क्योंकि मैं प्रारम्भ में ही सदन का समय उन तमाम बातों के विषय में नहीं लेना चाहता जो सामान्यतः रोजमर्रा हमारे आपके जीवन में गुजरती हैं। मैं सामान्य प्रशासन में सुधार लाने के विषय में आपके सुझाव चाहता हूं और उसे अच्छी तरह से चलाने के लिये आपका सहयोग चाहता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह सदन अपनी उच्च परम्पराओं को सामने रखते हुये इस विषय में अपने ऐसे सुझाव प्रस्तुत करेंगे जिससे कि शासन में जहां कुछ कमियां हैं, खामियां हैं, वे हटायी जा सकें और शासन को ऐसा माध्यम बनाया

जा सके जिसके द्वारा अधिक मात्रा में प्रदेश की गरीब जनता की सेवा हो सके। अपने विचारों को मैं इस समय यहीं खत्म करता हूं और सदन से यह प्रार्थना करता हूं कि वे इस विषय में अपने सुझाव, जो नयी परम्परायें वे रखना चाहते हैं उनके अनुसार, पेश करें जिससे हम जनता की सेवा करने में अधिक मात्रा में समर्थ हो सकें। इन चन्द शब्दों के साथ मैं फिर से इन अनुदानों की स्वीकृति की मांग आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—अध्यक्ष महोदय, मुझे एक बात बता दें कि आप मुझे कितना समय देंगे ?

श्री अध्यक्ष—देखिये, मैं आप से निवेदन कर दूं कि जहां तक आपका और मुख्य मंत्री जी का संबंध है, वह बात दूसरी है, लेकिन साधारणतया मैं सदस्यों को ७ मिनट दूंगा और जो नेता हैं उनको १० मिनट या इससे अधिक जैसा उनका विषय हो।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—श्रीमन् जी, इन अनुदानों के लिये दो दिन का समय है इसलिये सात मिनट का समय बहुत कम रहेगा। इसलिये ७ मिनट के बजाय १० मिनट का समय कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—मैंने निवेदन किया कि सात मिनट और दस मिनट, अगर विषय अच्छा है तो और सही।

श्री यादवेन्द्रदत्त—अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो अनुदान संख्या १० प्रस्तुत किया है उसके ऊपर मैं कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं। वह इस प्रकार है कि—

"सामान्य प्रशासन के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।"

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई मुख्य मंत्री जी की एक बात सुनकर कि वे सहयोग चाहते हैं। सही है, परन्तु एक विचार मेरे मस्तिष्क में उठा और आपके द्वारा प्रस्तुत कर दूं कि सहयोग के माने क्या हैं ? क्या वह हम लोगों का सहयोग नीति निर्धारण में चाहते हैं या वह यह चाहते हैं कि नीति निर्धारण होने के बाद एक्जीक्यूशन में सहयोग मिले.....

श्री अध्यक्ष—अच्छा हो यदि माननीय सदस्य दूसरा कटौती का प्रस्ताव भी पढ़ दें और दोनों साथ ही प्रस्तुत कर दें। अनुदान संख्या ११ के कटौती के प्रस्ताव को पढ़ने का भी कष्ट करें।

श्री यादवेन्द्रदत्त—बहुत अच्छा, मैं कटौती के प्रस्ताव को पेश करता हूं जो इस प्रकार है कि—

"मद आयुक्त और जिला प्रशासन के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा नीति का सुझाव देना।"

मैं चाहूंगा कि मुख्य मन्त्री जी इस बात को भी स्पष्ट करें, क्योंकि सदन में बहुत बार और पिछली बार भी और इस बार भी सहयोग की मांग की गयी है और सहयोग के लिये उपयुक्त वातावरण चाहिये, उसका निर्माण होता है या नहीं, यह भी प्रश्न उठता है।

[श्री यादवेन्द्रदत्त]

श्रीमन्, प्रशासन के ऊपर बहुत वाद-विवाद हुआ और मुझे याद है कि माननीय नवलकिशोर जी जब उपमन्त्री नहीं थे, उस समय उनके भाषणों को मैंने देखा तो करीब उन्होंने वही बात कही जो हम कहते हैं और मुझे आशा थी कि प्रशासन के इतने बहुमूल्य अंग होने के बाद कम सेकम अपने विचारों को कुछ न कुछ कार्यान्वित करने का प्रयास होगा। अगर आप मुझे आज्ञा दें तो मैं उनके ही शब्दों में, जो मेरी शिकायत है और मैं समझता हूं कि हर एक को प्रशासन के सम्बन्ध में शिकायत है, पढ़ दूं और मुख्य मन्त्री जी से आशा करूंगा कि वे बतायें कि उन्होंने उसको दूर करने के लिये क्या किया है।

श्रीमन्, उन्होंने एक सुझाव रखा था कि एक हजार रुपये से ज्यादा वेतन पाने वालों की संख्या कम की जाय और मैंने देखा कि इसके बजाय अब तो सेक्रेटरी कम कमिश्नर्स हो रहे हैं यानी तनख्वाहें बढ़ती चली जा रही हैं। मैं नहीं समझा। क्या नवलकिशोर जी की भाषा में कम करने के मानी बढ़ने के होते हैं। सब का चार्ज है कि आज प्रशासन एवर एक्सपेंडिंग मल्टी हैंडेड आक्टोपस है। घटाने की कौन कहे उल्टे बढ़ता जाता है, टौप हैवी एडमिनिस्ट्रेशन होता जा रहा है। मैं थोड़े से आंकड़े दूंगा। इस समय माननीय नवलकिशोर जी की बात कह रहा हूं कि उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि जनतन्त्र को कामयाब अगर होना है तो सरकार का फर्ज है कि जो एक नयी बीमारी पैदा हो रही है, कहीं ऐसा न हो कि वह हमारी जड़ों को कमजोर कर दे।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—तब डिप्टी मिनिस्टर नहीं थे।

श्री यादवेन्द्रदत्त—यह आप और वह तय कर लें।

क्या वह ब्योरोक्रेसी की ओवर डामिनेंस खत्म हुई? नहीं खत्म हुई है।

मैं एक पत्रक पढ़ दूं। हर एक कर्मचारी चाहता है कि मैं स्थायी होऊं, मेरे कुछ प्रोमोशन हों, कुछ प्रास्पेक्टस हों और सरकार या अफसरों की ह्विप्स पर न रहूं। परन्तु इस सरकार के पांच हजार अस्थायी कर्मचारी हर साल निकाले जाते हैं। अगर वह बेचारे अपनी मांग पेश करते हैं तो इसके लिये सीक्रेट सर्कुलर जारी होता है कि उनको निकाला जाय। यह हमारे चीफ सेक्रेटरी का सर्कुलर है—

"कानपुर में कुछ कर्मचारी सभा आयोजित करके, नारे लगा करके तथा प्रदर्शन करके बड़े अधिकारियों को बदनाम करके अनुशासन भंग तथा दुर्व्यवहार कर रहे हैं,। जो भूत काल में ऐसा किये और अब भी ऐसा कर रहे हैं, उन्हें, यदि अस्थायी हों तो बिना कारण बताये, एक माह की नोटिस द्वारा जीविका विहीन कर दिया जाय।"

श्रीमन्, तो बड़े प्रख्यात लाइयर हैं। जानते हैं अगर कोई हीनियस से हीनियस क्राइम कमिट करता है तो भी उस पर चार्जशीट लगती है, ट्रायल होता है, डिफेंस देने का अधिकार होता है। परन्तु यहां कोई अपनी रोटी मांगता है, अपनी नौकरी के स्थायीकरण की मांग करता है, तो सरकार उनको बरखास्तगी देती है यह कह कर कि अफसरों को वह बदनाम करता है। क्यों अस्थायी रखे गये? अगर वह मांग करते हैं, प्रदर्शन करते हैं तो क्या गलत है? अगर ट्रेड यूनियनिज्म है तो क्या बुरा है? क्या उनको अपनी जीविका की सुरक्षा का अधिकार नहीं है? उसके लिये यह सीक्रेट सर्कुलर भेजा जाता है कि बिना कारण बताये हुये जीविका विहीन कर दो। एक कहानी है माननीयमन्त्री जी जानते होंगे। मनुष्य की पीठ पर चाहे लात मारो, लेकिन पेट पर मत मारो। जीविका विहीन का अर्थ क्या है? यह ब्यूरोक्रेसी की किस भावना का द्योतक है। यह टिरैनिकल भावना का द्योतक है।

जब वह उप मन्त्री नहीं थे, जिस चीज की ओर उन्होंने इंगित किया था, मन्त्री के पद पर बैठ कर, क्या उन्होंने उसकी ओर एक भी कदम उठाया? मेरी शिकायत है। मैं

नाम नहीं लेना चाहता। मुझे पिछले पांच वर्षों का बराबर अनुभव है कि जो भी कोई गवर्नमेंट में पहुंच जाता है वह कहने लगता है कि सब सुखी हैं—(एव्रीथिंग इज गुड इन हेवेन ऐंड इन क्लब)। पहले वह कहते हैं कि समाजवादी व्यवस्था लाने के लिये यह-यह करना चाहिये। वही सरकार में पहुंच जाते हैं तो कहने लगते हैं कि यही समाजवाद है। इस मेंटल ऐंड इंटेलेक्चुअल जिमनैस्टिक से काम चलने वाला नहीं है। आज सबसे बड़ी गड़बड़ी यह है कि आज प्रशासन के ऊपर मन्त्रिमण्डल का कन्ट्रोल नहीं है। आज प्रशासन को खुली छूट दे दी गई है। मैं उसी बात को फिर ले लेता हूं। जीविका विहीन किया जाय। क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी को इसका पता है कि ऐसा सर्कुलर गया था। माननीय मुख्य मन्त्री जी प्रजातन्त्र के जन प्रतिनिधि और समाजवादी ढांचे को बनाने में प्रमुख अग्रणी हैं। तो क्या उनके समाजवादी ढांचे में यह भावना सुन्दर है कि व्यक्ति को जीविका विहीन किया जाय? इसका उत्तर मैं चाहूंगा कि अगर मुख्य मन्त्री जी के सामने यह सर्कुलर नहीं आया तो मैं क्या कहूं? और अगर सामने आया है श्रीमन्, तो यह स्पष्ट है कि आज माननीय मन्त्री जी ब्योरोक्रेसी को कन्ट्रोल नहीं कर रहे हैं, कन्ट्रोल करने में असमर्थ हैं, और श्रीमन्, स्वाभाविक है, आज तो मैं देखता हूं कि माननीय मन्त्रियों को काम की फुर्सत नहीं है। उन को एलेक्शन से ही समय नहीं मिल पाता है, गुटबाजी से ही फुर्सत नहीं मिलती है, तो काम स्वाभाविक है कि सेक्रेटरी के ऊपर ही पड़ेगा, और जैसा काला सफेद वह चाहेंगे, करेंगे। इसका एक छोटा-सा उदाहरण मैं दे देना चाहता हूं। उस दिन श्रीमन् को याद होगा, मेरा खयाल है कि शायद २३ अप्रैल थी कि जब सूचना मन्त्री के वक्तव्य के ऊपर प्रिविलेज का प्रश्न उठाया गया। यह साधारण प्रश्न है कि किसी प्रकार की नीति की घोषणा जब सदन चल रहा हो तो यहां होना चाहिये। लेकिन हमारे सूचना मन्त्री जी उससे अनभिज्ञ हैं। आपने स्वयं कहा कि बड़ा डेंजरस बार्डर लाइन केस है। क्या मैं यह कहूं कि माननीय सूचना मन्त्री जी इतने अनभिज्ञ हैं, इतने अपात्र हैं कि नियमों को नहीं जानते? लेकिन नहीं जानकारी होते हुए भी.....

सूचना राज्यमंत्री (श्री बनारसीदास)—मैं एक स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। मैं आपकी नोटिस में ला चुका हूं कि कोई नीति का प्रश्न उसके अन्दर नहीं था और वह मैं यह समझता हूं कि जो वह सूचना सदन के सामने दी गयी थी वह उचित नहीं थी, केवल नीति को कार्यान्वित करने का प्रश्न था।

श्री अध्यक्ष—(श्री यादवेन्द्रदत्त से) आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री यादवेन्द्रदत्त—मैं श्रीमन्, आपकी रूलिंग को कोट कर रहा हूं और माननीय मन्त्री जी उसको चैलेंज कर रहे हैं। साधारण डेमोक्रेटिक प्रोसीजर का भी ज्ञान नहीं है हमारे माननीय मन्त्री सूचना को। यह हमारे सूचना मन्त्री हैं। तो श्रीमन्, फुर्सत तो है ही नहीं। (व्यवधान) खैर, यह तो अपनी अपनी समझ का फेर है। तो श्रीमन्, काम की तो फुर्सत नहीं है। खाली इधर–उधर की ही फुर्सत है और श्रीमन्, यही कारण है कि आज इस सेक्रेटेरिएट के अन्दर दस-दस, बारह-बारह और पन्द्रह-पन्द्रह वर्ष से लोग बैठे हुये हैं जो कभी जिले का मुंह नहीं देखते हैं। माननीय नवल किशोर जी ने भी इस ओर अपने भाषण में ध्यान आकृष्ट किया था—"लेकिन मैं आज यह देखता हूं यहां पर खासी संख्या है जो दस दस वर्ष से काम कर रहे हैं"। अब श्रीमन्, उस समय दस वर्ष से थे तो आज कितने वर्ष के हो गये होंगे, तो यह वेस्टेड इण्टरेस्ट बनाये जा रहे हैं सेक्रेटेरिएट के अन्दर। क्या हमारे उप मन्त्री महोदय ने इस बात की ओर जो ध्यान आकृष्ट किया था कि रोटेशन हो सेक्रेटेरिएट में ब्योरोक्रेसी का, और जो जिला स्तर से दस दस वर्ष तक दूर यहां बैठे रहने के कारण वह वास्तविकता से ज्ञान-विहीन हो गये, उनको वास्तविकता का ज्ञान हो, क्या उस ओर हमारे उप मंत्री जी ने एक लघु से लघु कदम भी उठाया है? मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस

[श्री यादवेन्द्रदत्त]

ओर कदम नहीं उठाया गया। तो इस प्रकार जो वेस्टेड इन्टरेस्ट बन गये हैं, यह श्रीमन्, स्वाभाविक है कि वह जाना नहीं चाहते। यहां फैसलिटीज हैं, स्पेशल वेतन है, पावर है और पावर की सीट के नजदीक हैं तो उसके एक्सप्लायटेशन का भी उनको अवसर है और फिर धीरे-धीरे अपने चारों ओर वह अपने लोगों को खींचना शुरू करते हैं और नतीजा यह होता कि ग्रुप्स बन जाते हैं। आज सेक्रेटरियट में ग्रुपिज्म है श्रीमन्, इससे इन्कार नहीं किया जा सकता। अगर आप यहां के प्रशासकीय अधिकारियों को बराबर रोटेट करते रहते, जैसा कि पहले नियम था कि तीन साल या पांच साल तक वह सेक्रेटरियट में रखे जाते थे और फिर जिले में भेज दिये जाते थे और जिले से सेक्रेटरियट में आते थे तो उससे यह होता था कि यहां रहते रहते एक विशेष कागजी दृष्टिकोण जो हो जाता है और वहां के फील्ड में वह कागजी दृष्टिकोण जमता नहीं, तो वह चीज नहीं होने पाती है और उनका फील्ड का भी अनुभव होता रहता है, क्रास फर्टिलाइजेशन जिसे कहते हैं, उससे वहां की समस्या और यहां की समस्या का समन्वय उनके सामने रहता और एक समन्वय के आधार पर जारी की हुई राज्य की प्रशासन आज्ञायें वास्तविकता के आधार पर होती और ज्यादा सफल होती हैं। तो वास्तविकता की कड़ी आज टूट चुकी है, क्रास-फर्टिलाइजेशन वाली चीज प्रशासन में समाप्त हो चुकी है। आज तो वेस्टेड इंटरेस्ट यहां बन चुके हैं और दस वर्ष, पन्द्रह वर्ष या पांच वर्ष से ऊपर यहां बैठे रहने के कारण उनका जो एक कागजी दृष्टिकोण बन गया है उससे हर समस्या का कागजी हल उनको दिमाग में आता है जो वास्तविकता से परे है। उसका परिणाम भुगतना पड़ता है विकास के कार्यों में। उनके दिमाग वास्तविकता से दूर हो जाते हैं। यह नहीं देखा जाता कि उन कर्त्तव्यों को पूरा करने की उन अधिकारियों में पात्रता है या नहीं। यहां से हुकुम पर हुकुम जाते हैं। बहुत बार इसी सदन में कहा गया कि अभी सूचना नहीं आई। बहुत से ऐसे प्रश्न हुये जिनके उत्तर में कहा गया कि सूचना अभी नहीं आई। पिछली बार मुझे याद पड़ता है कि शायद २ १/२ या ३ वर्ष से एक प्रश्न की सूचना नहीं आई थी। इसका क्या कारण है? क्या यही प्रशासन की एफिशियेन्सी है? उसका कारण यही है कि कागजी बाढ़ यहां लखनऊ में आती है। अब वह कलेक्टर बैठे हुये हैं। बहुत बार उनको यह दृष्टिकोण समझ में नहीं आता है। यह चीज वास्तविकता से भिन्न है। यही कारण है कि सारी कागजी बाढ़ का उल्लंघन होता है और यह प्रशासन फेल करता है। आज प्रशासन की इफिशियेन्सी और फेल्योर का यही एक मुख्य कारण है कि सेक्रेटरियट में एक ग्रुप बन गया है जो यहां इतने दिनों से बैठा हुआ है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से विनम्र निवेदन करूंगा कि और उनका ध्यान उस ओर आकर्षित करूंगा कि जो उन्होंने मुख्य मंत्री बनने से पूर्व कहा था। अगर मुझे सही याद है तो मुख्य मंत्री बनने के पूर्व उन्होंने कहा था कि मेरा पहला कर्त्तव्य होगा कि जो ब्यूरोक्रैसी का भूत खड़ा है उससे सब से पहले मैं संघर्ष करूं। अगर मैं गलत कहता हूंगा तो मुख्य मंत्री जी मुझे सही कर देंगे। मैं समझता हूं उनकी वह घोषणा, जो उन्होंने उस समय की थी, आज उनके दिमाग में होगी। यदि उनके दिमाग में न होगी तो उनके विचार में जरूर होगी। मैं चाहता हूं कि उस घोषणा को वह कार्यान्वित करें। उस घोषणा को कार्यान्वित करने के लिये उनका पहला कर्त्तव्य है कि जो यहां पर वेस्टेड इन्टरेस्ट बन गया है उसको वह तोड़ें। क्रास फरटिलाइजेशन करायें। डिस्ट्रिक्ट्स से कुछ और लोगों को लायें। यह कहा जा सकता है कि यहां पर इतने दिन रहकर इतने अनुभवी हो गये हैं कि वे इंडिसपेन्सेबिल हैं। मैं समझ नहीं पाता कि जो इन्डसपेन्सेबिल कहा जाय तो वह कौन सी चीज जीवन की इन्डिसपैन्सेबिल है। कोई भी चीज इन्डिसपेन्सेबिल नहीं है। अगर वे इतने योग्य प्रशासन हो गये हैं तो क्या ५,७ वर्षों से जो जिलों में काम कर रहे हैं उनके अनुभव को वहीं तक सीमित रहने दिया जाय? क्या उनको कर्त्तव्य शक्ति और विकास का अवसर प्रदान न किया जाय? अगर यही आपकी इन्डिसपेन्सेबिल थ्योरी चलती रहे तो जिस दिन यह सारे रिटायार होंगे—मैं नहीं कहता कि एक साथ यह सब जायेंगे, लेकिन जिस दिन आपके पास ये अनुभव विहीन जिले के प्रशासक होंगे और वे सेक्रेटरियट में आयेंगे तो क्या तब वैकुअम नहीं बनेगा? तब यह प्रशासन और भी फेल होगा। इस कारण यह बहुत आवश्यक वस्तु है जिसकी

तरफ आपको देखने की आवश्यकता है। जो आज प्रशासन की ढिलाई है और सब तरफ से लोगों की शिकायत है कि समय से उत्तर नहीं मिलता है तो इस प्रशासन की समस्या को हल करने के लिये इस ओर ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। आप किसी विभाग को ले लें। चाहे वह नियोजन हो और चाहे हरिजन कल्याण हो, कोई भी विभाग हो, समय से जवाब नहीं मिल पाता है। इस सदन के अन्दर यह प्रश्न उठाया गया और बाहर भी यह कठिनाई आती है। तो उसका फल यही है कि प्रशासन को प्रचंड बनाने के लिये और प्रखर बनाने के लिये क्रास फर्टिलाइजेशन होना आवश्यक है। कम से कम प्रशासन में वेस्टेडे इन्टरेस्ट न होने देना आवश्यक है। मैं इस बात को बारबार दोहराता हूं तो वह केवल इसी दृष्टि से दोहराता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस ओर ध्यान आकर्षित करने की कृपा करें और वह इस पर विचार करें और कदम उठायें।

श्रीमन्, यह जो एक जगह सारे सीनियर लोग भर दिये गये हैं—दो-चार जिलों में कमिश्नर होंगे—किन्तु ज्यादातर यहीं सेक्रेटरियट में रखे गये हैं। यही कारण है कि टाप हैवी एडमिनिस्ट्रेशन हो गया है। आप देखे कि मैं थोड़े से आंकड़े आपके सामने रखता हूं। यह लाखों में दिये गये हैं। आंध्र में ६६५.७३ एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा है। बिहार में १००३.१५ है। जम्मू और काश्मीर में ६२.३० है। मद्रास में ६७५.०४ है। आसाम में १२८.३८ है और उत्तर प्रदेश में २३३५.८५ लाख खर्चा है, क्या बात है? महाराष्ट्र में श्रीमन्, देखलें ८००.४४ लाख। अभी वित्त मन्त्री ने पिछली बार बजट भाषाण में कहा था कि महाराष्ट्र आर्थिक दृष्टि से, उद्योग की दृष्टि से, हम से एडवांस है। सही है, लेकिन उसका बजट तो यह और उत्तर प्रदेश, जिसे हम बैकवर्ड मानते हैं और मुख्य मन्त्री जी ने भी स्वीकार किया है कि हमारा स्टेट एग्रीकल्चरल स्टेट है, बैकवर्ड है, उसमें प्रशासन का खर्च है २३३५.८५ लाख। ऐसी हालत में हमारा स्टेट जैसा है उसका प्रशासन सफलता के साथ चल सकता है? नहीं चल सकता। और इसका निर्माण कैसे हुआ? किसी भी प्रशासक की सफलता, उसकी उपादेयता और उपयोगिता दो बातों पर निर्भर होती है। पहले, कि उसका निर्माण किस कारण हुआ, किस दृष्टि से निर्माण हुआ उसके पीछे वातावरण क्या है। श्रीमन्, आज का प्रशासन का ढांचा अंग्रेजों द्वारा निर्मित हुआ है। और उसके पीछे पुलिस स्टेट का भाव था। हमारा साम्राज्य कायम रहे, यह भाव था और उसके लिये जिस प्रकार विशेष प्रशासन की यहां आवश्यकता थी उसे उन्होंने बनाया। मैं उदाहरण दूं। जैसे लोगों का, कर्मचारियों का करेक्टर रोल होता है। यह अंग्रेजों ने बनाया था। उसमें उनके साम्राज्य को सफलता से कायम करने के लिये, चलाने के लिये, उस दृष्टि से जो ज्यादा काबिल होते हैं उनको विशेष इन्ट्री दी जाती थी और उनको विशेष प्रोमोशन उस आधार पर मिलता था। लेकिन क्या ऐसा करने से उनमें एफीशियेंसी आई? मैं मुख्य मन्त्री जी को सुझाव देना चाहता हूं कि यह छोटी-सी चीज है और उसे आप खत्म कर दें। इससे प्रशासन में क्वालिटी का प्रश्न नहीं रहता, प्रश्न यह रहता है कि अपने सुपीरियर आफिसर की फ्लैटरी कर के कैसे एक कर्मचारी उसे खुश कर सकता है। 'Character Roll is a mirror of one's flatteries to his boss" इसलिये करेक्टर रोल के बदले अगर सर्विस रोल बना दिया जाय तो अधिक उत्तम होगा।

श्री अध्यक्ष—आप अनुवाद भी कर दें।

श्री यादवेन्द्रदत्त—आज कल का करेक्टर रोल एक कर्मचारी की खुशामद करने की पात्रता का शीशा है। प्रशासन की क्षमता या पात्रता का दिग्दर्शन उसमें नहीं होता। इसलिये सर्विस रोल होना चाहिये और उसमें खाली करेक्टर ही न रहे बल्कि उसकी क्षमता, पात्रता, कार्य-कुशलता, और शासन के अन्दर चलने वाले जितने भी विकास और निर्माण के कार्य हैं उनका विवरण कि उसने कितने कम समय और कितने कम पैसे में उसको पूरा किया, उसकी सफलता, आदि का विवरण होना चाहिये। इस सबकी इन्ट्री उसमें होनी

[श्री यादवेन्द्रदत्त]

चाहिये। इसके अतिरिक्त सफल प्रशासक के जो गुण हैं, इनीशियेटिव, सेंस आफ रेस्पांसिबिलिटी आदि का मूल्यांकन भी उसमें होना चाहिये। देखा जाना चाहिये कि उसमें कितना ड्राइव है, कितना इनीशियेटिव है, कितनी जिम्मेदारी की भावना है। ऐसा होने पर काम चलेगा। सफल होना या असफल होना दूसरी बात है। आज का प्रशासन तो जिम्मेदारी टालने का है।

श्रीमन्, एक बात बड़ी हास्यास्पद है। बात यह है कि एक इन्जीनियरिंग स्कूल में सिल-बट्टा खरीदने की योजना हुई। वह सिल-बट्टा बाजार से कहीं भी खरीदा जा सकता था। किन्तु उसके लिये जो इस्टीमेट बने, जिस तरह से रूल्स के अनुसार कागजी कार्यवाही हुई वह चीज देखने की है। उस सिल-बट्टे का नाम रखा गया मार्टर एंड पेस्टिल (mortar and pestle) और यह सब किया गया कि वह किसी क्वालिटी का होगा, कैसे होगा इत्यादि। यह निश्चय किया गया कि उसका स्टाक बाम्बे में है और वहां लिखा जाय। अब उसके लिये श्रीमन्, बाम्बे लिखा गया। उसमें चूंकि यह नहीं लिखा गया था कि वह कितने इंच लम्बा हो, कितने इंच चौड़ा हो, लोहे का हो या पत्थर का हो, इसलिये वह वहां से लौट कर वापस झांसी आ गया। फिर उस कालिज के प्रिंसिपल ने अपने पैसों से एक सिल-बट्टा बाजार से खरीद कर मंगवाया और इंचीटेप से उसकी नाप ली गई, उसको नापा गया और उसकी नाप लिख कर बाम्बे को लिखा गया। वहां से फिर लिख कर के यह आया कि भाई इस तरह यह सिल-बट्टा यहां नहीं होता, इसको आप लोकली परचेज कर सकते हैं। अब आप देखें कि इसमें कितना समय नष्ट हुआ, कितना पोस्टिंग का खर्च हुआ, कितनी मैन-पावर नष्ट हुई, जब कि वही सिल-बट्टा बाजार से खरीदा जा सकता था। तो बात क्या है? कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होता। कागज दौड़ाओ, कागज दौड़ाओ, यही होता है। आपकी सरकार में भी यही होता है। रेड-टेपिज्म यहां इतना है कि वह एक शैतान की आंख की तरह फैलता है और इतना फैलता है कि उससे जनहित का सारा कार्य ही नष्ट हो जाता है।

माननीय मुख्य मन्त्री जी को मैं उदाहरण देता हूं। पिछले साल बजट मार्च सन् १९६० में पास हुआ। सन् १९६१-६२ के नवम्बर तक इस बात की स्वीकृति नहीं दी गई कि किसको इसका पेमेंट करना है। जौनपुर में हरिजन विभाग को कुछ पैसा दिया गया, बहुत से हरिजन विद्यार्थियों को कुछ ग्रांट देने के लिये। वह कई महीनों तक नहीं पहुंचा इसी रेड-टेपिज्म के कारण। बहुत से विद्यार्थियों को वह हरिजन ग्रांट और स्कालरशिप नहीं पहुंची। तो यह सारा रेडटेपिज्म है।

श्रीमन्, आज आवश्यकता है इसको खत्म करने की और उसके लिये सारे प्रशासन में आमूल-चुल परिवर्तन करना होगा। उसके लिये आवश्यक होगा कि एक कमेटी बनाई जाय जो हमारी सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये, हमारे रिसोर्सेज को ध्यान में रखते हुये, हमारी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये अपनी रिपोर्ट दे। आज प्रशासन के सारे ढांचे को बदलने की जरूरत है और वह कैसे हो उसके लिये एक समिति का निर्माण होना चाहिये।

तीसरी बात यह है कि इकोनामी क्या है? हमारे मुख्य मन्त्री जी इकोनामी का बहुत नारा लगाते हैं। ठीक है, इकोनामी भी होनी चाहिये। लेकिन वह कैसे हो? एक तो फाल्स इकोनामी होती है जो देखने में तो लगती है परन्तु उसका असर बड़ा हानिप्रद होता है। दूसरी इकोनामी वास्तव में वह इकोनामी होती है इन कम्पेरीजन टु एफिसिएन्शी होती है, पैसा कम खर्च होता है, परन्तु कार्य की प्रगति तीव्रतर होती है। जब ऐसा होता है तभी उसमें सफल हो सकते हैं।

श्रीमन्, हमारे मुख्य मन्त्री ने बजट में बोलते हुये जो पहले प्रश्न उठा था कि एक आदमी सेक्रेटरी भी है, कमिश्नर भी है, एक ही आदमी को डबल सैलरी क्यों, उसका उत्तर देते हुये

कहा था कि हमारे जो फाइनेंस सेक्रेटरी है वह योग्य आदमी हैं। मैं मानता हूं, कि मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं कि वह बहुत ही कुशल व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा कि उनको दिल्ली में बुलवाया था, उनको हमें रखना है इसलिये हमने उनको ज्यादा पैसा दिया। शायद मैं सही कह रहा हूं और गलती कर रहा हूं तो मुख्यमन्त्री जी मुझे सही कर देंगे, लेकिन इसका माप दंड क्या है? क्या मुख्य मन्त्री जी ने यह भी देखने का कष्ट किया कि उनके विभाग में जब वह से अर्थ सचिव हुये, कितने केसेज पैंडिग हैं जिनका निर्णय अब तक नहीं हुआ? यह फाइनेन्सियल जगलरी है या कार्य-कुलशता? मैं यह कहने को तैयार नहीं हूं कि वह योग्य नहीं हैं, बहुत योग्य हैं, परन्तु जिस प्रकार का वातावरण, परिस्थिति वायु-मण्डल और जिस प्रकार का प्रशासकीय ढांचा है, उसमें कोई कितना भी कार्यकुशल आदमी हो वह असफल हो जायगा। जो इकोनामी की दृष्टि से मैं मन्त्री जी से कहुंगा कि उसके लिये कमेटी बैठ चुकी है—के० के० दास रि–आर्गेनाइजेशन कमेटी बैठी। मैं नहीं जानता कि उस कमेटी की सिफारिशों का क्या हुआ। क्या वे रद्दी की टोकरी में फेंक दी गईं या मन्त्रि-मण्डल ने उनपर विचार किया, या उनको कार्यान्वित करने के लिये हमारे नवल किशोर जी ने कोई पग उठाया? मगर मैं यह जरूर चाहुंगा कि अगर एक कमेटी बैठी, उसने कोई सुझाव दिये तो उन पर विचार होना आवश्यक है और उसका निर्णय भी समाज के सामने आना आवश्यक है और हमारे सामने भी। तो मैं मांग करूंगा कि एक इकोनामी कमेटी बैठा ली जाय। आपकी एस्टीमेट्स कमेटी की रिपोर्ट बराबर आयी। माननीय नवल किशोर जी चेयरमैन थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स में कही इकोनामी की बात, लेकिन मैं तो देखता हूं कि सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। कमेटी की रिपोर्ट आती है, पढ़ी जाती है, माननीय सदस्यों को बांट दी जाती है और विभागों में चली जाती है और फिर रद्दी की टोकरी में फेंक दी जाती है। तो जब आज पैसे–पैसे के लिये इतनी परेशानी है, हमारी योजनाओं को पूरा करने के लिये १३ करोड़ का डेफिसिट बजट बतलाया जाता है, तो आवश्यक है कि हम पैसा पैसा बचायें। इस दृष्टि से मैं आवश्यक समझता हूं कि एक कमेटी बैठाली जाय जिसमें जनता के लोग हों, सरकारी पक्ष के भी हों अधिकारी वर्ग के भी और इस विषय के जो एक्सपर्ट्स हों वह भी हों, साथ ही जो लोग प्रशासन के सारे कार्य को जानते हैं, उसमें उचित सुझाव दे सकते हैं कि कौन-सी कमी की जाय और काटा जाय और डुप्लीकेशन आफ वर्क को रोका जाय, ऐसे लोग न रखे जायं, जिससे एफिशेंसी भी नष्ट न हों और इकोनामी भी हो। इस प्रकार का अध्ययन करके एक स्पष्ट रिपोर्ट हमारे सामने आये, इसकी मैं माननीय मन्त्री जी से जरूर मांग करूंगा।

श्रीमन्, प्रशासन में डुप्लीकेशन आफ वर्क बहुत होता है। मैंने पिछली बार कहा था, आज भी कहता हूं आप देखें कि किसी भी विभाग की योजना डायरेक्टोरेट से बनकर सेक्रेटेरियेट में आये, यही डुप्लीकेशन आफ वर्क है। जो फाइल्स के नोटिंग, ड्राफ्टिंग इत्यादि होते हैं, उसके प्राज ऐण्ड कोंस डायरेक्टोरेट के क्लर्क्स से लेकर डायरेक्टर तक सबने लिखें। फिर उसको थोड़ा बहुत तोड़-मरोड़ कर सेक्रेटेरियेट भेजा जाता है। तो मैंने पिछले बजट के अवसर पर भी कहा था, आज फिर कहता हूं कि डायरेक्टोरट और सक्रेटेरियट को हटा कर मिनिस्ट्री बनाइये, जैसा कि फ्रान्स में है, जर्मनी में है। एक थोड़ा सा बेयर, स्कैलिटन स्टाफ देकर उसको सेक्रेटरी के साथ जोड़ दिया जाय। यह बिल्कुल सही है कि सिविलियन कन्ट्रोल आन एक्सपर्ट एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिये लेकिन सेक्रेटरी के साथ पैराफर्नेलिया है, एक लम्बी लिस्ट है, सचिव, उप-सचिव और भगवान जाने कितने प्रकार के सचिव हैं तो यह केवल डुप्लीकशन करने के सिवा और कुछ नहीं करता। इसलिये इस पद्धिति को बदलना चाहिये।

इसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि जो स्थानीय शासक हैं और जिन पर शासन का भार है उन दोनों में प्रत्यक्ष सम्बन्ध होना चाहिये। आज इस देश में डाइरेक्ट एडमि-निस्ट्रेशन की ज्यादा मांग है और वह ज्यादा लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को तृप्त करने

[श्री यादवेन्द्रदत्त]

में सफल होती है। अगर किसी गांव में ट्यूबवेल की नाली खराब बनी है और अगर प्रशासक गांव में जाता है और प्रत्यक्ष देखता है और आज्ञा दे देता है कि इसको ठीक करदो तो उस से गांव वालों को सन्तोष होता है और जल्दी काम हो जाता है और उचित ढंग से होता है, लेकिन अगर उस कार्य को फाइल वाली सिस्टम में फांस दिया जाय कि चाहे माननीय मन्त्री जी को दरख्वास्त दी जाय या इन्जीनियनर को दी जाय लेकिन वह घूम फिर कर पतरौल के पास भेजी जायगी तो उसमें कितना समय लगेगा ? समस्या साधारण-सी है, ट्यूबवेल का मैंने केवल एक उदाहरण भर दिया जिसके लिये केवल सौ दो सौ रुपये की आवश्यकता है, लेकिन वह समय पर नहीं हो पाता। आज डाइरेक्ट कन्टैक्ट प्रशासन का समाज के लोगों से होना चाहिये, वह नहीं रहा है। इसके लिये टुअर्स एसेंशियल होने चाहिये। आफिसर्स की टूरिंग से बड़ा लाभ होता है, सरकार को वास्तविकता का पूर्ण ज्ञान होता है। आज सरकार को पूर्ण ज्ञान केवल लेखपाल की रिपोर्ट से ही होता है। उसके मन में जो काला-सफेद आता है, लिख देता और सरकार को उसे मानना पड़ता है चाहे वह वास्तविकता से परे ही क्यों न हो।

श्रीमन्, जहां तक मुझे याद है, बजट में कमिश्नरों और जूनियर अफसरों के लिये ८०० रु० शायद मोटर के लिये और ८० रुपये घोड़े के लिये एलाउन्स दिया। माननीय मुख्य मन्त्री जी इसकी जांच करा लें कि कितने अफसर घोड़े पर टुअर करते हैं। यह एक सर्वमान्य बात है कि जितना प्रत्यक्ष कन्टैक्ट और वास्तविकता का ज्ञान घोड़े से हो सकता है उतना मोटर से नहीं या फिर लोग पैदल चलें। मैं मानता हूं कि जिला मैजिस्ट्रेट जो हैं वह सारे जिले को पैदल नहीं घूम सकता। वह घोड़े पर चले, लेकिन आज मोटरों पर टुअर्स होते हैं। मोटरों के टुअर से एक तो वास्तविकता का ज्ञान हो नहीं सकता और दूसरी बात यह कि मोटर पर गांव में जाने से अफसर और गांव वालों के अन्दर एक भावना खड़ी हो जाती है कि हम कुछ हैं और वह कुछ हैं। दोनों की एकता और समन्वय जो होना चाहिये उसमें एक खाई आ जाती है कि वह अफसर और हम प्रजा। यह भावना शासन के लिये अच्छी नहीं है।

दूसरी बात यह कि अफसरों पर जो आरोप लगते हैं जिसमें कुछ सही भी होते हैं और कुछ गलत भी, परन्तु उनकी जांच का प्रोसेस कम्बरसम है। मुझे जहांतक याद पड़ता है, मैंने ५९ के बजट में कहा था कि एक कमेटी बनाओ, डिसिप्लिनरी कमेटी। इस प्रकार की कमेटी बनी भी है परन्तु उसका उपयोग क्या हुआ है ? उस कमेटी के सामने कितने डिसिस्लिनरी मामले आये ? मैं नाम नहीं लेना चाहता, केवल माननीय मुख्य मन्त्री का ध्यान आकृष्ट करूंगा कि ए० डी० एम० महोदय थे, जिनको डी० एम० ने कम्युनल कहकर उनके करैक्टर रोल में एन्ट्री की और वह सज्जन ए० डी० एम० से प्रमोट होते-होते डायरेक्टरेट में बड़े उच्च अधिकारी बन जाते हैं। आप बड़ा नारा लगाते हैं कम्युनलिज्म का। यह सत्य है कि आज कम्युनलिज्म सिर उठा रहा है तो फिर जिन अधिकारियों के करेक्टर रोल्स में ऐसी ऐन्ट्री हुई उनका प्रमोशन कैसे हुआ ? आपको डिसिप्लनरी इंक्वायरी कमेटी बना कर उसके जरिये से कार्य करना चाहिये था। अनुशासनविहीनता और अराष्ट्रीयता के ऊपर अगर उचित दंड समय पर ही दिया गया तो वह और बढ़ेगा और उचित दण्ड देने का मतलब होगा, आपका लीगल प्रशासन कम्बरसम हो रहा है उसको ठीक करना। इसलिये इसके लिये आपको डिसिप्लिनरी इंक्वायरी कमेटी के जरिये से काम करना चाहिये। जब से ये कमेटीज बनीं उन्होंने कितने केसेज हैंडिल किये। मैं यह नहीं जानना चाहता कि उन्होंने कितने केसेज का फैसला किया, लेकिन यह अवश्य जानना चाहूंगा कि कितने केसेज उन्होंने हैंडिल किये। मेरे कहने का मतलब यह है कि इस प्रकार की जो कमेटियां हैं वे डेड हो चुकी हैं।

श्री अध्यक्ष—आप करीब ४० मिनट बोल चुके हैं, कितना समय और लेंगे ?

श्री यादवेन्द्रदत्त—समाप्त ही करने जा रहा हूं।

एक विशेष चीज की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। एफशियेंसी के बारे में में एक सुझाव देना चाहता हूं और गवर्नमेंट आफ इंडिया में भी इस प्रकार का एक सुझाव आया है और जहां तक मेरी जानकारी है गवर्नमेंट आफ इंडिया ने सूबों से भी इस बात की जानकारी की है। तो माननीय मुख्य मन्त्री जी को प्रान्तीय स्तर पर और जिला स्तर पर एफेशियेंसी कमेटी बनानी चाहिये। प्रान्तीय स्तर पर मिनिस्टर के स्तर का कोई आदमी उसका अध्यक्ष हो और जिला स्तर पर इसी प्रकार दूसरे अधिकारी हों जो उनके हाथ में प्रशासन है उसको प्रशासनिक कर्त्तव्य शक्ति का बराबर सर्वेक्षण करते रह सकें। इसलिये मैं चाहूंगा कि आप इस प्रकार की कमेटी बैठायें। इसके बारे में गवर्नमेंट आफ इंडिया का जो रेलेवेंट पैरा है उसको पढ़ देना चाहता हूं—

"The Government of India has decided to appoint a committee of senior officials presided over by the Cabinet Secretary to keep a continuous watch over administrative efficiency and standards in the various ministries, departments and agencies of the Central Government."

इस प्रकार की चीज, मैं चाहूंगा कि आप भी अपन सूबे में रखें, अगर आप चाहते हैं कि आपका एडमिनिस्ट्रेशन टोन अप हो।

श्रीमन्, राजस्थान सरकार ने एडमिनिस्ट्रेटिव रिआर्गेनाइजेशन के बारे में जो रिपोर्ट पेश हुई उस पर निर्णय लेते हुये और उसके द्वारा कमिश्नरों के पदों को समाप्त करते हुये कहा है—

"Though the abolition of the commissioners' posts would not bring in a saving of more than Rs. 6 lakhs, it was felt that under decentralised democracy at the district level and the substantial charges in the role of district collectors, there was no longer any need for Divisional Commissioners."

आप कहते हैं कि हम डिसेंट्रलाइजेशन कर रहे हैं। लेकिन अगर आप डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं तो जिले में जो कलेक्टर का एकाधिपत्य है वह चला जाता है, वह सेट–अप ही बदल जाता है। सर्विसेज की जिले में जो रूपरेखा है, उसका दृष्टिकोण ही बदल जाता है, ऐसी स्थिति में कमिश्नर्स बेकार हो जाते हैं। राजस्थान जो छोटा-सा राज्य है उसने कमिश्नरों को समाप्त करके ६० हजार रुपया बचाया है। अगर आप उनको समाप्त करते हैं तो आप तो काफी रुपया बचा सकते हैं। कलेक्टर का काम एडमिनिस्ट्रेटिव मैशीनरी पर कन्ट्रोल रखना और उसमें कोआर्डिनेशन लाना होता है लेकिन अब आप डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं तो फिर उसकी आवश्यकता ही नहीं रहती। अतः आप एडमिनिस्ट्रेशन में इकोनामी लाने के लिये कमिश्नर के पदों समाप्त करें।

श्रीमन्, मैं कई बार कह चुका हूं और अब फिर माननीय मुख्य मंत्री से आग्रह करूंगा विनम्रता से कि आपकी सर्विसेज में एक हार्ट-बर्निंग है यह देख कर कि भारत सरकार का एक आदमी वही काम करता है और कुछ पाता है और वही काम उतने ही समय में उत्तर प्रदेश का आदमी करता है तो वह कुछ पाता है। इससे स्वाभाविक है कि दोनों के अन्दर हार्ट बर्निंग होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके सर्विसेज की एफिशिएंसी बढ़े तो हार्ट बर्निंग को खत्म करना जरूरी है और यह तभी खतम होगी जब दोनों की पे स्केल बराबर हो। "ईक्वल पे फार ईक्वल वर्क"। इस दृष्टि से पे स्केल का डिवीजन होना आवश्यक है—"फ्राम हेड आफ दि डिपार्टमेंट टु डाउन वर्ड"। परन्तु इस दृष्टि से रिवीजन न हो कि अधिक तनख्वाह वाला ही अधिक पावे बल्कि इस दृष्टि से रिवीजन हो कि कम तनख्वाह वाले अधिक पावें। तो पे

[श्री यादवेन्द्रदत्त]

स्केल के रिवीजन के लिये आवश्यक है कि आप एक पे कमीशन बिठावें क्योंकि प्रशासन की सफलता, इसकी उपयोगिता, इसकी क्षमता प्रशासन में काम करने वाले कर्मचारियों पर निर्भर है और अगर असन्तुष्ट कर्मचारी रहे तो कोई कार्य सफल नहीं होगा। यदि इस मशीन का कोई भी पुर्जा असन्तुष्ट रहे, कमजोर रहे तो मशीन ठप्प हो सकती है। उनकी मनोभावना का आदर करना आवश्यक है और इस परिस्थिति में जब इतनी महंगाई है, इस महंगाई और बढ़ते हुए टैक्स में आवश्यक है कि पे स्केल का रिवीजन हो और वह रिवीजन इस दृष्टि से हो कि भारत सरकार और यहां के कर्मचारियों में कोई अन्तर नहीं होना चाहिये।

अन्त में एक शिकायत सब जगह रहती है। वह वातावरण का ज्यादा प्रश्न है कि जनता के साथ प्रशासन का सम्बन्ध बहुत अच्छा नहीं है और इसका कारण यह है कि हमारी मनोवृत्ति अभी वही बृटिश काल की है। मैं मानता हूं कि बहुत मात्रा में उसमें कमी हुई है लेकिन आज की स्थिति में, और आज के जनतंत्र में जिस प्रकार उनको अपने को एडाप्ट कर लेना चाहिये, ढाल लेना चाहिये, वह अभी पूर्ण रूपेण नहीं कर सके हैं। माननीय नवलकिशोर जी ने जिस बात का अपने भाषण में बहुत जिक्र किया है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि महाराज, आप जब से मंत्री हुए उस दृष्टि से आपने क्या कदम उठाया। आज यदि हम सब देखें तो प्रशासक को समाज के साथ और समाज के लोगों के साथ सिम्पैथेटिक होना चाहिये। आज ज्यादातर हम देखते हैं कि प्रशासन का व्यवहार जनता के साथ वैसा नहीं होता। आज तो ह्यूमन टच चाहिये और उस ह्यूमन टच की ट्रेनिंग को बढ़ाने की आवश्यकता है। आज हम देखते हैं कि बहुत से लोग विकास अधिकारी बना दिये गये हैं लकिन वे जानते तक नहीं कि विकास क्या है। इस प्रकार उनको एक रिफ्रेशर कोर्स लेना होगा, स्पेशलाइजशन इन सर्विसेज करना होगा। आज सिविल सर्विस की जरूरत नहीं है। मुझे तो यह सुनकर आश्चर्य होता है कि ये अपने को सिविल सर्विस का कहते हैं तो क्या और लोग अनसिविल हैं? यह हमारी दासता की एक देन है। आज आवश्यक है कि स्पेशलाइजेशन आफ सर्विसेज हो, इंडस्ट्रियल सर्विसेज हो, इंडस्ट्रियल कैडर हो, सोशल कैडर हो। जिस तरह से ऐडमिनिस्ट्रेटिव कैडर होता है, फारेन सर्विसेज कैडर होता है, उसी तरह से आप क्यों नहीं इंडस्ट्रियल कैडर बनाते, क्यों नहीं सोशल सर्विसेज कैडर बनाते?

आज हम देखते हैं कि समाज कल्याण विभाग में जो समाज का कल्याण करने के लिये नियुक्त ही वे जानते तक नहीं कि समाज कल्याण क्या होता है और कैसे होता है। मैं नाम तो नहीं लूंगा परन्तु ऐसे भी ए० डी० ओज० और बी० डी० ओज० समाज कल्याण विभाग में काम कर रहे हैं उनसे समाज का कल्याण होने के बजाय समाज का अकल्याण ही हो जाता है। आज इन लोगों के मन में एक कल्पना है कि समाज कल्याण का होना व्यक्तिगत पेट का कल्याण करना ही है। यह उनकी शिक्षा दीक्षा और दृष्टिकोण की वजह से ही है। जब तक कैडर के अन्दर स्पेशलाइजेशन नहीं होगा तब तक ऐडमिनस्ट्रेशन सफल नहीं हो सकता। इसके लिये एक स्पेसिफिक दृष्टिकोण होना चाहिय। अगर समाज को स्पेसिफिक दिशा की ओर बढ़ाना चाहते हैं तो उस ओर जाने के लिये स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन चाहिये। इन्हीं कारणों से श्रीमन्, मैंने कटौती का प्रस्ताव माननीय मंत्री जी के सामने रखा है, उसके पीछे यही कारण है और मुझे आशा है कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे, क्योंकि इधर और उधर बैठने वाले हम सभी प्रशासन की सफलता चाहते हैं, कि हमारे प्रदेश का प्रशासन अच्छा हो, यहां की एफीशियंसी बढ़े, क्योंकि प्रशासन के विषय में कोई राजनैतिक मतभेद नहीं हो सकता और इसलिये यह आवश्यक है कि प्रशासन को राजनीति के ऊपर रखा जाय और उसको राजनीति में न खींचा जा।

यह मैंने पहले भी कहा है और फिर दोहराता हूं कि यह एक बड़ी स्वाभाविक टैम्पटेशन है और उसमें लोग पड़ जाते हैं। हमने इसमे कहा है कि एलेक्शन्स में सेक्रेटरियों या सरकारी अधिकारियों को वोट न देन दें और अगर हम ऐसा करते हैं तो इसके माने यह हैं कि हम उनको भी पार्टी पालिटिक्स में खींचते हैं। इससे प्रशासन भ्रष्ट होगा। इन शब्दों के साथ मैं अपने प्रस्ताव को रखता हूं और इस विश्वास के साथ कि इस पर पार्टी

पालिटिक्स या राजनैतिक दृष्टिकोण से विचार न होगा बल्कि हमारी आप की सब की जो एक समान दृष्टि है कि हमारा प्रशासन सफल हो, एफीशियेंट हो और सारी आवश्यकताओं को पूर्ण करने में वह सफल हो, इस दृष्टि से हम इस पर विचार करें। मैं समझता हूं कि सदन हमारे विचारों से सहमत होगा और मेरे कटौती के प्रस्ताव को सपोर्ट करेगा।

(अनुदान संख्या १०—सामान्य प्रशासन)

(लेखा शीर्षक १९—सामान्य प्रशासन—३९—प्रकीर्ण—सामाजिक तथा विकास संबंधी संगठन)

क्रम सं०	प्रस्ताव का नाम	प्रस्ताव का रूप
१	श्री जे० पी० मिश्र	मद—सामान्य प्रशासन के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।
२	श्री चिरंजीलाल	मद–(ख) जिला कर्मचारी वर्ग के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—अव्यावहारिक सरकारी नीति पर चर्चा करना तथा विभागीय नीति की आलोचना करना व उचित सुझाव देना।
३	श्री ऊदल	पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—प्रशासन के जनवादीकरण करने का सुझाव, प्रशासन को मितव्ययी बनाने के लिये सुझाव तथा सचिवालय पुनःसंगठन के सुझावों को ठीक से लागू न करने की वजह से सरकार की आलोचना तथा स्टाफ की बढ़ोत्तरी की वजह से खर्चा बहुत बढ़ गया है जिसे कम करने का सुझाव व अलग से विभाग (शाखा) बढ़ाने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने का सुझाव।
४	श्री चिरंजी लाल	मद—(ख) राज्य विधान सभा के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा उचित सुझाव देना।
५	श्री लाल बहादुर सिंह	मद—८—सामान्य प्रशासन के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—जिन लोगों का स्थायीकरण किया जाय उनके बारे में सुझाव देना।
६	श्री टम्बेश्वरी प्रसाद	मद—सामान्य प्रशासन के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—अफसरों में निष्क्रियता एवं पार्टीबन्दी का उदय जिससे जनतंत्र खतरे में पड़ गया है।

[श्री यादवेन्द्रदत्त—]

क० सं०	प्रस्तावक का नाम	प्रस्ताव का रूप
७	श्री कृष्णानन्द राय	मद—अस्थायी कर्मचारी के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य—सरकार के अस्थायी कर्मचारियों के पद व स्थान स्थायी करने का सुझाव और सम्बन्धित नीति पर बहस करना ।
८	श्रीमती विनय लक्ष्मी	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य—ज्यों-ज्यों प्रशासनिक व्यय बढ़ता जा रहा है, त्यों-त्यों भ्रष्टाचार भी बढ़ता जा रहा है और राज्य कर्मचारियों की कार्यदक्षता क्षीण होती जा रही है । इससे जनता की संसदीय शासन प्रणाली से आस्था उठती जा रही है ।
९	श्री चन्द्रजीत	मद—सामान्य प्रशासन के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य—सुझाव देना और शिकायतें करना ।
१०	श्री कृष्ण चन्द्र	सम्पूर्ण मद के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य—सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत सम्पूर्ण नीति पर विचार करना तथा सुझाव देना ।
११	श्री महादेव	मद—सामान्य प्रशासन के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य—प्रशासन में पिछड़े और दलित वर्गों को उचित स्थान नहीं है, इसकी आलोचना करना ।
१२	श्री रामभजन	मद—सामान्य प्रशासन के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य—प्रशासन में जागरूकता लाने एवं ढिलाई दूर करने के लिये सुझाव ।
१३	श्री जगदम्बा प्रसाद	मद—(२) भूमि-व्यवस्था के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा उचित सुझाव देना ।
१४	सर्वश्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह, भानुप्रताप सिंह, काशीनाथ बहादुर, मुन्नूसिंह, विजय सिंह, चैतन्यराज सिंह, राम अधार कन्नौजिया, प्रेम सिंह, नवरंग सिंह तथा बलबीर सिंह ।	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में सौ रुपये की कमी की जाय । कमी करने का उद्देश्य—सम्पूर्ण अनुदान की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

क्र० सं०	प्रस्तावक का नाम	प्रस्ताव का रूप
१५	श्री उग्रसेन	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में सौ रुपये की कमी की जाय । कमी करने का उद्देश्य—सत्ता के विकेन्द्रीकरण की मांग करना।
१६	श्री जगदम्बा प्रसाद	मद—घ—राजस्व परिषद् के अधीन मांग की राशि में सौ रुपये की कमी की जाय । कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा उचित सुझाव देना ।
१७	श्री चिरंजीलाल	मद—जिला निर्वाचन कार्यालय के अधीन मांग की राशि में सौ रुपये की कमी की जाय । कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना और उसकी कमियों की ओर ध्यान दिलाना ।

अनुदान संख्या ११

(लेखा शीर्षक: १९—सामान्य प्रशासन)

१	श्री शिवदान सिंह	मद—ख—जिला प्रशासन के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य—खर्चा बढ़ाये जाने की नीति का विरोध।
२	श्री जगदम्बा प्रसाद	मद—ग—अन्य अधिष्ठान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की कमी की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित कराना तथा उचित सुझाव देना ।
३	श्री कृष्ण चन्द्र	सम्पूर्ण मद के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य—आयुक्त तथा जिला प्रशासन के अन्तर्गत नीति पर विवाद करना तथा सुझाव देना ।
४	श्री लाल बहादर सिंह	मद—३—के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य—उत्तर प्रदेश सिविल सर्विस की संख्या बिना बढ़ाये भी काम चल सकता है ।
५	श्री लाल बहादुर सिंह	मद—२—जुडिशियल अफसरों के बारे में—के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य—जुडिशियल अफसरों के बारे में सुझाव देकर कठिनाइयों को दूर करना ।

[श्री यादवेन्द्रदत्त—]

क्र० सं०	प्रस्तावक का नाम	प्रस्ताव का रूप
६	श्री लालबहादुर सिंह	मद—१७—के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य—जुडिशियल अफसरों के यहां जो रीडर काम करते हैं उन पर कुछ सुझाव देना ।
७	श्री कृष्णानन्द राय	मद—मंहगाई और रहन-सहन व्यय का प्रतिकर भत्ता के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य—कर्मचारियों के मंहगाई और रहन-सहन व्यय के प्रतिकर भत्ते केन्द्रीय सरकार के अनुरूप बनाने पर बहस एवं विचार करना ।
८	श्री चन्द्रजीत तथा श्री ऊदल ।	मद—आयुक्त और जिला प्रशासन के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य—सुझाव देना और शिकायतें करना ।
९	श्री उग्रसेन	मद—आयुक्त और जिला प्रशासन के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य—जिलाधीश के पदों को समाप्त कर चौखंभाराज की नीव डालने का सुझाव देना ।
१०	श्री महादेव	मद—आयुक्त तथा जिला प्रशासन के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य—प्रशासन में पिछड़े और दलित वर्गों को उचित स्थान नहीं है, इसकी आलोचना करना ।
११	श्री चिरंजी लाल	म —क—सामान्य अधिष्ठान तथा (क) १—अधिकारियों का वेतन के अधीन मांग की राशि में सौ रुपये की कमी की जाय । कमी करने का उद्देश्य—विभागीय कमियों की आलोचना करना तथा उचित सुझाव दना ।
१२	श्री जगदम्बा प्रसाद	मद—उत्तर प्रदेश शुद्ध खाद्य अधिनियम के प्रशासन पर आकस्मिक व्यय के अधीन मांग की राशि में सौ रुपये की कमी की जाय । कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा उचित सुझाव देना ।
१३	सर्वश्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह, भानु प्रताप सिंह, काशीनाथ बहादुर, मुन्नू सिंह, विजय सिंह, चैतन्य राज सिंह, राम अधार कन्नौजिया, नवरंग सिंह, प्रेम सिंह तथा बलबीर सिंह ।	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में सौ रुपये की कमी की जाय । कमी करने के उद्देश्य—सम्पूर्ण नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

[ ] उक्त कटौती के प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये माने गये ।

श्री बृजभूषण शरण (जिला देहरादून)—अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय नेता विरोधी दल के भाषण को बड़े गौर से सुना। दुर्भाग्यवश मेरे पास इतना समय तो नहीं है कि हर उस बात पर जो कि उन्होंने कही है मैं अपने विचार आपके सामने ब्योरे से प्रस्तुत कर सकूं, परन्तु फिर भी कुछ चन्द बातें जो बलपूर्वक आदरणीय नेता विरोधी दल ने आपने सामने रखी हैं और खास-तौर से जिसके लिये माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध किया है कि उनको मान लिया जाय, उन्हीं के जवाब में मैं चन्द बातें निवेदन करूंगा।

माननीय नेता विरोधी दल ने एक बड़ा स्वाभाविक आक्षेप यह किया है कि हमारे सेक्रेटेरियट में दस-दस, बारह-बारह साल से कुछ लोग पड़े हुये हैं और यहां कुछ वेस्टेड इन्टरेस्ट्स बन गये हैं और उन्होंने माननीय नवलकिशोर जी का कोई भाषण भी उसकी सपोर्ट में पेश किया है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से आप के द्वारा अनुरोध करूंगा कि यह कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसमें कोई दूसरा प्वाइंट आफ व्यू न हो सकता हो। विरोधी दल के लोग रोज चिल्लाते हैं कि ब्यूरोक्रेसी मजबूत हो रही है और उसकी चारों तरफ स्टील फ्रेम की सी ताकत बढ़ रही है, लेकिन जो सुझाव वह देते हैं उससे तो उसकी ताकत और बढ़ेगी। माननीय मुख्य मंत्री जी अगर ऐसी व्यवस्था कर दें कि वह सेक्रेटेरियट की सर्विसेज अलग कर दें और जिले के प्रशासन की सर्विसेज को अलग कर दें तो ज्यादा बेहतर होगा। राजा साहब के शब्दों में क्रास फर्टिलाइजर शासन की दृष्टि से जरूरी है, शायद उनका मतलब यह है कि जिले के कलेक्टर को यहां बुलाकर डिप्टी सेक्रेटरी और सेक्रेटरी बनाया जाय और यहां के डिप्टी सेक्रेटरी और सेक्रेटरी को जिले में ले जा कर कलेक्टर और एडीशनल कलेक्टर बनाया जाय। परन्तु यदि आप ध्यान दें और गौर करें कि इसका दुष्परिणाम क्या होगा, यदि आप चाहते हैं कि सर्विसेज अच्छी तरह से अपना काम करें और साहस के साथ सही बात करें तो आप जो कुछ भी करें वह विचारपूर्वक करें। इसका परिणाम यह होगा कि फर्ज कीजिये कि एक जिला अधिकारी, कलेक्टर, अपना एक प्वाइंट आफ व्यू या दृष्टिकोण रखता है और एक सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर, हमारी डेवलपिंग इकोनामी है, हम विकास के कार्य में लगे हैं, वह अपना एक दूसरा दृष्टिकोण रखता है, लेकिन अगर अवसर आता है तो वह कभी हिम्मत नहीं करेगा कि वह बलपूर्वक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के दृष्टिकोण से डिफर कर सके, क्योंकि वह जानता है कि हो सकता है कि कल को वह प्रशासन में आकर यहां पी० डब्लू० डी० सेक्रेटरी बन जाय और उसको उसकी मातहती में सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर रहना पड़े। इस तरह से शासन खराब हो जाता है। दस साल से पड़े रहने की बात तो क्या, मैं चाहता हूं कि उनको अलग से स्थायी तौर से यहां रखा जाय। उनका कहना है कि उनको जिलों का ज्ञान नहीं रहा। मैं कहता हूं कि जिलों के ज्ञान की क्या जरूरत है, इन लोगों को यहां आदेशों और कानून को एग्जीक्यूट कराने के लिये रखा जाता है, जिलों का ज्ञान तो आप को और हमें रखना चाहिये, वह तो केवल एग्जिक्यूट करने का काम करते हैं, उसका ज्ञान वह रखते हैं। जिलों का ज्ञान तो रोज रोज का हम उनको कराते हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से आदरपूर्वक प्रार्थना करूंगा कि वह इस सुझाव पर विचार करें और ज्यादा गौर करें कि सेक्रेटेरियट सर्विसेज बिल्कुल अलग की जायं ताकि यह निष्पक्ष कार्य कर सकें, स्पेशलाइज्ड काम हो और डिस्ट्रिक्ट सर्विसेज बिल्कुल अलग की जायं। सिर्फ तनख्वाहों का ही प्रश्न है तो वह जिले में रह कर ही कमिश्नर तक प्रोमोट किये जायं और उसी हिसाब से अपनी तनख्वाहें पायें। लेकिन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को यहां तक बुलाने के मतलब दूसरे विभाग के लोगों को कुचल देना है, क्योंकि कोई डी० एफ० ओ० यहां सेक्रेटरी हो कर आता नहीं। अगर इस तरह से रोज-रोज तब्दीलियां की जायंगी तो शासन में बड़ी कालिमा आयेगी।

माननीय नेता विरोधी दल ने कहा कि यह एवर ऐक्सपेंडिंग ऐडमिनिस्ट्रेशन है। जब रोज-रोज नई नई योजनायें बन रही हैं, पब्लिक सेक्टर में नये-नये काम खुल रहे हैं ऐसी हालत में राज्य का कार्यक्षेत्र बढ़ना स्वाभाविक है जिसके साथ ऐडमिनिस्ट्रेशन भी बढ़ेगा।

[श्री बृजभूषण शरण]

तीसरी बात उन्होंने यह कही कि कैरेक्टर रोल नहीं होना चाहिये, क्योंकि कैरेक्टर रोल की वजह से मातहत अफ़सर की खुशामद में लगे रहते हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने यह कहा कि एक ऐडीशनल डी० एम० के कैरेक्टर रोल में लिखा हुआ था कि वह कम्युनल है फिर भी उसे किसी विभाग का अध्यक्ष बना दिया। तो वह दोनों सेल्फ़ कंट्राडिक्टरी बातें हैं। मेरा विनम्र निवेदन है कि कैरेक्टर रोल का न होना कर्मचारियों को बिल्कुल बे लगाम का घोड़ा बना देना है। कर्मचारी उच्छृंखल हो जायंगे और सरकार की नीति का पालन भी नहीं करेंगे, क्योंकि वह समझेंगे कि उनका कोई कुछ कर तो सकेगा नहीं। डिसिप्लीनरी ऐक्शन की बात उन्होंने कही। लेकिन उसके बाद भी रिट्स हो जाती है। अतः कैरक्टर रोल का अगर डर न रहे तो वह कभी कोई काम कर ही नहीं सकते।

उन्होंने एक उदाहरण दिया सिल बट्टे का कि उसकी खरीदारी में काफ़ी समय बरबाद किया गया। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी की सेवा में इससे भी अहम एक बात रखना चाहता हूं जो मुझे पता लगी है, और मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह उसकी जांच करा लें और अगर सत्यता हो तो जो मुनासिब कार्यवाही समझे वह करें। माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपनी ओपनिंग स्पीच में ही कहा है कि मुझसे बहुत से भूलें हुई होंगी, इतनी क्षमता भी नहीं है जितनी होनी चाहिये उसके लिये उनके सुझाव आमंत्रित करता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि अध्यक्ष महोदय के जिले के आस-पास एक सरजू ब्रिज बन रहा है, मुझे यह पता लगा है कि पहले ब्रिज रेल -कम-रोड बनने वाला था मगर महज इसलिये कि कौन झंझट में पड़े, केन्द्रीय सरकार से लिखा पढ़ी की जाय, यह सोच कर निश्चय किया कि सड़क का पुल ही बनाया जाय। अगर केन्द्रीय सरकार को जरूरत होगी तो अपने आप दूसरा पुल बनायेगी। मेरा कहना है कि अगर दोनों सरकार आपस में कोआर्डिनेट करें, लिखा पढ़ी करें तो रेल-कम-रोड पुल बनाने में काफी रुपये की बचत होगी। माननीय मुख्य मंत्री जी पता लगायें कि यह विचार क्यों बदल गया। साथ ही मुझे यह भी पता लगा है कि सरजू ब्रिज पर जो फर्म के इंजीनियर्स हैं उन्होंने एक सुझाव दिया कि आपको अपनी पावर की लाइन ले जानी पड़ेगी, अब नहीं साल, दो साल बाद ले जानी पड़ेगी। अगर सरकार का इरादा ऐसा हो तो अभी से ब्रिज को इस डिज़ाइन का बना दें जिससे पावर लाइन साथ-साथ ले जायी जा सके, बजाय इसके कि बाद में लाइन ले जाने के लिये खम्भे वगैरह लगाने के लिये फिर से लाखों रुपया खर्च किया जाय। मुझे पता लगा है कि ऐग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर को लिखा है मगर कागजों के ढेर में यह मामला दबा पड़ा है और इस तरफ कोई तवज्जह नहीं दी जा रही है। अब अगर आपको पावर लाइन ले जाने के लिये बाद में २० लाख रुपया खर्च करना पड़ा तो जरूर वह क्रिमिनल वेस्ट है। असल बात यह है कि कोआर्डिनेशन की आज आवश्यकता है। हमारे बड़े-बड़े अधिकारी और निम्न श्रेणी के जो कर्मचारी हैं वे सब देशभक्त बनें। जैसा दुबे जी ने कहा मैं उनसे सहमत हूं कि आज वे टाल मटोल का काम करते हैं। जरूरत इस बात की है कि उनके अन्दर इस बात की स्प्रिट पैदा होनी चाहिये कि वे जिम्मेदारी लें और राष्ट्रप्रेम प्रदर्शित करें। उसमें थोड़ी सी भूलें जरूर होंगी जो ज्यादा काम करेगा तो उससे ज्यादा गलतियां भी होंगी। अगर हर एक उनका कपड़ा नोचेगा और खाल नोचेगा तो वह सोचेंगे कि हम काम न करें, क्योंकि काम न करने से कोई गलती न होगी। ऐसी सूरत में उदारतापूर्वक हमें उनके साथ व्यवहार करना पड़ेगा। जो आदमी अपने इनिशियेटिव से, अपनी जिम्मेदारी महसूस करते हुए काम करता है और उससे गलती हो जाय तो उसकी गलती को माफ करना चाहिये।

हमारे अफसरान एक दूसरे से इस तरह बंधे हुए हैं कि एक कागज एक जगह से चला और दो, तीन, चार पांच सीढ़ी तक वह चला जाता है। जो रिआर्गनाइजेशन कमिश्नर मुकर्रर हुए थे उन्होंने कुछ सिफारिश की थी या नहीं की थी? अगर कुछ इस तरह की सिफारिशें हों जहां तमाम सीढ़ियां हैं उन्हें कुछ कम किया जाय तो उन पर विचार किरना चाहिये, क्योंकि उन्हें कम करने से जहां प्रशासन में बचत होगी, वहां एफिशियेंसी में भी फर्क आ जायगा और आप

अपने काम को जल्दी निपटा सकेंगे। इसलिये बजाय इसके कि हम विरोध करें हमें यह मानना चाहिये कि हमारी सर्विसेज ने बड़ी प्रशंसा के कार्य किये हैं। १९४७ में जब पार्टीशन हुआ तो इतने बड़े-बड़े आई० सी० एस० आफिसर्स रिटायर होकर इंगलैण्ड चले गये। कुछ पाकिस्तान चले गये। उन सब की जगह भर कर १५ साल में उन्होंने इतना बड़ा काम किया है, डेवलपमेंट के काम को हैंडिल किया है, इसके लिये हमें उनकी प्रशंसा करनी चाहिये और जहां उनकी कमियां हों वहां उनकी ताड़ना भी देनी चाहिये। मैं आपका मशकूर हूं कि आपने इस बजट अनुदान पर मुझे अपने विचार प्रकट करने को मौका दिया।

श्री काशीनाथ (जिला बलिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रशासन के सिलसिले में जो कटौती का प्रस्ताव पेश है और अभी सरकारी पक्ष से जो उस सम्बन्ध में जवाब दिये गये उस सम्बन्ध में मैं इस आदरणीय सदन के सम्मुख कुछ कहना चाहता हूं। प्रशासन की जो कड़ी पिछले अंग्रेजी जमाने में चालू की गयी थी वह प्रशासन की कड़ी आज भी मौजूद है। प्रशासन के अनुदान पर बहस करते समय इस आदरणीय सदन को विचार करना चाहिये कि उसमें मौलिक परिवर्तन की जरूरत है। जहां तक अफसरों की कार्य कुशलता का प्रश्न है उस पर बोलते हुए माननीय दुबे जी ने काफी प्रकाश डाला है। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि प्रशासन की यह कड़ी जो पहले १००–१५० साल से चली आ रही है उसमें मौलिक परिवर्तन वांछनीय है।

मैं समझता हूं कि पिछले १४ सालों से हमारी कांग्रेस सरकार का ध्यान इस तरफ नहीं गया है। जैसे कि दुबे जी ने इशारा किया, आवश्यकता आज इस बात की है कि राजस्थान की तरह यहां भी कमिश्नर का ओहदा खत्म कर दिया जाय। इसके मानी यह हैं कि राज्य सत्ता के विकेन्द्रीकरण की जरूरत है। संगठन तथा ढांचा इस सरकार ने जरूर खड़ा किया है विकेन्द्रीकरण का, लेकिन उनको आप प्रशासन में अधिकार कहां देते हैं? उस दृष्टि से आप देखें तो गांव सभाओं, पंचायतों, अन्तरिम जिला परिषदों को कोई विशेष अधिकार नहीं दिया गया। आज का शासन मैं समझता हूं कि केन्द्र और राज्य, इन दो ही क्षेत्रों में सीमित है। शासन को विकेन्द्रित करने के लिये, राज्य सत्ता को साधारण लोगों तक पहुंचाने के लिये यह आवश्यक है कि शासन को चौखम्भा राज्य के आधार पर बनाया जाय और उसकी पहली इकाई गांव सभा, दूसरी जिला पंचायत, तीसरी सूबा और चौथी केन्द्र हो और इन इकाइयों को करीब-करीब बराबर के धारा सभा का अधिकार मिलना चाहिये। गांव के स्तर पर जो शासन की व्यवस्था हो, जितने कर्मचारी वहां काम करते हों उन सब पर अधिकार गांव सभा का होना चाहिये। इसी तरह से जिला पंचायत हो। ग्रेट ब्रिटेन में जो शासन व्यवस्था अंग्रेजों ने खड़ी की है आप गौर करें कि क्या हिन्दुस्तान की प्रशासन व्यवस्था भी वैसी ही है? आप मुकाबला करें तो देखेंगे कि अंग्रेजों ने अपने देश में जो ढांचा खड़ा किया है वह हिन्दुस्तान के ढांचे से बिल्कुल भिन्न है। जिलाधीश के ओहदे को ले लीजिये। आज दुनियां के किसी भी देश में आप जिलाधीश का ओहदा नहीं पावेंगे और न जितने अधिकार यहां के एक जिलाधीश को होते हैं उतने अधिकार वहां किसी एक अधिकारी के पास पायेंगे। यहां जिले के सभी अफसरों की नकेल एक अफसर के हाथ में रख दी। और उस अफसर की नकेल राज्य के गवर्नर के हाथ में रख दी। यह तो अंग्रेजों ने यहां गुलामी और नौकरशाही को कायम रखने के लिये किया था। आज यह जरूरी है कि जिलाधीश का ओहदा खत्म किया जाय। अभी माननीय दुबे जी ने भी इस ओर संकेत किया था। आज अगर एक मामूली सी दरख्वास्त जिलाधीश के पास जाती है तो वह लिखता है कि "एस० डी० ओ० टु रिपोर्ट" और एस० डी० ओ० लिखता है "तहसीलदार टू रिपोर्ट" और तहसीलदार लिखता है "कानूनगो टु रिपोर्ट" और कानूनगो लिखता है, 'लेखपाल टु रिपोर्ट"। इस तरह से ४–५ दिन तक वह दरख्वास्त घूमती रहती है और उसके बाद जो रिपोर्ट लेखपाल से मिलती है वह कितनी सही होती है यह उस तरफ बैठने वाले माननीय सदस्य अच्छी तरह जानते हैं। जो रिपोर्ट लेखपाल

[श्री काशीनाथ]

से मिलती है उसकी सारी जिम्मेदारी आप गांव सभा को दें तो आपको सही खबर मिल सकती है। इसी तरह मैं समझता हूं कि इंगलैंड की काउन्टी कौंसिल ी तरह पुलिस का महकमा जिला पंचायत के मातहत होना चाहिये। यह हो सकता है कि जिला पंचायत में जो लोग आते हैं वे शायद जिम्मेदारी के साथ पुलिस को अपने मातहत न रख सकें। हमारा देश बहुत दिनों तक गुलाम रह चुका है। लेकिन प्रजातन्त्र के विकास के लिये वह खतरा हमें मोल लेना ही होगा। यह आवश्यक है कि जिले के प्रशासन को राज्य के हाथ से हटा कर जिला पंचायत के हाथ में दिया जाय। इस तरह से शासन को विकेन्द्रित करके चार आधारों पर खड़ा किया जाना चाहिये।

मैं समझता हूं कि आज गवर्नर के पद की भी हिन्दुस्तान में आवश्यकता नहीं है। राज्यपाल का ओहदा खत्म होना चाहिये। बहुत से ऐसे विभाग हैं जिनमें बहुत पैसा खर्च होता है और जनता का उनसे कोई मतलब नहीं है। आज राज्यपाल के भवन के अन्दर बहुत से और भी अफसर हैं। एक सोडा वाटर अफसर भी है। वह अंग्रेजों के जमाने में रहता था। वह इसलिये था कि अंग्रेज शराब पीते थे और उनके यहां आने वाले भी शराब पीते थे, लेकिन आज उस पद की कोई जरूरत नहीं है। शासन में दक्षता लाने के लिये भी यह बहुत जरूरी है कि हम बहुत से ऐसे मुहकमे इसलिये न खोलें कि अपने सगे सम्बन्धियों को या कुछ लोगों को नौकरी देनी है। जिले में सूचना अधिकारी, ग्राम सेवक, सेविका आदि महकमें राष्ट्रीय उत्पादन और प्रगति की दृष्टि से बेमतलब और फिजूल हैं। बल्कि जिस महकमें से कोई मतलब न हल होता हो और उससे प्रगति न हो उससे अच्छा तो वह मुहकमा खुले ही न।

जहां तक सरकारी अफसर के राजनीति में भाग लेने का प्रश्न है, बहुत बहस यहां पर हुई कि इससे क्षमता गिरती है। मैं समझता हूं कि जिस तरह से अमेरिका में किया गया है उसी तरह का कानून हम यहां भी बना दें कि पुलिस और फौज विभागों के कर्मचारियों को छोड़कर सभी सरकारी कर्मचारी राजनीति में भाग लें सकते है, वोट दे सकते है, बातचीत कर सकते हैं और प्रचार कर सकते है। जो यहां आदेश है कि सरकारी नौकर राजनीति में भाग न लें हांलाकि वे लेते हैं, क्योंकि आज का हर एक आदमी अपने को राजनीति से बिलकुल अलग तो रख ही नहीं सकता। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से अमरीकी जनतंत्र में कानून बना दिया गया है अगर उसी तरह का यहां भी कानून बना दिया जाय तो उससे शासन के अन्दर दक्षता या कुशलता आयेगी।

जहां तक ए० डी० ओ० और बी० डी० ओ० की बात है, इस महकमें के लोग किस तरह से काम करते हैं, इनका संबंध गांव की जनता से किस तरह का है, और जनता के साथ उनका बर्ताव किस तरह का है। यह सभी लोग जानते है जब माननीय स्वर्गीय पंडित गोविन्द वल्लभ जी यहां के मुख्य मंत्री थे और यह बी० डी० ओ० का मुहकमा कायम हुआ था तो बी० डी० ओज० के एक सम्मेलन में उन्होंने यह कहा था कि यह फौज कोट, सूट, बूट, टाई पहन कर देहाती जनता की सेवा कहां तक कर सकती है इसमें मुझे सन्देह है। अगर गांव के लोगों की तरह साधारण वस्त्र पहने तो उससे जनता के बीच में घूमकर काम कर सकते हैं और उससे मैं समझता हूं कि प्रशासन में भी दक्षता आ सकती है। अफसरों के पहनावे के विषय में भी कानून बनना चाहिए।

इसके अलावा प्रशासन में एक चीज और चल रही है जातीयता और पक्षपात। इसकी तरफ भी मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा। माननीय स्वर्गीय पंडित गोविन्द वल्लभ पन्त जी जब इस प्रदेश के मुख्य मंत्री थे तब बड़े-बड़े अफसरों में ज्यादा संख्या ब्राह्मणों की थी। जब संपूर्णानन्द जी आये तब बड़े-बड़े आफिसर ज्यादा कायस्थ थे और जब माननीय गुप्त जी मुख्य मंत्री हैं तो उनकी कौम के लोग अधिक हैं।

श्री अध्यक्ष—माननीय काशीनाथ जी, आपका समय समाप्त हो गया।

श्री जगन्नाथसिंह (जिला फतेहपुर)—अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय दूबे जी ने जो प्रस्ताव रक्खा था उसके संबंध में उन्होंने बहुत सी बातें कहीं। मैं समझता हूं कि जो आलोचना होनी चाहिये थी जिससे कुछ लाभ होता वह उन्होंने नहीं की, सिवाय इसके कि यह तोड़ दीजिये, वह अलग कर दीजिये, लेकिन इससे काम नहीं चलता।

आपका कहना यह था कि टाप हेवी ऐडमिनिस्ट्रेशन यहां पर बहुत बड़ा है और उस संबंध में राजस्थान और अन्य प्रदेशों के उदाहरण भी दिये। उन्होंने कुछ आंकड़े दिये कि वहां पर खर्चे कम है इस संबंध में, लेकिन यहां पर ज्यादा है। उन्होंने यह भी माना था कि यह प्रदेश बैकवर्ड है और प्रदेशों के मुकाबले में, फिर जब वह बैकवर्ड है तो उसकी उन्नति के लिये हमें साधन जुटाना पड़ेंगे। उन अधिक कामों को कराने के लिये अधिक आदमियों को बढ़ाना पड़ेगा और जब हम उनको बढ़ावेंगे तो खर्चा ज्यादा होगा ही।

(इस समय १ बजकर २९ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री काशीनाथ, पीठासीन हुए।)

इसके अलावा उन्होंने यह बात नहीं देखी कि हमारा सूबा कितना बड़ा है, यहां और सूबों से आबादी ज्यादा है और यहां की समस्यायें बहुत ज्यादा हैं। जब समस्यायें ज्यादा होंगी तो ऐडमिनिस्ट्रेटिव प्राब्लम्स ज्यादा होंगे और जब ऐडमिनिस्ट्रेटिव प्राब्लम्स ज्यादा होंगे तो उनको हल करने पर खर्च भी ज्यादा पड़ेगा। उन सूबों के मुकाबले में अगर यहां की आबादी और प्राबलम्स को देखा जाय तो यहां का खर्चा इतना अधिक नहीं है जैसा कि कहा जाता है।

दूसरी खास चीज यह कही गई कि एक हजार से ज्यादा वेतन पाने वालों की जगहों को कम किया जाय। यह चीज तो उस समय की थी जब बजट में विकास योजनायें शामिल नहीं थीं। लेकिन अब तो हमारे बजट में विकास योजनायें शामिल हैं और जितनी विकास योजनायें बढ़ी हैं उसी हिसाब से हमें विशेषज्ञ भी रखने होंगे।

तीसरी चीज जिसके लिये चारों तरफ से अटैक हो रहा है वह यह है कि यहां जितने कमिश्नरों की जगह है उन सबको हटा देना चाहिये। जहां तक मैं समझता हूं वह यह है कि कमिश्नर की जगह का रहना बहुत जरूरी है क्योंकि कलेक्टर और प्राविंशियल गवर्नमेन्ट के बीच में वह एक ऐसा लिंक है जो एडमिनिस्ट्रेशन की एफीशियेन्सी को बढ़ाता है। अगर डायरेक्ट होगा तो कोई चेकिंग पावर नहीं रह जायगी जो जिले के ऐडमिनिस्ट्रेशन पर कंटोल रख सके। जब कमिश्नर दौरे पर जाता है तो वहां के जुडीशियल काम वह को देखता है और उसकी जांच करता है। मुझे ताज्जुब से कहना पड़ता है कि अगर यह न रहे तो काम में बहुत ढीलापन आ जाय। इसके अलावा वह और भी बहुत से डिपार्टमेन्ट को देखता है। अगर वह नहीं रहेगा तो चेकिंग नहीं हो सकती है और इसका असर ऐडमिनिस्ट्रेशन पर बुरा पड़ सकता है। इस लिये मेरा कहना यह है कि ऐडमिनिस्ट्रेशन की एफीशियेंसी के लिये इसका रहना जरूरी है। आप देखें कि हमारा सूबा डिवीजनों में बंटा हुआ है। और कमिश्नर अपने डिवीजन में कलेक्टर की हर चीज में पकड़ कर सकता है। आजकल हमारे यहां बहुत ज्यादा रुपया खर्च हो रहा है। अगर बीच का लिंक नहीं रहेगा तो कोई चेक करने वाला नहीं रह जाता है।

एक चीज यह कही गई कि एक जी० ओ० ऐसा निकला कि एक माह का नोटिस देकर लोगों को अलग कर दिया जायगा। कुछ लोग परमानेन्ट होने के लिये प्रयत्न करते हैं उनके खिलाफ यह जी० ओ० भेजा गया कि वे अफसरों के खिलाफ बात कर रहे हैं। इसमें कहना यह है कि कुछ नई जगहें हुई और उन पर कुछ दिनों के लिये कुछ व्यक्तियों को टैम्पोरेरिली रख लिया गया। अब काम समाप्त हो गया तो गवर्नमेन्ट उनको अलग न करके यदि रखे तो खर्चा कहां से जायगा? एक तरफ तो आप कहते हैं कि खर्चा बढ़ रहा है और दूसरी तरफ कहते हैं कि इनको परमानेन्ट क्यों नहीं किया जाता? यह बड़ा जटिल प्रश्न है कि

[श्री जगन्नाथसिंह]

जब जगहें नहीं है तो उनको कैसे रखा जाय। टैम्पोरेरी सर्विस के लिये कुछ रूल्स होते हैं। गवर्नमेन्ट उनके अनुसार ही कार्य करेगी कि अगर कोई टैम्पोरेरी है तो उसको एक माह का नोटिस देकर अलग किया जा सकता है। अगर गवर्नमेन्ट से उनका यह कांट्रेक्ट होता कि उनको परमानेन्ट बेसिस पर रखा जायगा तब तो यह कहना ठीक था। मेरा कहना यह है कि यह जो जी० ओ० एक माह के नोटिस के लिये निकला है इसके विरुद्ध कुछ कहना मुनासिब नहीं मालूम होता है। दूसरी खास चीज यह कही गयी कि कमेटी बनायी जाय। ठीक है, हम दोनों फरीकैन जो इधर और उधर बैठे हुए हैं, उनका यह फर्ज है कि जिस तरह से इकानमी हो सके करनी चाहिये। कमेटी बनाने में हर्ज नहीं है, अगर उससे कोई लाभ निकले।

यह भी कहा गया कि कैरेक्टर रोल न रखा जाय। कोई अफसर ऐसा हो सकता है है जो किसी वजह से किसी का कैरेक्टर रोल खराब कर दे, लेकिन यह कह देना कि कैरेक्टर रोल हटा दिया जाय.....

श्री यादवेन्द्र दत्त—इसीलिये सर्विस रोल कहा था।

श्री जगन्नाथसिंह—सर्विस रोल और कैरेक्टर रोल में बहुत ज्यादा अन्तर नहीं है। सिर्फ लफ्जों और विचार का फर्क है। नाम भले ही बदलें। कैरेक्टर रोल के बजाय सर्विस रोल कर दें।

श्री अधिष्ठाता—अब आपका समय समाप्त हो गया।

श्री रामायण (जिला देवरिया)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज सदन के सामने नेता विरोधी दल ने सामान्य प्रशासन के संबंध में कटौती के प्रस्ताव को प्रस्तुत करते समय जो विचार व्यक्त किये, उनको मैंने ध्यानपूर्वक सुना। उनके पूर्व माननीय मुख्य मंत्री जी ने सदन के सामने इस मद को पेश करते हुए जो विचार व्यक्त किये उनको भी मैंने सुना।

मुख्य मंत्री ने यह फरमाया कि मैं यह मानता हूं कि पिछले दस बारह सालों में सामान्य प्रशासन के क्षेत्र में कुछ भूलें हुई हैं, फिर भी जो हमारा उद्देश्य है उस उद्देश्य की दिशा में हम काफी आगे बढ़े हैं। मान्यवर, मेरा अपना अनुभव ठीक इसके विपरीत है। यों तो एक सामान्य नियम है कि हम चीजों को अपनी निगाह से देखते हैं। "वी सी थिंग्स ऐज वी आर, नाट ऐज दे आर"। माननीय मुख्य मंत्री जी को सामान्य प्रशासन के क्षेत्र में तरक्की दिखायी देती होगी, लेकिन जहां तक मेरा अनुभव है, अधिष्ठाता महोदय, स्वयं आप का और इधर के बैठने वाले जितने लोग हैं, इनमें से कोई ऐसा न होगा जो इस बात को स्वीकार नहीं करेगा कि इस देश में अगर हमने कहीं सबसे ज्यादा अधःपतन देखा है तो वह सामान्य प्रशासन का क्षेत्र है। और बातों की चर्चा करने का समय नहीं है। आपकी आज्ञा से सदन के सामने मैं एक नमूना पेश करना चाहता हूं। दुर्भाग्य की बात है कि जब इस विषय के संबंध में एक महत्वपूर्ण प्रश्न प्रस्तुत करने जा रहा हूं, माननीय मुख्य मंत्री जी उपस्थित नहीं है। फिर भी मैं आशा करता हूं कि जो कुछ मैं कह रहा हूं उसको वह निष्पक्ष दृष्टि से देखेंगे। अगर उनकी कामना है कि सामान्य प्रशासन में तरक्की हो तो उस नमूने को सामने रखकर देखने का प्रयास करेंगे तो वास्तविकता का उनको सही ज्ञान हो सके गा।

मान्यवर, मैं जिस इलाके से आता हूं वहां एक आई० ए० एस०, एस० डी० एम० महोदय हैं। इस चुनाव के पहले से वह वहां विराजमान हैं। चुनाव के पहले उन्होंने यह फैसला किया कि अमुक-अमुक लोगों को हमें पराजित करना है। यह मैं नहीं कह रहा हूं मान्यवर, देवरिया जनपद का रहने वाला हर आदमी इस बात को जानता है और अपने उस मंसूबे को पूरा करने के लिये उस कुर्सी का कैसे उन्होंने गलत-सही ढंग से इस्तेमाल किया। अगर मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी चाहेंगे तो सप्रमाण यह चीज मैं उनकी सेवा में प्रस्तुत कर दूंगा और मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने स्वयं भी इस बातको एक प्राइवेट मुलाकात में कबूल किया। अभी आज से दो चार रोज पहले की बात है उन्होंने स्वयं इस बात

को स्वीकार किया कि मैंने इस अफसर के बारे में स्वयं भी बहुत कुछ सुन रखा है। प्रयास किये उसने कि इस राज्य के जो सबसे बड़े सेवक हैं उन्हें जनता की सेवा का अवसर न मिले। उसके ब्यौरे में जाने का इस समय अवसर नहीं है। इस समय जो हमारे सिर पर बीत रही है उन घटनाओं की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अभी हाल ही की बात है, देवरिया जिले में एक बैजूपट्टी गांव है। उसमें जमीन का एक मुकदमा था। जिस में मान्यवर, एक ही भूमि के मुकदमें में दो फैसले आपने दिये। सी० एल० आर० डी० के हिसाब से दूसरा फैसला और जमाबन्दी दुरुस्ती के मुकदमें में दूसरा फैसला। इतना ही नहीं, उस भूमि पर आपने झगड़ा इस तरह से लगा दिया कि दोनों पक्षों के अनुकूल एक-एक फैसला दे दिया। एक बार एक के पक्ष में, दूसरी बार दूसरे के पक्ष में फैसला दे दिया। फिर ११७/१५१ में लोगों को बन्द किया। बन्द करने का भी आपका आज इस समाजवादी राज में एक अनोखा ढंग है। आप बिना जमानत वारन्ट ईश्यू किया करते हैं बेलेबिल आफेन्सेज में। गरीब आदमियों से दस-दस हजार रुपये की जमानत आपने मांगी। उसी मुकदमे में दूसरे पक्ष ने जब दूसरे न्यायालय का आश्रय लिया तो उनको थोड़ी-थोड़ी जो वाजिब रकम थी उस पर जमानत मिल गई। जजेज ने स्ट्रिक्चर पास किये हैं आपके फैसले के खिलाफ। अगर पुलिस आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं चलती है तो कन्टेम्प्ट आफ कोर्ट की आप धमकी देते हैं। मान्यवर, इतना ही नहीं आप जनता के कल्याणकारी राज्य के अधिकारी हैं। आप रहते कहां है? देवरिया में आप जानते है, मान्यवर, बहुत-सी मिलें है। मिल मालिकों के बंगले के बाहर आप कदम नहीं रखते। दिन रात मिल मालिकों के बंगले में आप बने रहते हैं। परिणाम क्या होता है? एक तरफ तो सी० एल० आर० डी० के मुकदमें में हजारों-हजारों किसान इस तरह जेलों में बन्द किये जाते है और तबाह किये जा रहे हैं और दूसरी तरफ एक-एक मिल के ऊपर दस-दस, बीस-बीस लाख रुपया काश्तकार का और उसके गन्ने का बाकी है, उसकी वसूली में आनाकानी हो रही है। यह समाजवादी राज्य के सामान्य प्रशासन के प्रतिनिधि हैं जिनको सामने रख कर माननीय मुख्य मंत्री जी यह कहते हैं कि हमने बड़ी तरक्की की है।

मान्यवर, यह सारी घटनायें होती थीं, लेकिन हमारी कांस्टीटयूऐन्सी की सीमा के थोड़ा बाहर होती थीं। सुनता था मैं। बैजू पट्टी की बात मैंने सुनी थी। अभी थोड़े दिन पहले उन्होंने मेरे ऊपर भी एक विशेष कृपा की। मेरे घर से थोड़ी दूर पर एक गांव है तरमाटोला। वहां कलेक्शन अमीन जाता है। लोगों से जो रकम बाकी है, उससे ज्यादा वसूल करता है। वसूली होने के बाद उस गांव का बिना पढ़ा लिखा आदमी गांव के पढ़े लिखे नौजवान के सामने उस रसीद को पेश करता है। वह कहता है कि यह तो १० रुपये की रसीद है। तब वह गरीब कहता है कि मेरे ऊपर तो १० रुपये बाकी थे लेकिन उसने इतना रुपया ले लिया और करीब समूचे गांव से उसने इस तरह से नाजायज रकम वसूल की। जब वह इस तरह से वसूल करता है तो गांव वाले उससे पूछते है और वह फिर उस पैसे को वापस करता है, लेकिन बुरा मान जाता है। उस गांव के पढ़े लिखे नौजवान से, जो स्नातक हैं किसी यूनिवर्सिटी का, जिसका शुभ नाम श्री नथुनी-सिंह है। उसको अपने कुचक्र में फंसाने के लिये उसी एस० डी० एम० के इशारे पर दोबारा आता है, एक कांस्टेबिल को साथ लेकर उस गांव में आता है। एक काश्तकार जिसके ऊपर १० रुपया कुछ आने बाकी हैं, उसकी कमर में रस्सी बान्धता है, हालांकि वह रुपये देने के लिये तैयार हैं लेकिन उसको रस्सी लगाकर आगे बढ़ता है। फिर वह गांव का शिक्षित नौजवान और गांव के लोग इकट्ठा होते है और कहते है कि भाई अगर इसके ऊपर लगान बाकी है तो तुम वह पैसा ले लो। वह पैसा ले लेता हैं। रसीद कट जाती है और एक ही नहीं बल्कि कई रसीद उस दिन कटती हैं। फिर वह जाकर एस० डी० एम० के यहां रपट लिखाता है कि गांव वालों ने हमको और सिपाही को बुरी तरह से मारकर गिरा दिया। मैं मान्यवर, मुख्य मंत्री जी से और माननीय उप-मन्त्री गृह विभाग से जानना चाहूंगा कि वह देखें कि उस तारीख को वह सिपाही गांव वालों से मारा गया तो थाने में उसका रिकार्ड होगा कि कितनी चोट सिपाही को आई और डाक्टर

[श्री रामायण]

ने अपने मुलाहिजे में क्या कहा। इस बात की वह जानकारी करने की कोशिश करें तो सही मामले पर अधिक रोशनी पड़ सकेगी। मुझे जहां तक जानकारी है उसके अनुसार जब उस सिपाही से पुलिस के उच्चाधिकारी ने पूछा कि बताओ तथ्य क्या है तो उसने यह बयान दिया कि यह बिलकुल झूठी बात है। कोई मारपीट नहीं हुई, कोई धक्का-मुक्की नहीं हुई। मजिस्ट्रेट साहब छुट्टी चले जाते हैं। जमानती अपराध में १०७ बटा ११७ में बिना जमानती वारन्ट इशु करके। उनकी जगह पर दूसरे मजिस्ट्रेट आते हैं। वह जमानत कर लेते हैं। पहले एस० डी० एम० लौटकर आते हैं तो कहते हैं कि उस आदमी की, जमानत नाकाफी है और तहसीलदार से फोन करके कहते हैं कि चूंकि जमानत नाकाफी है उस आदमी की, तो उसको इसलिये बन्द कर दो। आज भी वह आदमी जेल में बन्द है। सी० एल० आर० डी० के मुकदमों में लोग बन्द हैं और तहसीलदार साहब कागजात के वैरिफिकेशन में देर लगाते हैं। आज कई दिन से बन्द हैं। तो इस तरह से प्रशासन चल रहा है और इस तरह के अधिकारी हैं फिर भी आप कहते हैं कि बड़ी तरक्की इस दिशा में हो रही है। मान्यवर, मैं आपकी सेवा में एक छोटी-सी घटना का जिक्र कर देना चाहता हूं। पिछले सदन में भी कहा गया था.....

श्री अधिष्ठाता—अब आपका समय समाप्त हो गया।

***श्री कृष्णानन्दराय** (जिला गाजीपुर)—अधिष्ठाता महोदय, आज सामान्य प्रशासन के इस अनुदान पर कटौती का प्रस्ताव उपस्थित करने हेतु जब विरोधी दल के आदरणीय नेता बोलने के लिये खड़े हुए और उन्होंने अस्थायी कर्मचारियों की दयनीय स्थिति की चर्चा आरम्भ किया तो मुझे प्रसन्नता हुई और ऐसा अनुभव हुआ कि संभवतः आज वह यह सोच कर आये हैं कि कुछ रचनात्मक सुझाव सरकार को देंगे, लेकिन एक तरफ जहां उन्होंने अस्थायी कर्मचारियों की दयनीय दशा का चर्चा किया और कुछ अल्प वेतन पाने वाले कर्मचारियों की वेतन वृद्धि की बात कही और यह सुझाव दिया कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन क्रम के अनुसार उनका वेतनक्रम हो जाय और एफीशियेन्सी में वृद्धि लाने के लिये उन्होंने कुछ और दौरे आदि की चर्चा की, लेकिन उसके तुरन्त बाद ही उन्होंने यह भी चर्चा की कि सामान्य प्रशासन के व्यय में अतिरिक्त वृद्धि हुई है और उसे यह बैकवर्ड स्टेट सहन नहीं कर सकता। यह दोनों बातें सुन कर उनके कथन में कुछ अंतर भेद-सा लगा—या तो वे सामान्य प्रशासन में वृद्धि की आलोचना करना छोड़ दें या सरकार के अल्प वेतन पाने वाले कर्मचारियों की सहानुभूति में उनका वेतनक्रम केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के अनुसार होना चाहिये, यह कहना छोड़ दें, क्योंकि दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकतीं। अधिक रचनात्मक आलोचना उनके द्वारा तब होती जब वे एक ओर तो कम वेतन पाने वालों के लिये जो ५ रुपये प्रति माह की वृद्धि हुई है उसके लिये सरकार को धन्यवाद दिये होते और यह बतलाये होते कि पहले के मुकाबले में उसका कितना वेतन बढ़ गया है और यह भी बतलाते कि यदि उनका वेतन केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के समकक्ष कर दिया जाय तो प्रशासन व्यय में कितनी वृद्धि हो जायगी और वे उस वृद्धि को सहर्ष स्वीकार करेंगे। आज ब्यूरोक्रेसी की बड़ी चर्चा की गयी है और यह कहा गया है कि अंग्रेजी राज्य के जिलाधीशों की तरह से ही यह बड़े अधिकारी आज काम कर रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि अपने क्षेत्र से लौटने के बाद, इस सदन में आते ही माननीय सदस्यगण कैसे इतनी जल्दी वहां के अपने अनुभव भूल जाते हैं। आज सरकार के कर्मचारी ब्लाक के प्रमुख व्यक्तियों के साथ मंत्रियों की हैसियत से कार्य कर रहे हैं। गजेटेड अफसर, डी० पी० ओ० परिषद् के अध्यक्ष द्वारा चुना हुआ होता है और नियोजन का अधिकांश कार्य ब्लाक समिति, गांव सभा, आदि के अंतर्गत होता है और जिलाधीश का कार्य केवल निरीक्षण का कार्य रह गया है। इसके साथ बहुत-सी एडवाइजरी कमेटीज बनी हुई हैं जिनमें प्रतिनिधि बैठते हैं और उनके द्वारा कार्य-

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

संचालन होता है । ऐसी स्थिति में यह कहना कि वहां आज भी पुराने सेट-अप में अंतर नहीं आया है, मेरी समझ में न्यायसंगत न होगा ।

अस्थायी कर्मचारियों के बारे में चर्चा की गयी थी नेता विरोधी दल की ओर से ; इसलिये उस संबंध में निवेदन करना है कि अधिकांश अस्थायी कर्मचारी, इसे मुख्य मंत्री जी भी स्वीकार करेंगे, नियोजन से संबंधित विभागों में ही नियुक्त हैं । सेक्रेटेरियट में भी उन्हीं विभागों में वे अधिक संख्या में हैं जिनका संबंध नियोजन से है । चूंकि नियोजन का कार्य महत्व का कार्य है और वे अस्थायी कर्मचारी उस महत्व के कार्य भार को उठा रहे हैं इसलिये उनमें स्थायित्व की भावना अवश्य होनी चाहिये । इसके बिना एफीशियेन्सी में कमी जरूर रहती है । यह मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि सर्विस रूल्स जो बने हुए हैं उनमें अस्थायी कर्मचारियों के लिये कोई स्थायीपन नहीं है, अथवा उनको उनमें कोई सुरक्षा नहीं है, किन्तु यह माना जायगा कि उनका पूर्णरूप में विभागीय हेड्स पालन नहीं करते । बहुत से कर्मचारी हाईकोर्ट्स में गये हैं और उनके केसेज से पता चलता है कि किस प्रकार से उनकी सेवायें समाप्त कर दी जाती हैं । उनके बारे में हाई कोर्ट ने नजीर दी हैं कि जब तक वे अस्थायी विभाग समाप्त नहीं कर दिये जाते तब तक किसी भी व्यक्ति को एक माह का नोटिस देकर नौकरी से अलग कर देना उचित नहीं है । सभी अस्थायी कर्मचारी आज स्थायी नहीं बनाये जा सकते, क्योंकि कुछ तो विभाग ऐसे हैं जो अस्थायी हैं । लेकिन इतना जरूर होना चाहिये कि जब तक वे विभाग कायम रहते हैं तब तक उनमें कार्य करने वाले अस्थायी कर्मचारी वहां से हटाये नहीं जायेंगे । इस प्रकार के सर्विस रूल्स उनके लिये बनने चाहिये । उनको वे सभी उपलब्धियां प्राप्त होनी चाहिये जो कि स्थायी कर्मचारियों को प्राप्त होती हैं ।

प्रशासन के व्यय के बारे में भी आलोचना हुई है और उस विषय में भी मैं कुछ कहना चाहता हूं । विरोधी दल के नेता ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश की बैकवर्ड इकोनामी प्रशासन के बढ़ते हुए व्यय को बरदाश्त नहीं कर सकती और एक दिन संतुलन समाप्त हो जायेगा । इस संबंध में यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह सही है कि प्रशासन के व्यय में वृद्धि हुई है, किन्तु यह इतनी नहीं है कि उसके कारण कोई असंतुलन पैदा हो जाय । एक जमाना था जब कि राज्य सरकार का बजट ६४ करोड़ का था और आज वह करीब १९८ करोड़ तक आया है । तो उसी के अनुसार थोड़ी-सी वृद्धि प्रशासन के व्यय में हुई है । यदि आंकड़ों को आप देखें तो आपको मालूम होगा कि उस समय २५ फीसदी रुपया प्रशासन पर व्यय होता था जब कि आज केवल १४.२ ही व्यय होता है । तो थोड़ी-सी वृद्धि जरूर हुई है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि उसके कारण कोई खतरा पैदा हो गया हो । मैं इतना ही निवेदन कर, इस अनुदान का समर्थन करता हूं ।

श्री रामकिशोर (जिला बाराबंकी)—अधिष्ठाता महोदय, जिस सामान्य प्रशासन के विषय पर चर्चा चल रही है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है । इसकी सफलता और कुशलता पर ही देश की और समाज की उन्नति हो सकती है, विफलता पर हमारा समाज पीछे जा सकता है । श्रीमन्, आज हमारे प्रशासन में दो सबसे बड़े अधिकारी हैं—एक तो राज्यपाल और दूसरे लेखपाल । इन दो अधिकारियों के बीच में हमारी जनता सफर करती है । आवश्यकता इस बात की है कि इनके बीच की जो कड़ियां हैं उनको सक्रिय बनाया जाय । यह एक महत्वपूर्ण विषय है । हमारे राज्यपाल महोदय इतनी ऊंचाई पर हैं कि हर एक आदमी वहां नहीं पहुंच सकता और हमारे निम्न कर्मचारी, लेखपाल के पास कार्य इतना है कि वह हर कार्य का सही अंजाम नहीं दे सकते । ऐसा कोई कार्य नहीं है जो लेखपाल से न पूछा जाता हो । बिना उसकी रिपोर्ट के कोई कार्य आगे नहीं बढ़ाया जाता है । श्रीमन्, कहने का तात्पर्य यह है कि आज जो कार्य की परम्परायें हैं उनका विभाजीकरण हो कर कार्य का निर्धारण होना चाहिये कि किस प्रकार के कार्यों पर किन अधिकारियों की क्या जिम्मेदारी होगी और उसके आधार पर कार्य चले । जब

[श्री रामकिशोर]

तक इस प्रकार से कार्य का बटवारा नहीं होता है, केवल नीचे और ऊपर को दो अधिकारियों के बीच में जिम्मेदारियां सीमित रहती हैं तो कोई भी कार्य सही रूप से नहीं चल सकता ।

हमारे यहां सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस विभाग की है । श्रीमन्, मैं देखता हूं कि इस विभाग में इतना जातिवाद और कुनबापरस्ती का बोलबाला है कि जो सही काम करने वाला व्यक्ति है वह आगे नहीं बढ़ पाता । जो सबसे अधिक रिश्वत लेकर काम करने वाला व्यक्ति है और बड़े जो अधिकारियों या नेताओं का कृपापात्र है वही सबसे बड़ा कार्य-कुशल माना जाता है । कहने का तात्पर्य यह है कि जहां तक प्रशासन में न्याय का प्रश्न है, हमें एक ऐसी व्यवस्था करनी है जिसके द्वारा यह जानकारी रहे कि कौन-सा व्यक्ति ऐसा है जो ईमानदारी से और सही ढंग से काम करता है । जब तक काम करने वाले को उसकी ईमानदारी और मेहनत के अनुसार क्रेडिट नहीं मिलता तब तक कोई कर्मचारी या अधिकारी ईमानदारी से काम नहीं कर सकता । साथ ही साथ जो आज राजनीतिक हस्तक्षेप की परम्परा है उस दशा में कोई भी अधिकारी, छोटे कर्मचारी ईमानदारी से काम नहीं कर सकते । मेरा नम्र निवेदन है कि ऐसी परम्पराएं समाप्त होनी चाहिये । चाहे इस पक्ष के माननीय सदस्य हों या उस पक्ष के, जहां तक प्रशासन का सवाल है उसमें दो रायें नहीं कि नाजायज हस्तक्षेप न हो । जब तक यह पार्टी-बन्दी, दल-बन्दी और आपसी संघर्ष का अन्त नहीं होगा तब तक कोई कर्मचारी ईमानदारी से काम नहीं कर सकता । आज कोई अधिकारी अपने ऊपर जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते, वह अपने मातहत पर जिम्मेदारी डालना चाहते है और स्वयं कुछ नहीं करना चाहते । आज नीचे का कर्मचारी बहुत ही परेशान है और समझ नहीं पाता कि किस तरह से काम करे और किससे कहे । आज प्रशासन की कड़ी में पार्टी-बन्दी का जो वातावरण व्याप्त है उसको खत्म होना चाहिये । आज जिला स्तर पर एक ऐसे प्रशासकीय अधिकारी की नियुक्ति होनी चाहिये जो सभी विभागों के कार्य का निरीक्षण कर सामंजस्य स्थापित कर सके और सबको उचित न्याय मिल सके, यही मेरा नम्र निवेदन है ।

न्याय मंत्री के सभा सचिव (श्री चन्द्रसिंह)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस सदन में जो प्रशासन की टीका-टिप्पणी कर दी गयी हैं, मैंने उनको ध्यानपूर्वक सुनने की कोशिश की और यह भी जानने की कोशिश की कि टीका-टिप्पणियां जो हुई हैं वह मुमकिन है कुछ सही हों और कुछ गलत भी हो सकती हैं, परन्तु जहां तक उनके कारणों को पेश किया गया, मैं समझता हूं कि वह अध्ययन पर आधारित नहीं हैं । क्योंकि यह जानने की कोशिश नहीं की गई कि जो कमियां और खामियां हैं आज हमारे प्रशासन में वह क्यों हैं । मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमने इस देश में रिपब्लिकन गवर्नमेंट आफ इंडिया कायम की, लेकिन पहले का जो ढांचा सरकार की मशीनरी का चला आ रहा है वह जैसा का तैसा बना है । तो उस मशीनरी का बिहेवियर और स्वभाव वही हो सकता है जो कि उस मशीनरी के डिजाइन करने वालों का रहा होगा । उस मशीनरी का रिप्लेसमेंट हुआ, लेकिन अधिक नहीं हो सका । हमारी सरकार की ओर से प्रयास किये जा रहे हैं ।

पंचायतराज के संबंध में आपत्तियां की गई, मैं समझता हूं यह छिछले अध्ययन की बात है । उसका कारण यह है कि एक नया सिस्टम आफ गवर्नमेंट जो मुल्क में चालू कर दिया गया है उसका ध्येय और मकसद समझने के लिये बहुत गंभीर अध्ययन की जरूरत है । हमारे देशवासियों ने, हमारे बड़े-बड़े पालिटिशियन्स और स्टेट्समैंनों ने भारतवर्ष को सुरक्षित रखने के लिये, उसकी आजादी, उसकी पीस और आर्डर और उसकी ट्रैंक्वैलिटी को कायम रखने के लिये और उसका विकास करने के लिये, पंचायतराज का एक ढंग निकाला । उन्होंने सोच-समझ कर यह रास्ता निकाला कि हिन्दुस्तान के ऊपर भूतकाल में जो बाहरी हमलावर आये और यहां अपनी हुकुमत कायम की वह क्यों आये अब हमारे बुद्धिजीवी लोक इस मुल्क में एक नहीं हजारों हुकमतें कायम करना चाहते हैं । जब तक सारी

हुकूमतों का तखता नहीं पलट जाता है तब तक एक हुकूमत का तखता पलटने से भारतवर्ष अपनी हार मानने को तैयार नहीं । जितनी भी हमारे यहां ग्रामसभायें रहेंगी, क्षेत्र समितियां हैं, जिला परिषदें हैं उन सब की इस देश की रक्षा के लिये चारों तरफ से भरमार होगी । इस ऊंचे ध्येय के साथ यह नयी परम्परा चालू की गई है । अभी उनकी अवस्था बहुत छोटी है और उनमें खामियां हैं । अभी एक्सपेरीमेंट की स्टेज पर खामियों का होना स्वाभाविक भी है जिनको हम धीरे-धीरे दूर करेंगे ।

कहा गया कि हमारे मुल्क में पार्टीबाजी होती है । मैं कहना चाहता हूं कि जिन्होंने डेमोक्रेसी के प्रिंसिपिल्स को नहीं जाना है, जिन्होंने दुनिया की डेमोक्रेसीज का इतिहास नहीं पढ़ा है उनको मालूम होना चाहिये कि डेमोक्रेसी की जड़ पर पार्टीबाजी हुआ करती है । बिना पार्टीज के डेमोक्रेसी हो नहीं सकती । जो डेमोक्रेसी की आधारशिला है––पार्टीबाजी उसकी लोग शिकायत करते हैं । जिस मुल्क में पार्टीबाजी नहीं उसमें डेमोक्रेसी चल नहीं सकती, हम उसको डेमोक्रेसी नहीं कह सकते । किसी भी शासन प्रणाली, जिसमें पार्टीज न हों, उसको डेमोक्रेसी नहीं कह सकते । आप किसी भी पालिटिक्स की किताब को उठा लीजिये, किसी भी पालिटिक्स के आचार्य से आप पूछ लीजिये, डेमोक्रेसी पार्टी के बेसिस पर ही हुआ करती है, यही उत्तर आपको मिलेगा । जो डेमोक्रेसी की पैदायश की बेसिस है उसी की शिकायत करना बेकार है । अतः डेमोक्रेसी में जो आधारभूत दोष हैं वे तो रहेंगे ही, उनको कम किया जा सकता है लेकिन एक दम समाप्त नहीं किया जा सकता । अगर उनको समूल नष्ट करना चाहेंगे तो आप उस सिस्टम आफ गवर्नमेंट को ही बदल देंगे । इसलिये यह आपके बस की बात नहीं है । हमारी सरकार इस तरफ कोशिश कर रही है और जो कमियां हैं उनको दूर करने का प्रयत्न कर रही है । लेकिन एक ही राज में कोई काम नहीं हुआ करता है । शासन प्रणाली में जो लोग काम करते हैं उनके मिजाज को एक दिन में बदल देना मुमकिन नहीं है ।

*श्री गंगाधर (जिला चमोली)––माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से कटौती के प्रस्ताव पर बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । अधिष्ठाता महोदय, समय बहुत थोड़ा है और अनुदान संख्या ११ में उत्तराखंड प्रशासन की व्यवस्था कर दी गयी है । इस समय हिन्दुस्तान में प्रजातंत्र है और उत्तराखंड की शासन व्यवस्था उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों से कुछ पृथक है । वहां के जितने भी काम हैं वे सब माननीय मुख्य मंत्री के हाथों में हैं और इसलिये अनुदान संख्या ११ में सामान्य प्रशासन के साथ-साथ विकास, पी० डब्लू० डी० आदि जितने भी विभाग हैं, उन सबके अनुदान रख दिये गये हैं । इसलिये मैं अनुरोध करूंगा कि आप दो चार मिनट मुझे अधिक दे दें ।

उत्तराखंड में तीन जिले हैं––चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ । वहां के विकास के लिये २८ करोड़ रुपया तृतीय पंचवर्षीय योजना में रखा गया है । पिछले दो वर्षों से जो वहां प्रशासन चल रहा है, उसके संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष ध्यान रहा है क्योंकि इस संबंध में उनका विशेष उत्तरदायित्व भी है । इन तीन जिलों के बन जाने से पहाड़ी भागों में दो प्रकार की शासन व्यवस्था हो रही है । क्योंकि इन तीन जिलों की कुछ विशेष समस्यायें हैं ।

माननीय मुख्य मंत्री जी अपने कार्यकाल में उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ तो अवश्य गये होंगे कई बार, लेकिन उनसे मैं यह भी अनुरोध करूंगा कि वे चमोली भी पधारें और वहाँ स्वयं देखें कि वहां का शासन प्रबंध कैसा चल रहा है । जब से मुख्य मंत्री जी अल्मोड़ा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री गंगाधर]

से चुन कर आये हैं उन्होंने पहाड़ों के लिये बहुत सा अनुदान दिया है और बहुत सा रुपया वहां पर खर्च हुआ है । मैं आपके द्वारा माननीय सदस्यों को बता देना चाहता हूं कि यह माननीय मुख्य मंत्री जी की कोई विशेष उदारता नहीं है, क्योंकि जितनी ग्रांट सेंटर से आयी है उसके लिये प्रदेशीय सरकार ने यह आश्वासन दिया है कि उसको उत्तराखंड के विकास के लिये उसी प्रकार से खर्च किया जायगा जिस ढंग से केन्द्रीय सरकार उस रुपये से उत्तराखंड में विकास करना चाहती है ।

अधिष्ठाता महोदय, यह ठीक है कि वहां बहुत-सा रुपया खर्च हो रहा है, सड़कें बन रही हैं, लेकिन वहां पर दो विचारधारायें हो गयी हैं--एक तो उन लोगों की जो उत्तराखंड के सीमान्त के बाहर रहते हैं और दूसरे वे लोग जो उत्तराखंड में ही रहते हैं । इन दोनों प्रकार के लोगों के विचारों में कुछ भिन्नता आयी है । मैं उत्तराखंड के विकास के लिये विशेष अनुरोध करूंगा । वहां पर रुपया तो अवश्य खर्च हो रहा है लेकिन वहां के रहने वालों की आर्थिक, सामाजिक और नैतिक स्थिति गिरती जा रही है । उसको दो चार बातें बता कर मैं स्पष्ट करुंगा ।

वहां के माध्यमिक और जूनियर स्कूलों की समस्या को ले लीजिये । वहां पर जिलाबोर्ड नहीं है । अन्तरिम जिला परिषद् नहीं है । उनके कार्य जिलाधीश के अधीन है । वहां पर अध्यापकों को कई-कई महीनों का वेतन नहीं मिलता । सरकार ने बड़ी कृपा की जब चार महीने बाद उन लोगों को वेतन मिला । वहां पर कुछ प्रान्तीय स्कूल भी बने हैं । उनके अध्यापकों को १३५ रुपया मिलता है लेकिन जिला परिषदों के अध्यापकों को ६०–६५ रुपया ही मिलता है । इस प्रकार वहां पर भेद-भाव की नीति बरती जाती है । कुछ लोगों की सर्विसेज प्रान्तीय कर दी गयी हैं और कुछ लोगों की नहीं की गयी हैं । उनका शिष्ट मंडल भी आज मंत्रीजी से मिला था । आप उन सब स्कूलों को परिषदों को दे दीजिये और जो अनुदान आप उन स्कूलों को देते हैं उनको जिला परिषदों को दे दीजिये । अथवा प्राइमरी और माध्यमिक शिक्षा का सारा भार अपने ऊपर लेकर उन जिला बोर्डों को बिलकुल तोड़ ही दीजिये ।

आज कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी का शासन है किन्तु मैंने अपने कार्यकाल में १० वर्ष में देखा--मैं सन् ५२ में यहां चुन कर आया था और अब फिर इस बार चुन कर आया हूं सन् ६२ में और दूसरे लोग भी जो सामाजिक जीवन में कार्य करते हैं, वे भी यही समझते हैं कि शासन कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही है, लेकिन उसके ऊपर नौकरशाही हावी है। उत्तराखंड के अन्दर तो मैं यही देखता हूं । माननीय मुख्य मंत्री को मालूम होगा कि गढ़वाल में सन् ६१ में एक विशेष दुर्घटना हुई और डरवा ग्राम पानी में बह गया । माल विभाग की पुस्तिका में १० हजार रुपये की सहायता दिखला दी गयी है, लेकिन मुख्य मंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वहां के लोगों को अभी तक कुछ भी नहीं दिया गया है । कालेपार पट्टी में मंदाग्नि नदी आदि चार नदियां हैं और उस पट्टी की लम्बाई १५ मील है जिसको छः छः महीने तक पार नहीं किया जा सकता । मंदाग्नि नदी के पार जाने के लिये उत्तराखंड प्रशासन को भी बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है । लोगों को द्वारगाठ, डमारगाठ, लाणगाठ, लाराग़ढ़ जाने में बड़ी दिक्कत होती है । जब डरवा ग्राम बह गया और वहां जिलाधीश गये तो वहां के लोगों ने नदी के पार किसी तरह से रस्सी लगा कर खींचा तब वे जा सके । आप वहां करोड़ों रुपये खर्च कर रहे हैं, लेकिन लोगों के जीवन के लिये जो एक छोटी सी बात है कि एक गांव से दूसरे गांव में जाने के लिये जो छोटे-छोटे नालें हैं जिनको छः छः महीने तक पार नहीं कर सकते, कम से कम वहां पर पुलिया बनाने का विशेष ध्यान होना चाहिये ।

दूसरी बात यह है कि वहां प्लानिंग का काम उतना अच्छा नहीं हो पाता जितना कि होना चाहिये । इसका कारण यह है कि जो वहां चार एस० डी० एम० हैं उनको अपने

बी० डी० ओ० का काम भी दे दिया है जिसे उन्हें करना पड़ता है। उसी हेडक्वार्टर पर कलेक्टर होता है, लेकिन डिप्टी कमिश्नर के पास इतना अधिक काम होता है और जिला बोर्ड का काम भी वह करता है तथा और भी बहुत से काम उसे करने पड़ते हैं। यही कारण है कि वह प्लानिंग का काम उतने अच्छे ढंग से नहीं कर पाता। इसलिये आवश्यक है कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर एक प्लानिंग आफिसर हो जिसका जनता से कोआर्डिनेशन हो सके।

इसके अतिरिक्त हमारे यहां कर्मचारियों में भी दो तरह का भेद कर दिया गया है। एक तो वे कर्मचारी हैं जिनको बोर्डर एलाउंस आदि काफी मिलता है और दूसरे वे कर्मचारी हैं जिनको बोर्डर एलाउंस नहीं मिलता है। श्रीमन्, हमारे यहां के माध्यमिक व प्राइमरी पाठशालाओं के अध्यापकों ने हड़ताल की नोटिस दी थी, लेकिन सीमान्त क्षेत्र होने की वजह से हम लोगों का यह प्रयत्न रहा है कि कम से कम वहां हड़ताल न होने पावे। अध्यापकों का समाज के अन्दर एक अच्छा स्थान होता है। सीमान्त क्षेत्र के अन्दर जहां सुरक्षा की बड़ी भारी आवश्यकता है किसी तरह से भी सामाजिक उन्नति नहीं हो पाती इसलिये मेरा सुझाव है कि हर तरीके की जितनी पाठशालायें हैं उनको प्राविंशियलाइज कर दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता—आपका समय समाप्त।

श्री छेदालाल चौधरी (जिला खीरी)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं अपनी जगह पर सदन के अन्दर माननीय मुख्य मंत्री द्वारा जो मांगें पेश हैं उनका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं और माननीय नेता विरोधी दल द्वारा जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है उसका विरोध करना चाहता हूं। माननीय नेता विरोधी दल ने प्रशासन के सम्बन्ध में बहुत सी बातें आलोचना के रूप में कहीं कि इसका खर्चा बढ़ता ही जा रहा है। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि माननीय नेता विरोधी दल ने कोई भी व्यावहारिक और रचनात्मक किस्म के सुझाव नहीं दिये। आम तरीके से उन्होंने बहुत सी बातों का विरोध किया। विरोध पक्ष की तरफ से एक माननीय सदस्य ने यह सुझाव प्रशासन के सम्बन्ध में दिया कि पुलिस का जो विभाग है उसे पंचायतों को दे दिया जाय। इस सम्बन्ध में मैं सुझाव देता हूं कि यह एक बहुत बड़ी नासमझी होगी और यह कोई दूरदर्शिता की बात नहीं होगी, क्योंकि हमारी पंचायतें अभी शैशवावस्था में हैं। अभी उन्हें इतना अनुभव व तजुर्बा नहीं प्राप्त है कि वे पुलिस विभाग का संचालन सही ढंग से कर सकें या उसे सम्भाल सकें। क्योंकि सामान्य प्रसाशन के अन्तर्गत पुलिस का काम जो बहुत बढ़ा है और जिसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जनजीवन की जो सारी जिम्मेदारी है वह सब पुलिस की है; इसलिये वह सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत देना उचित न होगा। जिस तरह से कि पंचायतों को अगर लगान वसूली का काम सौंपा जाय तो वह नहीं कर सकतीं, रेवेन्यू कलेक्शन का जो काम है वह एक एक्सपेरीमेन्ट के लिये बहुत सी पंचायतों को सौंपा गया लेकिन वह फेल हो गया। इसलिये यह कहना गलत है कि सामान्य प्रशासन में यह काम और जोड़ दिये जायं।

दूसरे में अधिष्ठाता महोदय, आपके द्वारा न्याय प्रशासन के सम्बन्ध में कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं। सामान्य प्रशासन का जहां तक सम्बन्ध है यह सब जानते हैं कि आज यहां पुरानी अंग्रेजों की अमलदारी तो है नहीं और न तो पुराना ढांचा ही है और जहां तक हमारे उच्च अधिकारियों का सम्बन्ध है इसमें सन्देह नहीं है कि उनके अन्दर एक देश के प्रति सद्भावना है वह देश की और समाज की सेवा करना चाहते हैं। यह कोई शुभ की बात नहीं है और वह वास्तव में उस दिशा में जाने की कोशिश भी निरंतर करते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि जिलों में जो अधिकारियों के, कलेक्टर और हाकिम परगना के, कमिश्नरों और मिनिस्टरों के या एस० पी० और डी० सी० आदि के जो दौरे होते हैं तो उनके सम्बन्ध में जो हर चौराहे पर और हर सड़क पर सिपाही खड़े होते हैं और हर विभाग के अधिकारी उनके इंतजाम और प्रबन्ध में सारा काम छोड़कर लग जाते

[श्री छेदालाल चौधरी]

हैं और जो दावतों के लिये और जल्सों के लिये खर्च और फंड जमा किये जाते हैं उससे बहुत बुरा असर पड़ता है और काम का बहुत नुकसान होता है। मैं बड़े अदब के साथ माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान दिलाऊंगा कि यह चीजें अब बन्द होना चाहिये। जिलों में एस० पी० या डिप्टी कमिश्नर जब जाते हैं तो उनके दारोगा या तहसीलदार या दूसरे अधिकारी जो उनके सम्मान में दावत पार्टी के लिये जो फन्ड्स इकट्ठा करते है उसका सारा खर्च परोक्ष में या इन-डायरेक्टली पटवारी या कानूनगो से शुरू होता है। यह लोग न मालूम कैसे-कैसे उसको जमा करते हैं, क्योंकि इसके लिये कोई अर्थ-व्यवस्था तो होती नहीं है और यह किसी को पता नहीं रहता कि बाद में उसका क्या असर होता है। इसकी वजह से प्रशासन में बहुत गड़बड़ होती है, यह न होना चाहिये। एक सुझाव तो मेरा यह है।

दूसरा सुझाव सामान्य प्रशासन के सम्बन्ध में बहुत अदब के साथ में यह देना चाहता हूं कि जिलों के अन्दर जो जुडीशियरी और एगजिक्यूटिव एक साथ मिली है वह अलग होना चाहिये। मैं अपने ५ साल के अनुभव से बताता हूं कि कचहरियों में एस० डी० ओ० और डी० एम्स० पर इतना काम एग्जिक्यूटिव का रहता है कि दिन भर सरकारी कर्मचारी उनके पास दस्तखतों के लिये खड़े रहते हैं और जनता वहां पर न्याय की पिपासा से बेबस दिन भर बैठी रहती है और शाम को उनको दूसरी तारीख मिल जाती है। इससे लिटिगेन्ट्स का खर्च बढ़ता है और कम खर्च में उनको समय से न्याय नहीं मिल पाता और वही होता है जिस को अंग्रेजी में कहते हैं कि 'जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड'।

इसके अलावा एक सुझाव मेरा यह भी है कि हमारे यहां जुडीशियरी में जो यह आनरेरी मैजिस्ट्रेट हैं वह अपनी जिम्मेदारी को महसूस नहीं करते और कोई मुकदमा साल डेढ़ साल से पहले फैसल नहीं होता और जो न्याय लेने वाले गरीब लोग आते हैं बजाय दूसरों को सजा दिलाने के उनको ही खुद सजा हो जाती है। किसी तरह से वह गवाह और वकील कागजात पेश करने के लिये जाते हैं लेकिन एक दो बार में मुकदमा सुने ही नहीं जाते और नतीजा यह होता है कि फिर उन के लिये गरीबी की वजह से उन साधनों का दोबारा जुटाना कठिन हो जाता है। इस तरह से उसको सजा मिलती है और न्याय भी वक्त से नहीं मिलता। हम चाहते हैं कि इसके बजाय अलग से जुडीशियल मैजिस्ट्रेट रखे जायं जो बाकायदा १० से ४ बजे तक रोज काम करें और जुडीशियरी और एक्जिक्यटिव को अलग किया जाय।

दूसरे, सी० आर० पी० सी० में जो धारा ११० और १०९ जा० फौ० के मुकदमे चलाये जाते हैं उनमें लोगों को झूठे ही फंसाया जाता है, झूठी शहादत से लोगों के खिलाफ चार्जेज साबित करने की कोशिश होती है। इसको दूर करने के लिये यह जरूरी है कि इस की जांच एस० डी० एम० मौके पर जाकर करें कि मुकदमा सही है या गलत ही किसी को फंसाया गया है इस तरह से जो गरीब लोग फर्जी तौर पर फंसाये जाते हैं और पैसा न खर्च कर सकने के कारण सजा खा जाते हैं इस चीज को रोकने की तरफ मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान दिलाऊंगा।

दूसरी बात यह कहना है कि मिनिस्टर्स का जो दौरा हो वह नोटिस देकर न हो, बल्कि बिना नोटिस हो, देहातों के अन्दर कैम्प लगें और वहां के सामान्य लोगों से वहां की जानकारी हासिल करें। वहां की राजनीतिक और सामाजिक पार्टियों के लोगों से पूछा जाय, उनकी राय ली जाय तभी विधि व्यवस्था अच्छे प्रशासन के बारे में हो सकती है। वास्तविक कठिनाइयां क्या हैं, वे दूर हो सकती हैं। अभी होता यह है कि एस० पी० और डी० एम० मंत्री लोगों को घेरे रहते हैं और उनके सामने सही बात नहीं आने देते। गांव का साधारण आदमी उनके सामने सही बात बताने में हिचकिचाता है। वह डरता है कि अगर सही बात कहेंगे भी तो सुनेंगे नहीं। अगर एस० पी० के पास गांव के लोगों की पुलिस कर्मचारी के बारे में शिकायत कोई आती है तो वह अपने मातहत को डिफेन्ड ही करता है। यह बात नहीं होनी चाहिये बल्कि एक कमप्रोमाइजिंग ऐटीट्यूड होना चाहिये और यह सोचना चाहिये कि उसके मातहतों के अलावा भी लोग ईमानदार

हैं और उनपर विश्वास करना चाहिये। इन शब्दों के साथ में माननीय मुख्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत अनुदानों का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)--अधिष्ठाता महोदय, मुख्य मंत्री जी ने प्रशासन के सम्बन्ध में जो मांगें रखी हैं उनके विषय में २, ४ बातें कहना चाहता हूं। विषय बहुत अच्छा है। अगर प्रशासन ठीक हो जाय तो राम राज्य आ जाय, स्वराज्य हो जाय और हम उस चीज को गांव-गांव में साकार रूप दे सकें। प्रशासन की तो सारी लीला है। कहीं हमारे मुख्य मंत्री कथनी को करनी में ले आयें तो फिर बन जाय। समाजवाद ही आ जाय जो प्रशासन के सुधार से आ सकता है। मैं बताऊं, १९२० से अभी तक तिरंगा झंडा ले कर मैं चलता था गांवों में और कहता था जब स्वराज्य होगा हमारी सरकार बनेगी यह सन् १९३६ के लिये कहा करता था तो हमारी मंडल कांग्रेस कमेटी जो सही रपट देगी वही ऊपर मानी जायगी और उसी के हाथ में सत्ता रहेगी। मैं भी एक मंडल का सभापति था और मुझे लोग अच्छी तरह से मानते थे, लेकिन हुआ क्या? गांधी जी भी कहते थे कि मैं सच्चा राम राज्य तब समझूंगा जब एक किसान का बेटा देश का प्रधान मंत्री होगा और पंडित नेहरू उसके क्लर्क बनकर काम करेंगे और हरिजन का बेटा राष्ट्रपति होगा। लेकिन हुआ क्या? मैं ब्रज भाषा में कहता हूं आज तो कलेक्टर ही राष्ट्रपति है जिले में। कलेक्टर और एस० पी० के अधीन जो छोटे-छोटे कर्मचारी हैं उन पर ३,४ मार पड़ती है। एक तो उनकी तनख्वाह इतनी नहीं कि जो भरपेट खाना खा लें, कपड़ा बना लें और साथ ही साथ कपड़ों को साफ करने का कोई इन्तजाम नहीं है। दूसरी तरफ क्या होता है? कलेक्टर भी सरकारी कर्मचारी है और एक सिपाही भी चपरासी भी सरकारी कर्मचारी है। लेकिन कलेक्टर की श्रीमती की ताबेदारी में चपरासी न रहे, तहसीलदार की श्रीमती का काम चपरासी न करे, कप्तान की श्रीमती का काम सिपाही न करे तो उसे बरखास्त कर दिया जाता है। आज जिले में कलेक्टर का पद राज्यपाल के पद से बहुत ऊंचा पद है। सोशलिस्ट पार्टी ने बार-बार सुझाव दिया है कि इस कलेक्टर के पद की जरूरत नहीं है।

मथुरा जिले में कलेक्टर की कोठी है और उसके चारों ओर ३०-३५ एकड़ का जंगल खड़ा है। उस जमीन में दो किसान परिवारों की अच्छी तरह से गुजर हो सकती है और छोटे-छोटे ८,१० परिवार बड़ी अच्छी तरह से उसमें रह सकते हैं। लेकिन एक सिपाही के लिये दो चारपाई बिछाने के लिये क्वार्टर नहीं है। फिर हमारे माननीय मुख्य मंत्री जायं या सिंचाई मंत्री जायं अथवा वित्त मंत्री जायं थोड़ी थोड़ी दूर पर सिपाही वर्दी कसे खड़े रहते हैं वर्दी खुलती नहीं है। उधर के माननीय सदस्य चाहे कुछ भी कहें। मैं आज सोशलिस्ट हूं, लेकिन पुराना कांग्रेसी भी हूं। गांधी जी की कांग्रेस का कांग्रेसी हूं। मुझे यह कहने में कोई हिचक नहीं कि प्रशासन में सुधार होने की नितान्त जरूरत है।

आज चकबन्दी में बड़ा वावेला चल रहा है। सी० ओ०, ए० सी० ओ० ने जो चाहा कर दिया। उनके बाप दादाओं की आज जमीन लूटी जा रही है। कोई कार्यवाही उसके खिलाफ नहीं हो सकती। अगर न्याय होता है तो बहुत महंगा होता है। कभी गरीब आदमी वकील की मदद से अपनी चकबन्दी की जमीन में न्याय हासिल नहीं कर सकता। एक-एक मुकदमे में साल-साल भर और ६,६ महीने लग जाते हैं। मैं बतलाना चाहता हूं, कि अभी बड़े अफसरान व साहबान की प्रकृति यहां तक बदली नहीं है, आदत यहां तक बदली नहीं है कि समय पर आकर अदालत में बैठें। तारीख लगा दी और कोठी पर चले गये।

***श्री खूबसिंह** (जिला बिजनौर)--अधिष्ठाता महोदय, अगर इस राज्य के प्रशासन का काम आंकना है तो हमारे जो आस पड़ोस के राज्य हैं हमें थोड़ा उनकी तरफ भी देखना होगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री खूबसिंह]

मैं इतना ही कह सकता हूं कि हमारे राज्य का सामान्य प्रशासन बिहार, पंजाब और राजस्थान से अच्छा है। मेरे कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि मैं इन राज्यों के सामान्य प्रशासन के प्रति कोई व्यंगात्मक तरीके से नुक्ताचीनी नहीं कर रहा हूं।

लेकिन तुलनात्मक तरीके से अपने और उनके प्रशासन को मिला कर जो मैंने अन्दाजा लगाया वही मैं आपके सामने रख रहा हूं। यह बात जरूर है कि जितना अच्छा सामान्य प्रशासन किसी राज्य का होना चाहिये वैसा हम अभी नहीं बना पाये हैं। जिस दिन वह बन जायगा वह दिन हमारे लिये एक अच्छा दिन होगा और हम अपने को एक खुशनसीब नागरिक समझेंगे। हमारी बदकिस्मती यह है कि बावजूद १०–१५ साल की कोशिशों के भी हम अपने सामान्य प्रशासन को पूरी तरह से डेमोक्रैटिक प्रशासन नहीं बना पाये हैं। हमारा सामान्य प्रशासन ब्यूरोक्रैटिक ज्यादा है और डेमोक्रैटिक कम है। इस सम्बन्ध में मैं तीन चार सुझाव मुख्य मंत्री के सामने रखना चाहता हूं और मुझे आशा है कि वे उन पर गौर करेंगे और अगर उनमें कुछ जान हुई तो शायद कुछ सुधार हो सके।

पहली बात तो यह है कि जो चुने हुये प्रतिनिधि जनता भेजती है इस राज्य में उनकी जो कीमत होनी चाहिये वह उनकी है नहीं और जबतक उनकी सही कीमत राज्य का ऐडमिनिस्ट्रेशन नहीं आंक पायेगा तब तक कमियां रहेंगी ही, वे किसी तरह दूर हो नहीं सकतीं। हालत हमारी यह है कि जनता के प्रतिनिधियों का क्रिटिसिज्म तो नजरअन्दाज कर दिया जाता है और अगर कोई सरकारी अफसर उसी बात को उसी तरह से कहे तो उस पर बहुत ज्यादा गौर किया जाता है। किस्सा यह है कि जिन लोगों के सामने हम अपनी शिकायत करते हैं वे ही डिसाइडिंग फैक्टर हैं कि वह शिकायत ठीक है या नहीं और उनका कोई रेकार्ड रखा नहीं जाता। जबानी बातें होती हैं और जबानी तौर से ही उन्हें खत्म कर दिया जाता है। तो जब तक यह स्थिति रहेगी तब तक काम नहीं चलेगा।

अब मैं दो तीन बातें और सामने रखना चाहता हूं। पहली बात तो यह कि जिलों में जो एंटी करप्शन कमेटियां काम कर रही थीं वह निर्जीव हो गयी हैं। उनको इतनी ताकत नहीं दी गयी है कि उनका कुछ प्रभाव जिला स्तर के अधिकारियों पर पड़ सके। मैं मुख्य मंत्री महोदय से यह प्रार्थना करूंगा कि या तो इस खेल को खत्म कर दिया जाय या फिर उन्हें ताकत देकर इस योग्य बना दिया जाय जिससे वे जिले के स्तर पर कोई अच्छा प्रभाव डाल सकें और जिलें के ऐडमिनिस्ट्रेशन को अच्छाई की तरफ ले जा सकें और अगर यह मुमकिन न हो तो जो हमारे सर्विस क्लास के आदमी हैं उनके सर्विस रूल्स बहुत पुराने हो गये हैं उनके रहते हुये हम अपने सामान्य प्रशासनको पूरी तरह से डेमोक्रेटिक सामान्य प्रशासन नहीं बना सकते हैं। इसलिये जरूरत इस बात की है कि सर्विस रूल्स में बहुत ज्यादा तरमीम की जाय। और क्या ही अच्छा हो कि हम अपना ढांचा इस तरह से बनायें कि जिला स्तर पर जितने काम करने वाले सरकारी मुलाजिम हैं उनकी तरक्की उनकी तनज्जुली उनके ट्रांसफर्स जिले में कायम की हुई किसी कमेटी के सिपुर्द कर दिये जायं और उस कमेटी में असेम्बली और पार्लियामेन्ट के मेम्बर्स खासतौर से रखे जायं। अगर यह मुमकिन न हो सके तो यह भी मुमकिन है कि जो पब्लिक के नुमायन्दों की शिकायतें हैं वे गवर्नमेन्ट में आयें और एक महकमा कायम कर दिया जाय। उन पर गौर करने के वास्ते उन लोगों को बुलाया जाय और आपस में बातचीत करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा जाय कि शिकायत में कितना वजन है। अगर यह दो तीन बातें इस तरह से कर दी जायं तो मेरा ख्याल यह है कि सामान्य प्रशासन सुधार की तरफ चल सकता है और आज जो करप्शन की बात लोग कहते हैं कुछ है भी और गवर्नमेन्ट भी तो इस बात को नहीं कहती कि बिल्कुल करप्शन है ही नहीं––उसमें भी काफी कमी वाकय हो सकती है।

यह १० मिनट में दो तीन बातें थीं जिन्हें मैं कहना चाहता था मैंने कह दीं। मैं अधिक समय अब सदन का नहीं लूंगा केवल इतना ही कहता हूं कि और सूबों के मुकाबले में हमारे यहां का सामान्य प्रशासन बहुत अच्छा है।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—माननीय अधिष्ठाता महोदय सामान्य प्रशासन के सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने तीसरी पंचवर्षीय योजना का प्राक्कथन लिखा है उसमें उन्होंने जिन शब्दों को व्यक्त किया है वह इस प्रकार है—

"तीसरी पंचवर्षीय योजना में हमारे सामने जो कठिनाइयां और समस्यायें हैं और उनको हल करने के लिये राज्य को जो कदम उठाने हैं उनकी पूरी चर्चा इन पृष्ठों में की गयी है। सरकारी प्रयत्नों की अपनी सीमा है, कुछ तो प्रशासनिक संगठन की प्रकृति के ही कारण और कुछ उन परिस्थितियों के कारण जिन पर राज्य सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है।"

इसी के पृष्ठ ११ पर प्रशासनिक क्षमता के बारे में आपकी सरकार ने जो राय व्यक्त की है उनकी ओर भी सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं:

प्रशासनिक क्षमता—लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा हाल में किये गये एक अध्ययन में प्रोफेसर मसालदान ने कहा है—

"उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक संगठन और प्रणालियों में सरकारी विकास प्रयत्नों के साथ साथ उन्नति नहीं हुई है। आर्थिक विकास के लिये जो उत्साह दिखाई पड़ता है उसका शतांश भी प्रशासनिक सुधार की दिशा में नहीं है। इस बात को समझना बहुत ही आवश्यक है कि विदेशी विरासत में मिले केन्द्रीय सत्ताचालित और केवल लगान वसूल करने वाले तथा आतंकवादी शासन के तरीके हमारी नई जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते। प्रशासनिक सुधार की ओर यदि फौरन ध्यान न दिया गया तो परिणाम में निराशा और अपव्यय ही हाथ लगेगा।"

किन्तु आपने इधर ध्यान नहीं दिया। मैं अपने जिले के कांग्रेसी सदस्य माननीय ठाकुर जगन्नाथसिंह के बारे में क्या कहूं? उन्होंने अपने वर्ग स्वार्थों के अनुरूप और अब तक की सरकारी मशीनरी की पूजा करने की अपनी प्रवृति के अनुरूप कमिश्नरों और नौकरशाही को अक्षुण्य बनाये रखने की बात यहां सदन के समक्ष की है, लेकिन मैं अपने पुराने आजादी के दीवानों, चाहे वह इधर बैठे हों या उधर, के समक्ष अपनी बातें रखूंगा उसमें हम और मुख्य मंत्री जी दोनों शामिल हैं। किसी को वह दिन शायद भूला नहीं होगा जब 'सी' क्लास और कारागारों की नजर-बन्दियों में हमें तकलीफें मिलती थीं। वह दिन हम भूल नहीं सकते जब झूठे मुकदमे चलाकर हम को १०९–११० में बन्द किया गया था। जिन लोगों ने ऐसे झूठे मुकदमे चलाये, पुराने सामन्ती व्यवस्था को कायम रखने में जिन आफिसरों ने मदद की, आज वही कमिश्नर हैं, वही जिलाधीश हैं और वही पुलिस कप्तान हैं। आपने उन्हीं को कायम रखा है जिन्होंने सबसे अधिक लोगों पर हमले किये। आज वही आपके प्यारे बन गये हैं, उनको आपने बदला नहीं है। किसी राज्य की सरकारी मशीन किसी वर्ग स्वार्थ की पूर्ति के लिये बनायी जाती है। एक वर्ग को दबाने के लिये और दूसरे वर्ग के शासन को कायम रखने के लिये यह होती है। अगर आज किसान मजदूरों के वर्ग की समाजवादी सरकार होती तो पूंजीपति वर्ग की हिमायत करने वाले सरकार के नौकरशाहों को जेल में भेज देती और जमींदारों के पक्ष में तथा किसानों का खून चूसने वालों के पक्ष में इस सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल न किया जाता। लेकिन आपने तो उसी पूंजीपतिपरस्त मशीन को कायम रखा है। मैं पूछना चाहता हूं कि कितने किसानों के प्रतिनिधि आज जिलाधीश हैं? कितने पुलिस कप्तान आपने मजदूर वर्ग से रखे हैं, कितने मेहनतकशों के वर्ग से, अछूतों से हरिजनों से आपने कमिश्नर रखे हैं? मैं यह भी चाहता हूं कि आपने कितने अछूतों और हरिजन भाइयों को कलेक्टर बना रखा है। आपके यहां अछूतों और हरिजनों को इतने दिनों से संरक्षण प्राप्त है, लेकिन एक भी अछूत

[श्री दीपनारायणसिंह]

या हरिजन को आपने जिलाधीश नहीं बनाया । आपने किन लोगों को बना रखा है ? आज उन लोगों को बना रखा है जो इन कौमों को लूटते हैं और दबाते हैं और जो आपकी आजादी की तहरीक को भी दबाया करते थे । आपकी शासन की मशीनरी उस वर्ग को मजबूत करने में लगी हुई है जिसको आपने दफनाने की बात की है । माननीय मुख्य मंत्री जी, आप इस नौकरशाही की मशीनरी के कारण ही मौदहा में हार गये । मैं इसलिये, श्रीमन् यह कह रहा हूं कि आपने स्वयं मौदहा में हारने के बाद सामन्तशाही की शिकायत की थी, लेकिन अब आपने उसी सामन्तशाही, नौकरशाही से नाता जोड़ा है ।

अधिष्ठाता महोदय, मैं अपने पुराने आजादी के सिपाही तथा जेल के साथियों से कहता हूं कि हमने अपने देश की आजादी किसान मजदूर वर्ग के लिये ही ली थी । १९३३ में पंडित जवाहर लाल जी नेहरू ने कहा था कि हिन्दुस्तान से अगर अंग्रेज चले जायं तो स्वराज्य हासिल हो जाय । लेकिन श्रीमन्, आजादी हासिल करने के बाद किसान मजदूरों की हिमायती शासन की मशीनरी नहीं बनी । मैं कहूंगा कि आपने स्वराज्य कायम किया, लेकिन ऐसा स्वराज्य कायम किया जिसमें इस सरकारी मशीनरी का थानेदार १०९ में पासी तथा चमारों को ही अधिकतर पकड़कर लाता है । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि कितने जमीदारों के लड़के दफा १०९/११० में हैं ? असलहा के लाइसेंस देने के लिये तो आप स्टेटस देखते हैं और यह देखते हैं कि कौन ज्यादा मालगुजारी देता है । आपने इसी को समाजवादी समाज बनाया है ? आप क्यों नहीं असल्हा कानून में संशोधन करते हैं ? आप आजकल तमन्चा और बन्दूक उनको ही देते हैं जो किसान मजदूर के यहां डकैती करते हैं, उनको लूटते हैं, उनका शोषण करते हैं। उन लोगों को फायर आर्म्स देते हैं जिनके लड़के बेकार हैं और कुछ काम न करने के कारण इन हथियारों का दुरूपयोग करते हैं । मेरा निवेदन यह है कि आप फायर आर्म्स ऐक्ट में संशोधन क्यों नहीं लाते हैं?

मैं पूछना चाहता हूं कि आप आजकल आनरेरी मजिस्ट्रेट किन को बनाये हुए हैं । उसी वर्ग के लोगों को बनाये हुए हैं जो उठती हुई किसान मजदूरों की लहर को कुचलने में अपने फैसले देते हैं । आपने पंचायतों के चुनाव में देखा कि किसान मजदूर उठने लगे हैं और पंचायतों के पंच जनता द्वारा चुने जाने लगे हैं तो अपना सरकारी मशीनरी द्वारा पंचों को नियुक्त करने की तरकीब निकाली है। अगर आपकी यह सरकारी मशीनरी किसान मजदूर वर्ग के हित में प्रयुक्त नहीं हुई तो आपकी सारी योजनायें धरी रह जायंगी और आपका यह समाजवादी ढांचा भी धरा रह जायगा । उस समय आप नहीं रहेंगे हम नहीं रहेंगे और मैं फिर अपने शब्दों को दुहराता हूं जहेदी रहेंगे, अयूबी रहेंगे । आज आप समाजवाद के लिये रास्ता साफ नहीं कर रहे हैं बल्कि डिक्टेटरशिप लाने के लिये रास्ता साफ कर रहे हैं । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस शोषक वर्ग की सरकार को खत्म कर दीजिये और किसान मजदूर वर्ग की सरकार को कायम कीजिये . . . .

श्री अधिष्ठाता—आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री दीपनारायणसिंह—मैं यह कहना चाहता हूं कि आप समाजवाद के नाम पर पूंजीवादी व्यवस्था ला रहे हैं । यदि आप मुझे बोलने का समय नहीं दे रहे हैं तो मैं बैठ जाता हूं लेकिन इतना अवश्य कहूंगा कि आपके यह कलेक्टर और कमिश्नर खत्म हो जाने चाहिये ।

श्री किशोरीलाल अग्रवाल (जिला लखनऊ)—अधिष्ठाता जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं . . . .

श्री उग्रसेन—व्यवस्था का प्रश्न है । सदन में लाउड स्पीकर फेल है। इसलिये सदन की कार्यवाही नहीं चल सकती है । आप स्थगित कर दीजिये ।

श्री अधिष्ठाता—लाउड स्पीकर खराब है। उसको ठीक करने की कोशिश की जा रही है। तब तक कृपा करके जरा जोर से बोलें।

श्री चन्द्रजीत (जिला आजमगढ़)—श्रीमन्, आपकी बात नहीं सुनाई पड़ रही है। आप जो कुछ व्यवस्था दे रहे हैं वही नहीं सुनाई पड़ रही है। आप दस पांच मिनट के लिये स्थगित कर दीजिये।

श्री यादवेन्द्रदत्त—करेंट नहीं आ रही है। इसलिये माननीय सदस्यों को बोलने में कठिनाई हो रही है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि दस पंद्रह मिनट के लिये सदन की कार्यवाही स्थगित कर दें। बोलने में भी आसानी होगी और व्यवस्था भी जल्दी हो जायगी।

श्री अधिष्ठाता—लाउड स्पीकर खराब है। इसलिये १५ मिनट के लिये सदन की कार्यवाही स्थगित होती है।

(इस समय २ बजकर ५७ मिनट पर सदन स्थगित हुआ। ३ बजकर १२ मिनट पर सदन की कार्यवाही अधिष्ठाता, श्री काशीनाथ, की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

श्री किशोरीलाल अग्रवाल—माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपने विचार आपके सामने रख सकूं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो मांग पेश की है उसके समर्थन में और विरोधी दल के नेता ने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है उसके विरोध में मैं खड़ा हुआ हूं। यह उत्तर प्रदेश के लिये बड़े गौरव की बात है कि उसके प्रदेश का मुख्य मंत्री इतना कर्त्तव्यनिष्ठ, मेहनती और नीतिवान है कि जिसके प्रशासन काल में यहां का प्रशासन इतने सुचारु रूप से चल रहा है।

श्री अधिष्ठाता—माइक ठीक हो गया है, आप माइक पर बोलें।

श्री किशोरीलाल अग्रवाल—विरोधी दल जब से यह बजट का सेशन शुरू हुआ है तब से बराबर विरोधी बातें करता है। सिवाय इसके कि वह नुक्ताचीनी करें उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं बतलायी कि प्रशासन में यह यह सुधार होने चाहिये। एलेक्शन के समय में तो उनको अपनी पार्टी की नीति का प्रचार करने के लिये गलत सलत बातें कहनी चाहिए परन्तु इस हाउस में आकर के हमारी और उनकी दोनों की जिम्मेदारी हो जाती है कि जो भी पार्टी सरकार बनावे उसके हर डेलीबरेशन में अच्छे-अच्छे सुझाव दें ताकि भली प्रकार से वह चल सके और जो हमारी प्रान्तीय सरकार की नीति है कि वेलफेयर स्टेट बनाया जाय उसको बनाने में वह सहयोग दें। अगर वह चाहते हैं कि उनका प्रान्त खुशहाल हों तो उनकी जिम्मेदारी हो जाती है कि वह प्रशासन के हर कदम पर मदद करें। आज हम देखते हैं कि जिलों में एंटी करप्शन कमेटियां बनी हुई हैं। लेकिन कोई भी विरोधी दल का आदमी आज यह नहीं कह सकता है कि उसने कोई केस पकड़वाया है या करप्शन खत्म करवाने में उसने कोई मदद की है। यह बड़ी लज्जा की बात है विरोधी दल वालों के लिये क्योंकि उनका फर्ज होता है कि वह सहयोग दें उस पार्टी को जिसकी सरकार हो। उन्हीं के सहयोग से जो सरकार में खराबी होती है, जो सरकार के अफसरान हैं उनमें जो खराबी होती है वह दूर हो सकती है। वह जब मंत्रियों को बतलायेंगे कि आपके अधिकारियों में यह खराबियां हैं तो वह दूर की जा सकती हैं। यह तो उन्हीं की जिम्मेदारी है।

अब मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी सर्विसेज में स्पेशलाइजेशन की तरफ ध्यान दें क्योंकि हम देखते हैं कि कोई फैक्ट्री चलानी है तो उसमें तो आई० ए० एस० अफसर भेज दिया जाता है, कारपोरेशन में मुख्य नगर अधिकारी बनाया जाता है तो वहां भी आई० ए० एस० अफसर भेज दिया जाता है। यह कोई जरूरी नहीं है कि जो आई० ए० एस० अफसर है

[श्री किशोरीलाल अग्रवाल]

वह हर चीज में गुणवान और निपुण हो। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि जो पब्लिक अंडर-टेकिंग्स हैं जिसे कि आमदनी होती है उसमें जिन लोगों को बिजनेस करना आता हो वही लोग अधिकारी बनाये जायं। मैं चाहता हूं कि फाइनेंस डिपार्टमेन्ट का डिसेंट्रलाइजेशन किया जाय। जिस समय कि बजट पास हो जाता है उसके बाद जिस डिपार्टमेन्ट का बजट है उन्हीं के हेड आफ दी डिपार्टमेन्ट को रुपया खर्च करने का अधिकार दिया जाय, न कि बार-बार फाइलें फाइनेंस डिपार्टमेन्ट में भेजी जायं। मिसाल के तौर से मैं सदन का ध्यान खास तौर से माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में, जिस क्षेत्र से मैं चुनकर आया हूं, उसी क्षेत्र में यह कौंसिल हाउस बना हुआ है, यहां के निम्न वेतन भोगी कर्मचारी आज सरकारी क्वार्टरों में रहते हैं, लेकिन उनकी डेढ साल से मांग है कि उनके क्वार्टरों में बिजली लगाई जाय और जहां पर उनकी क्वार्टर बने है वहां पर सड़क बनाई जाय, लेकिन वह फाइल फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट में पड़ी हुई है। १।। साल से अभी तक उस पर कोई निपटारा नहीं हुआ है। इसलिये यह जरूरी है कि हर एक विभाग को अधिकार दिया जाय कि जो रुपया इस सदन से सेंक्शन हो जाय, जो बजट सेंक्शन हो जाय डिपार्टमेन्ट के हेड खुद उसको खर्च कर सकें।

तीसरी चीज जिसकी ओर मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वह यह है कि आज जिला स्तर पर और सचिवालय में भी पेपर्स का डिस्पोजल्स तेजी से नहीं हो रहा है। उसके लिये यह जरूरी है कि असिस्टेन्ट सेक्रेटरी, अन्डर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी और सेक्रेटरी, सब की रिस्पांसिबिलिटी फिक्स की जाय और अगर वह पेपर्स के डिस्पोजल्स में देरी करें तो उनके ऊपर ऐक्शन लिया जाय। तभी यह करेप्शन दूर हो सकता है, क्योंकि जिला स्तर पर अगर कोई शख्स एप्लीकेशन देता है तो बहुत दिनों तक उसको कोई जवाब नहीं मिलता है। अगर उसकी वह एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाय या मन्जूर हो जाय तो लोग दौड़ धूप करना बन्द कर दें, लेकिन अगर डिले होती है उसके निपटारे में तो वहां पर करेप्शन शुरू हो जाता है। इसलिये माननीय मुख्य मंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि कोई ऐसा तरीका निकाले कि पेपर्स का डिस्पोजल क्विक हो।

एक बात यह भी कहना चाहता हूंकि मेरे शहर में वर्तमान जिलाधीश और शहर कोतवाल विशेषरूप से प्रशंसा के पात्र हैं, क्योंकि जिस ओर भी मैं लखनऊ में देखता हूं शान्ति ही शान्ति है और पब्लिक से मिलने में उनका जो रवइया है वह बहुत ही सराहनीय है। हर एक की वह बात सुनते हैं। इसके लिये हमारी सरकार आदर और प्रशंसा की पात्र है कि उसने ऐसे अधिकारियों को हमारे क्षेत्र में नियुक्त कर रखा है जो कि प्रजा के प्रिय हैं। इस विचार के साथ में फिर माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं कि उन्होंने जो यह सामान्य प्रशासन का बजट सदन के सामने रखा है, वह बहुत सुन्दर है और उसको सर्वसम्मति से पास करना चाहिये।

(इस समय ३ बजकर २१ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—माननीय अध्यक्ष महोदय, सामान्य प्रशासन के बजट पर कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। सभी लोग इस बात को स्वीकार करेंगे कि सामान्य प्रशासन के ऊपर ही हमारे प्रदेश के जन सामान्य का और योजनाओं की प्रगति निर्भर है। अगर यह सामान्य प्रशासन के चलाने वाले लोग अच्छे हुए, कांपिटेन्ट हुए तो निश्चय रूप से हमारे प्रदेश का भी उसी प्रकार से हित होगा, उसकी जनता का हित होगा जितने प्रमाण में कि सामान्य प्रशासक उत्साही, योग्य और क्षमताशील ह उसी के अनुसार सामान्य प्रशासन को मजबूत करना चाहिये। सामान्य प्रशासन में जो कमियां है सबसे पहले हमें उनको दूर करना चाहिये। आज यदि उत्तर प्रदेश पिछड़ा है, उसमें योजना की प्रगति नहीं हुई है और जनता का सामान्य जीवन नहीं सुधरा तो हमें यह देखना पड़ेगा कि हमारी इस ब्योरोक्रेसी में, हमारे जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन में कहीं कुछ कमी है, कुछ खामी है, कोई गड़बड़ी है और उसे हमें दूर करना चाहिये। आज आप देखते हैं कि जनरल एफीशियेन्सी

का सामान्य उत्साह का जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में ह्रास हो गया है और इसके कई कारण बतलाये जा सकते हैं। कई बार यह आलोचना की गयी है कि हम जिन कर्मचारियों को रखते हैं उन्हें स्थायी नहीं करते। बहुत बड़ी अस्थायी कर्मचारियों की संख्या रहती है और जब तक वे अस्थायी रहते हैं, अपने कर्त्तव्य का पूर्ण रूप से पालन नहीं कर पाते। इसलिये हमें सोचना होगा कि जिन कर्मचारियों को हम रखते हैं उनको ठीक प्रकार से, सोच समझ कर रखें और अस्थायी लोगों को अधिकतर न रखें। स्थायी लोग रखें ताकि उनको अपनी नौकरी की सुरक्षा का ज्ञान रहे और वे भली प्रकार अपने कार्य को चला सकें। जितने लोग भी एक्जीक्यूटिव पोस्ट पर हैं उनको जनता से भली प्रकार बड़ी दक्षता से बरताव करना चाहिये। इसी प्रकार बहुत जगह स्टाफ सरप्लस रहता है और बहुत जगह कर्मचारिगण काम के बोझ से दबे रहते हैं। उदाहरण के लिये, हमारे यहां ए० डी० एम० प्लानिंग के पास बहुत काम है। वह प्लानिंग कमेटी का हेड होता है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का सेक्रेटरी रहता है और उसके मातहत बीसियों काम रहते हैं, लेकिन इसी के साथ-साथ ए० डी एम० (जे) है या ए० डी० एम० (ई०) हैं उसके पास कोई काम नहीं रहता। इसी प्रकार अन्य अफसरों के पास भी काम नहीं रहता। इसके अलावा कमिश्नर्स हैं, ऐडीशनल और डिप्टी कमिश्नर्स हैं, यह बेकार पड़े रहते हैं और उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार डिप्टी डाइरेक्टर आफ एजूकेशन का एक दफ्तर है। वह केवल पोस्ट आफिस का काम करता है। जिलों में इंस्पेक्टर्स आफ स्कूल्स सब काम देखते हैं और अपना काम जिम्मेदारी के साथ करते हैं। इसलिये उस डिप्टी डाइरेक्टर की पोस्ट को समाप्त किया जाना चाहिये। इससे एफीशियेन्सी बढ़ेगी और काम में कोई रुकावट नहीं पड़ेगी। इसी प्रकार कर्मचारियों की नियुक्ति करते समय उनकी सुविधाओं का ध्यान भी हमें रखना चाहिये और उनके काम करने के ढंग के बारे में भी हमें सोचना बिचारना पड़ेगा। हम बहुत से कानून और नियम बना लेते हैं और उनको एक्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी इस सामान्य प्रशासन की होती है हमें यह भी देखना चाहिये कि जो नीति हमने निर्धारित की है उसके अनुसार वे उसे एक्जीक्यूट कर भी रहे हैं अथवा नहीं। हमारे आर्डर्स कैरी आउट करते हैं या नहीं और करते हैं तो किस ढंग से। हमने योजनायें बनायी हैं और उनमें हमें बहुत से काम करने हैं और वे सब काम यह सामान्य प्रशासन के द्वारा ही किये जायंगे। लेकिन हमने देखा है कि वे अधिकारीगण उन योजनाओं में दिलचस्पी नहीं रखते और इसी कारण वे योजनायें सफल नहीं होती। बहुत सी बातों से सिद्ध होता है कि जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन में भ्रष्टाचार पनप गया है। इसे दूर करने के लिये मैंने पहले दो एक बार सुझाव दिये थे और उनको मैं फिर यहां दोहराना नहीं चाहता, लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा कि जितने भी हाकिम परगना हैं उनके लिये सरकार ने एक नीति निर्धारित की थी कि वे ज्यादातर अपने हेड क्वार्टर्स पर रहें, तहसीलों में जाकर रहें। लेकिन होता यह है कि वास्तव में वे अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर पड़े रहते हैं और सामान्य जनता के जीवन के साथ घुलमिल नहीं पाते। और जनता इसलिये बड़ी परेशान रहती है। हम जो नियम बनाते हैं उन नियमों का पालन कहां तक होता है, उन बातों को नहीं देखते। हमें उनको देखना चाहिये। इसी तरह से जब आप अस्थायी व्यक्ति रखते है तो यह देखना चाहिये कि किनको अस्थायी रखा जाय मैं तो कहता हूं कि आप रिटायर्ड आदमियों को एक्सटेन्शन न दें और जितनी भी अस्थायी नौकरियां दी जाने वाली हैं उन पर उन रिटायर्ड आदमियों को रखें ताकि वे अपने तजुर्बे से कुछ फायदा पहुंचा सकें। वैसे साधारण नीति यही होनी चाहिये कि जिस आदमी को आप अस्थायी रूप से रखें उसको इस प्रकार का आश्वासन दें कि वह स्थायी कर दिया जायगा। ऐसा जब होगा तभी वह अपना कार्य ठीक प्रकार से करेगा।

इसी प्रकार से जो भ्रष्टाचार फैलता है, योजनाओं का ठीक तरह से एग्जीक्यूशन नहीं होता, उसका कारण यही है कि जो निरीक्षण विभाग है उसकी ढील रहती है। मुझे याद है कि जब एक बार मैं ब्लाक डेवलपमेन्ट कमेटी की मीटिंग में गया तो मुझे एक सर्टिफिकेट दिया गया कि मैंने खरीफ आन्दोलन में बहुत बड़ा भाग लिया जब कि मैं उसके करीब होकर भी नहीं गुजरा।

[श्री हरीशकुमार गंगवार]

वह सार्टिफिकेट १०–१२ और आदमियों को भी मिला जिन्होंने इस तरफ कोई कार्य नहीं किया था। बाद में जब मैंने ब्लाक डेवलपमेन्ट आफिसर से पूछा तो उन्होंने कहा कि कहीं कर्मचारियों की गलती हो सकती है। तो यह ऐसी बात है कि अगर हम उन पर निरीक्षण न रखें तो गलती हो सकती है। आज कितना पैसा जो खरीफ आन्दोलन के लिये दिया गया बेकार गया। इसी तरह से योजनाओं में गड़बड़ी होती है और योजनायें पनप नहीं पातीं। इसलिये जो भी आफिसर हम नियुक्त करें उसके ऊपर यह दृष्टि रखी जानी चाहिये कि वह ठीक प्रकार से काम कर रहा है या नहीं।

इन आफिसर्स में एक बात और देखी गयी है और वह है लैक आफ एफिसिएन्सी। उनमें उत्साह की कमी होती है। इसके अलावा कुछ आफिसर्स पर जितना प्रेशर है काम का उसके हिसाब से उनको ठीक से गाइडेन्स नहीं मिलती, ठीक सुविधायें नहीं मिलतीं। इस कारण वे अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर पाते। उदाहरण के लिये जो एस० डी० एम्स० और एस० डी० ओज० हैं, उनके यहां फ़ोन नहीं होते। मैं बरेली की बाबत जानता हूं दूसरी जगह का मुझे पता नहीं, वहां नहीं है। इसके न होने से हम उनको कन्टैक्ट नहीं कर पाते और वे भी यदि हमसे कन्ट्रैक्ट करना चाहें तो नहीं कर सकते। फोन करना हो तो उनको कहीं पड़ोस में जाकर करना पड़ता है। तो जहां पर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का प्रश्न है, वहां आपको उनके लिये यह सुविधा देनी होगी।

इसके अलावा आज प्रापर डिस्ट्रीब्युशन आफ वर्क नहीं है। ए० डी० एम० (प्लानिंग) के पास तो इतना काम है कि वे काम से दबे जा रहे हैं पर जो दूसरे हैं उनके पास उतना काम नहीं है। वे दो-दो घंटे गायब भी रहते हैं। उनको उसके लिये समय मिल जाता है। इसी तरह से बी० डी० ओज० के पास भी बहुत काम और जिम्मेदारियां हैं, मगर जो और आफिसर्स उन्हीं के रैन्क के हैं उनके पास उतना काम नहीं है। इस कारण बी० डी० ओज० को यह शिकायत रहती है कि उनके पास काम अधिक है और सुविधायें भी कम हैं दूसरों के मुकाबले में। उसी तरीके से एस० डी० ओ० भी कहते हैं कि बी० डी० ओ० को जीपें मिली हुई हैं, हमको नहीं मिलतीं, हम दौरा कैसे करें। तो इस तरह से एक नीति का निर्धारण होना चाहिये और प्रापर डिस्ट्रिब्युशन आफ वर्क होना चाहिये ताकि लोग उत्साह के साथ कम करें। हम कानून बनाते हैं, लेकिन उनका प्रापर एग्जिक्यूशन बड़ी जरूरी चीज है, वरना योजनाएं धरी की धरी रह जायंगी, जिस तरह से दो पंचवर्षीय योजनाएं समाप्त होने के बाद भी प्रदेश तरक्की नहीं कर पाया। इसी प्रकार से एक नयी फौज पैदा हुई है। पहले डिप्टी इंस्पेक्टर जिला स्तर पर जिला परिषदों में रहा करते थे। अब उनके साथ एक ए० डी० आई० रखे गये हैं—अडीशनल डिप्टी इंसपेक्टर। नतीजा यह है डिप्टी इंसपेक्टर पर कोई काम नहीं रहा, सारा काम उन्होंने ए० डी० आई० पर छोड़ दिया, क्योंकि वह उनके मातहत हैं और हर तरीके से अलाटमेन्ट आफ वर्क उसी के जिम्मे है। इस तरह से डिप्टी इंसपेक्टर अपनी गद्दी छोड़ कर चले जाते हैं और कभी दिखलाई नहीं देते। मैं अपने यहां की बात करता हूं कि मैंने उनको ढूढ़ने की डेढ़ महीने तक निरंतर कोशिश की, लेकिन वह कभी हाथ नहीं आये। घर रहते हैं। घर कोई मिलने जाता है तो कहते हैं कि आफिस आइये और वहां आ जायं तो कह दिया जाता है कि दौरे पर होंगे, पता नहीं कहां होंगे। जब कि निश्चित प्रमाण मिला कि घर पर मौजूद थे और दफ्तर में नहीं आये। मैंने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में सवाल किया कि हमको बड़ी परेशानी होती है, जनता परेशान है, एक दिन मुकर्रर कर दिया जाय जिस दिन वह मौजूद रहें, लेकिन अध्यक्ष महोदय भी कुछ नहीं कर सके। कहने लगे कि हमारे पास कोई ऐसा जरिया नहीं कि हम उनको कम्पेल कर दें कि वह एक दिन भी रहें। वह तो डायरेक्टर या इंसपेक्टर साहब से गाइड होते हैं, आप उनसे कहिये, हमारे पास तो कोई साल्यूशन नहीं है। अध्यक्ष के मातहत जिला परिषद का सारा काम चलता है लेकिन अफसर पर कोई कंट्रोल नहीं है। डुप्लीकेट एडमिनिस्ट्रेशन है। अगर हम इन डिफेक्टस को दूर कर दें तो भ्रष्टाचार दूर होगा और योजनायें भी चलेंगी और पूरे

प्रदेश की जनता सुख समृद्धि के पथ पर अग्रसर होगी। इतनी बात कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्रीमती राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद)—अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री के प्रशासकीय अनुदान के समर्थन में यहां खड़ी हुई हूं। मैंने माननीय विरोधी दल के नेता के भाषण को सुना और कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में जो उन्होंने तर्क प्रस्तुत किये उनको भी सुना, लेकिन मुझे लगा कि वही पुरानी बातें फिर से दोहराई जा रही थीं, कोई नयी बात नहीं थी। आजादी के इतने दिनों बाद जब कि हम एक योजनाबद्ध तरीके से प्रशासन को चलाने में संलग्न हैं और हमने अपनी बहुत सी त्रुटियों को सुधारने का भी प्रयास किया है ऐसा क्रिटिसिज्म, ऐसी बातें जो विरोधी दल के माननीय नेता ने कहीं वह कुछ बहुत अपनी जगह पर ठहरती नहीं है। साधारणतया जो तीन चार बातें प्रशासन के विरोध में कही जाती हैं वही कही गयीं। पहली बात यह कि टाप हेवी ऐडमिनिस्ट्रेशन है। मैं मानती हूं कि आज हमारे यहां विस्तार हो रहा है। प्रशासन की दृष्टि से जहां पर उचित समझा जाता है नये-नये अधिकारियों की नियुक्ति होती है। दफ्तरों की भी संख्या बढ़ रही है लेकिन आज के इस समय में जब कि हमारा प्रदेश आगे बढ़ रहा है यह अति आवश्यक हो जाता है। आज जो ऊपर के अफसर हैं, सदन के अन्दर जो पालिसी हम निर्धारित करते हैं उसी के अनुसार वह कार्य करते हैं, यह बात नहीं है कि वह अपनी ओर से हमारे ऊपर कोई चीज लादते हैं। डेमोक्रेसी में ब्यूरोक्रेसी तभी मजबूत होती है जब कि पोलिटिकल लीडर्स कमजोर हों, देश के राजनीतिक नेताओं को एडमिनिस्ट्रेशन का ज्ञान न हो। लेकिन मैं इस बात को मानने के लिये कभी तैयार नहीं हूं कि हमारे नेताओं में इस बात की कमी है। पिछले १५ वर्षों के अनुभव ने हमें बताया है कि हमारा नेतृत्व सफल रहा है, ब्यूरोक्रेसी सफल नहीं हो सकी है और न वह पनपने पाई है। मैं दावे के साथ कह सकती हूं। जिन-जिन परिस्थितियों में अंग्रेजी हुकूमत से, जिसने कि अफसरों की सहायता से देश में राज्य किया और जिनका अंग्रेजों के जमाने में ट्रेनिंग हुई थी, जिस शांति पूर्ण ढंग से हिन्दुस्तान में शासन का बदलाव हुआ उसके बाद बहुत संभव था कि ब्यूरोक्रेसी हमारे ऊपर हावी हो सकती परन्तु हमारे नेताओं में प्रशासन की खूबियां और योग्यता थी इसलिये वह हावी नहीं हो सकीं और आज हमारे देश में जनतन्त्र जो सफल दिखाई पड़ रहा है उसका कारण यह है कि हम सदन में जो पालिसी निर्धारित करते हैं उसको एग्जीक्यूट करने के लिये ही केवल अफसर हैं, इससे ज्यादा उनको अधिकार नहीं है। मैं यह भी समझती हूं कि डेमोक्रेसी के अन्दर आज जिस तरह से अफसरों को क्रिटिसाइज किया जाता है उस दृष्टिकोण से अगर देखा जाय तो जिस परम्परा को हमें बनाना है, आज इस बात को समझना है कि हमारे जो अफसरान हैं वह केवल कर्मचारी ही नहीं है, जिस तरह से हमारे ऊपर देश और देश को बनाने का भार है उस प्रकार उन पर भी भार है और उनको विश्वास में लेने की आवश्यकता है। उनके ऊपर यदि हम विश्वास नहीं करते तो हम उनसे अधिक सहायता की उम्मीद नहीं कर सकते। यह भी एक खतरनाक चीज हमारे प्रशासन में आ जायगी। विरोधी दल के माननीय नेता ने रेड टेपिज्म की बात कही। मैं मानती हूं कि कुछ अंशो में रेड टेपिज्म से जनता को परेशानी होती है लेकिन साथ ही साथ यह भी स्वीकार करना पड़ेगा कि गवर्नमेंट के काम और साधारण काम में बड़ा फर्क होता है। साधारणतया हम कोई निर्णय ले सकते हैं लेकिन सरकारी काम में मेथाडिकली चलना पड़ता है, एक साधारण आर्डर पास करने के पहले एक बड़े अफसर को नोट्स को देखने और छानबीन करने की आवश्यकता होती है क्यों कि यह सम्भव नहीं है कि दफ्तर में बैठा हुआ बड़ा अफसर सारी बातें समझ जाय, उसको रिपोर्ट के ऊपर निर्भर करना ही पड़ता है और उसमें टाइम फैक्टर आ जाता है। इस मेथाडिकल और सिस्टेमेटिक तारीके में सुधार किये जांय तो बहुत अच्छा है। लेकिन फंडामेंटली अगर इसको कोई खत्म करना चाहे तो वह डेमोक्रेटिक सिस्टम में बिलकुल असम्भव है। मैं चाहूंगी कि माननीय विरोधीदल के नेता कम से कम उसे रिपोर्ट

[श्रीमती राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी]

को अवश्य पढ़ें जो ऐडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स के बारे में रिपोर्ट लिखी गयी है। उसमें बहुत ही अच्छे ढंग से भारतीय प्रशासन का वर्णन किया गया है। उसमें भारतीय जनतन्त्र की अच्छाइयों की ओर संकेत किया है तथा उसमें कुछ सुधार की ओर भी संकेत किया गया है।

हमारी पंचवर्षीय योजना में मुख्यतः ४ बातें हैं। उन चार बातों की ओर विशेषतः इसमें ध्यान दिया गया है। पहले तो इन्टीग्रिटी की ओर ध्यान दिया गया है, दूसरे ऐफीशियेंसी की ओर ध्यान दिया गया है, तीसरे पब्लिक ऐडमिनिस्ट्रेशन में एकोनामी की ओर ध्यान दिया गया है, इसके साथ ही साथ पब्लिक कोआपरेशन की ओर भी ध्यान दिलाया गया है जो कि आफिसरों को मिलना चाहिये। ये चारों मूल बातें हैं, जिनपर हमारी सरकार चल रही है। मुझे आशा है कि इससे देश और प्रदेश का शासन सुधरेगा। और उनके द्वारा हम अपने ऐडमिनिस्ट्रेशन को कुछ शुद्ध और अच्छा बना सकेंगे।

यह जो मांग प्रस्तुत की गई है, यह बहुत उचित मांग है क्योंकि उसमें जो वृद्धि हुई है वह इस कारण से हुई है कि निम्न वर्ग के कुछ कर्मचारियों की तनख्वाहों में वृद्धि की गई है। तथा कुछ नये सुधार भी प्रशासन में हुये हैं। इस वजह से यह बहुत उत्तम मांग है। यह ठीक है कि विरोधी दल के लोग प्रशासन की आलोचना करते हैं और सुझाव देते हैं, लेकिन उसके साथ ही मैं चाहूंगी कि जिस सहयोग की सरकार उनसे आशा करती है वह भी उसको उनसे मिलना चाहिये जो कि हमें किसी भी स्तर पर उनसे मिलता नहीं है। मैंने प्रायः यह पाया है कि जहां साधारण सहयोग से काम चल सकता है वहां सरकारी कर्मचारियों के मार्ग में ऐसी बाधायें उपस्थित कर दी जाती हैं कि काम ही रुक जाता है। मैं अन्त में फिर अनुदान का समर्थन करती हूं।

श्री ऊदल—अध्यक्ष महोदय, जो कटौती का प्रस्ताव माननीय दुबे जी ने रखा है मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कहा कि उनको कुछ सुझाव दिये जायं जिनके ऊपर चल कर वे प्रशासन में कुछ सुधार कर सकें। मैं समझता हूं माननीय मुख्य मन्त्री जी ने इस विषय के ऊपर काफी गौर किया है और शुरू-शुरू में माननीय मुख्य मन्त्री जी ने काफी एलान किया कि हम किफायतशारी करेंगे। उसके बाद श्रीमन, ज्यों-ज्यों दिन बीतता गया त्यों-त्यों देखने से पता चलता है कि माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जो घोषणा सदन में या सदन के बाहर की थी आज उस पर वह कड़ाई के साथ चलते हुये नहीं दिखाई देते हैं। श्रीमन्, पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य जब निर्धारण किया गया तो शुरू-शुरू में उसका यही लक्ष्य था कि सार्वजनिक प्रशासन में जो लक्ष्य हमें प्राप्त करना है वह यही है कि हमारा प्रशासन ईमानदार, योग्य और किफायतशारी का हो और सार्वजनिक सहयोग को प्राप्त कर सके। अगर इन चार कसौटियों पर हम इस प्रशासन को कसें तो एक में भी आज का मौजूदा प्रशासन या प्रशासन मशीनरी खरी नहीं उतर सकती।

जहां तक किफायतशारी का सवाल है, आप अगर देखें कि सन् २२ में जहां पहले पौन लाख रुपया भत्ते पर होता खर्च था वहां आज १८ लाख रुपया खर्च हो रहा है। इसी तरह से सचिवालय के कर्मचारियों पर पन्द्रह गुना खर्च हो रहा है। फिर आप देखें कि किस तरह से माननीय मुख्य मन्त्री जी किफायतशारी कर सकते हैं। आज किस तरह से सचिवालय के बड़े से बड़े कर्मचारी अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं उसका एक जीता जागता उदाहरण मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी के सामने रखता चाहता हूं। आज दौरा करने में मोटरों का प्रयोग बहुत ज्यादा हो रहा है और उसका नतीजा यह है कि लाखों रुपया भत्ते के रूप में देना पड़ता है। इसके अलावा एयर कंडीशंड कम्पार्टमेण्ट्स में चलने की प्रणाली भी बहुत ज्यादा हो गई है। उसको अगर देखा जाय तो अन्दाजा लगेगा किस प्रकार से किफायतशारी हमारी प्रशासन मशीनरी कर रही है। आज की मौजूदा सरकार सचमुच में प्रदेश की जनता के प्र ति

और प्रदेश के विकास के प्रति काफी लायल है, मैं इस बात को मानने के लिये तैयार नहीं हूं चाहे कितनी भी किफायतशारी की बात कही जाय।

इसके अलावा सचिवालय के पुनस्संगठन के लिये एक बार सरकार ने श्री के० के० दास को आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जिन्होंने एक वर्ष तक बड़ी मेहनत करके अपनी रिपोर्ट सरकार को दी। लेकिन सरकार ने उस पर कोई भी अमल नहीं किया। अमल करने के लिये उन्हीं के सचिवालय शिक्षा विभाग को ले लिया, जिसका दफ्तर इलाहाबाद में है और एक सिंचाई विभाग को लिया। एक साल मेहनत करने के बाद श्री के० के० दास ने सरकार को रिपोर्ट दी लेकिन जब योजना को लागू करने की बारी आई तो विभाग ने सरकार से मांग की कि इस योजना को लागू करने में और स्टाफ की आवश्यकता है, तमाम चपरासी चाहिये, तमाम क्लर्क्स चाहिये और इस तरह से अधिक स्टाफ की मांग की भरमार की गई। ऐसी हालत में सरकार ने उनके सामने घुटने टेक दिये। फिर मैं कैसे समझूं कि जो मौजूदा सरकार है वह किफायतशार है और इसे सभी काम को जल्दी कराने की क्षमता प्राप्त है? माननीय मुख्य मन्त्री जी जानते हैं कि पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य यह भी था कि विलम्ब को दूर करना और काम को शीघ्र करना। मैं बड़ी नम्रतापूर्वक माननीय मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि आपने यहां माताटीला स्कीम, यमुना हाइडल स्कीम, टांडा डैम स्कीम, या रिहन्द डैम स्कीम चलाई, लेकिन इनमें से क्या कोई भी स्कीम आपकी निश्चित समय के अन्दर पूरी हो सकी? अगर नहीं पूरी हुई तो हम कैसे समझ लें कि यह प्रशासन एक निश्चित समय के अंदर अपनी और स्कीम्स को पूरा कर लेगा? इस की जिम्मेदारी में प्रशासन के ऊपर डालना चाहता हूं। इसके अलावा आप देखें कि बंगाल सरकार ने भी ऐसे कमीशन का गठन किया था और बिहार गवर्नमेंट ने भी उस को मानकर लागू किया और दोनों जगह उससे लाभ हो रहा है तो क्या वजह है कि उससे बिहार और बंगाल में लाभ हो सकता है और यहां नहीं हो सकता? अतः मैं अपील करूंगा कि उस योजना को जिसे श्री के० के० दास ने बनाया था उस पर पुनः विचार किया जाय और उसको लागू किया जाय ताकि यहां किफायतशारी हो सके और कार्य की प्रणाली में सेक्रेटेरिएट की मशीनरी अधिक दक्ष हो सके।

इसके अतिरिक्त जब किसी भी विभाग की ग्रांट को यह माननीय सदन पास कर देता है तो उसके बाद फिर क्यों हर विभाग को वित्त विभाग के पास जाना पड़ता है। मैं चाहता हूं कि इस रूल में और कानून कायदे में परिवर्तन कर के ऐसा किया जाय कि जब सदन ने उन के लिये ग्रांट पास कर दे तो उतना खर्च करने की पावर उनको रहे बशर्ते कि वह अपनी सारी प्लान वित्त विभाग को पहले से ही दिखा लें, और उसकी मन्जूरी पहले ही ले लें। और बिना किसी स्कीम या योजना के रुपया मांगना और लेना मैं समझता हूं कि यह बहुत बड़ी गैर जिम्मेदारी की बात होगी। इस पर सरकार को विचार करना चाहिये।

इसके अलावा आप देखें कि किस तरह से आज स्टाक में बढोत्तरी हो रही है। आप मुख्य सचिव शाखा को ही लीजिये उसमें आज ११ अधीक्षक हैं और उनके यहां १४ बड़े बड़े अफसर हैं। जब ११ अधीक्षक हैं तो ज्यादा से ज्यादा ११ अधिकारी हो सकते हैं, १४ की क्या आवश्यकता है? माननीय मुख्य सचिव जो हैं वह उत्तराखंड के कमिश्नर भी हैं, उनके साथ एक पद और सुपरिटेंडेंट का बढ़ा दिया गया है और एक साहब को उनके साथ लगा दिया गया और उनके उपसचिव के साथ एक और शाखा खोल दी। इस तरह से जनता के पैसे को बरबाद किया जा रहा है।

इसी तरह से कोई उपसचिव या अनुसचिव जो माल विभाग के हैं और वह काम करते हैं शिक्षा विभाग का। क्या जरूरत है उनकी आप ने कभी उस पर विचार किया? हमारे पास हर विभाग के विषय में सुझाव है कि कहां क्या हो सकता है। मैं निवेदन करूंगा

[श्री ऊदल]

कि आप इस मसले पर गम्भीरतापूर्वक विचार करें, कोई कर्मचारी नहीं निकाला जायगा, जिम्मेदारी उससे बटेगी, काम करने के तरीके में हेर-फेर होगा और प्रशासन की मशीनरी अपने कार्य में अधिक दक्ष होगी।

इसके साथ ही इधर एक मनोवृति बढ़ी है और वह यह कि अभी सरकार ने दो आयुक्त सचिवालय में नियुक्त किये हैं। कुछ दिन बाद ऐसी मनोवृत्ति पैदा होगी कि हर कमिश्नरी के अन्दर दो आयुक्त हैं। इस के बाद उन लोगों की भी इच्छा होगी सचिवालय में आने की जिससे जिले और कमिश्नरी का प्रशासन ढीला पड़ जायगा। (लाल बत्ती होने पर) थोड़े मिनट और दे दें श्रीमन्...

श्री अध्यक्ष—४ मिनट आप और ले लें और ठीक ४ बजे खत्म कर दें।

श्री ऊदल—मैं कह रहा था कि यह आयुक्त के जो पद हैं वे फौरन समाप्त किये जांय क्योंकि विकास के युग में उनकी आवश्यकता नहीं है, जब कि वहां कलेक्टर हैं, डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर है, नियोजन अधिकारी हैं, तमाम तरह के ए० डी० एम० हैं कितने ही तरह-तरह के वहां अफसर हैं तो कमिश्नर की पोस्ट की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर विचार करे और इस पोस्ट को खत्म करे।

इसके साथ ही आप देखें कि आज हालत यह है कि मैं तो यहां तक कहूंगा कि आज जो हमारी मंत्रि-परिषद् है, वह सेक्रेटरी तथा यहां के जो बड़े-बड़े अधिकारी हैं उनके सामने हमेशा घुटने टेकती है और उनकी बातों को मानती है। आप मौजूद थे जब भूतपूर्व मुख्य मन्त्री जी ने ३० अगस्त, १९५७ को एक जी० ओ० निकाला कि जितनी गाड़ियां हैं वे सब वापस की जांय। मैं जानना चाहता हूं कि कितनी गाड़ियां वापस हुईं और कितनी उन्होंने वापस नहीं कीं? अगर नहीं की तो उनके खिलाफ कार्यवाही की गई? उसके बाद हालत यह हो गई कि लोगों को नई गाड़ियां खरीद कर दी गईं।

आज सरकार का दखल हर क्षेत्र में है, चाहे न्याय हो, चाहे जिले का प्रशासन हो। आप जुडिशियरी को ऐक्जीक्यूटिव से अलग करने की बात करते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि अलग करने से क्या फायदा, जब तक कि जुडिशियल अफसर का कैरेक्टर रोल कलेक्टर और कमिश्नर लिखते हैं? आप सचमुच अलग करना चाहते हैं तो जुडिशियल अफसरों का करेक्टर रोल जिला जज के हाथ में रहना चाहिये और उनका सम्बन्ध हाई कोर्ट से होना चाहिये।

अभी बम्बई हाई कोर्ट का शताब्दी समारोह हुआ जिसमें श्री सीतलवाद ने कहा कि आज सरकार का दखल हर क्षेत्र में हो गया है, राजनीतिक आधार पर नियुक्तियां हो रही हैं, मजहब को लेकर नियुक्तियां हो रही हैं। हमारे सूबे में ८, १० दिन पहले एक सज्जन जो कांग्रेस कमेटी के मेम्बर थे, और विधान परिषद् के सदस्य थे उन्हें जज नियुक्त किया गया। अगर उनके सामने न्याय की बात जायगी तो क्या दबाव नहीं पड़ेगा? जरूर पड़ेगा। आनरेरी मैजिस्ट्रेट भी राजनीतिक आधार पर नियुक्त किये जाते हैं। इस तरह से सामान्य प्रशासन ठीक नहीं चल सकता। इसलिये मुख्य मन्त्री जी इस मामले पर गम्भीरतापूर्वक विचार करें प्रशासन की मशीनरी के सामने आप हमेशा घुटना टेकते जायंगे और आपकी योजनायें पिछड़ जायंगी जिसके कारण आप हिन्दुस्तान के नक्शे में और पीछे रह जायेंगे। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री बद्रीप्रसाद (जिला इटावा)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे भी बोलने का मौका दिया। मैं मुख्य मन्त्री जी की मांग का समर्थन करता हूं और

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। मैंने अन्य लोगों के भाषण सुने और इस नतीजे पर पहुंचा कि आलोचनायें यद्यपि शुद्ध भावना से की गईं लेकिन वास्तविकता से रहित हैं। बात ऐसी कही जाय जो व्यावहारिक हो। ४, ५ मोटी–मोटी बातें हैं। एक बात यह कही गई कि कुछ अधिकारियों के स्थान समाप्त कर देने चाहिये। दूसरे यह कैरेक्टर रोल को समाप्त कर देना चाहिये। तीसरी बात यह कि कर्मचारी कर्तव्य परायण नहीं हैं और सदा पार्टीबाजी में पड़ कर उल्टे सीधे काम करते हैं। यह भी कहा कि कहीं व्यक्तिगत रूप से किसी से कोई बात हो गई। इन चार बातों को यदि कार्यान्वित किया जाय तो क्या प्रशासन चल सकेगा? आज प्रशासन में ढिलाई जरूर आ गई है लेकिन प्रशासन को सुचारु रूप से चलाने के लिये हमको दूसरे दृष्टिकोण से विचार करना होगा। हमें विचार करना है प्रशासन में जो भी ढिलाई है उसकी पृष्ठिभूमि है। स्पष्ट कारण यह है कि प्रशासन में इसलिये ढिलाई आ गई है कि आज स्थिति बदल गई है। जब से सत्ता का हस्तांन्तरण हुआ है हमारे कर्मचारियों के सामने भिन्न-भिन्न प्रकार की समस्यायें आती हैं, काम इतना बढ़ गया है, यदि ईमानदारी से कर्मचारी काम करें, और मेरा विश्वास है वह करते हैं, यह बात दूसरी है कि २, ४ परसेंट कर्त्तव्य परायण न हों, लेकिन आम तौर से क्लारिकल स्टाफ से लेकर बड़े-बड़े अधिकारी तक काम से लदे हैं और अपने बाल बच्चों तक की देखभाल नहीं कर सकते हैं। जरूरत इस बात की है कि हम सहानुभूतिपूर्वक इस समस्या पर विचार करें और यह सोचें प्रशासन को कैसे ठीक कर सकते हैं। मेरे लायक दोस्त आलोचना करने में बड़े तेज हैं चाहे वह सारहीन हो, तथ्यहीन हो। मैं नम्रता से निवेदन करूंगा कि आलोचना ऐसी हो जिसके पीछे तथ्य हो, जिसमें निर्माण की भावना हो। उसका स्वागत है। आज प्रशासन किस ढंग से चले? सरकारी कर्मचारियों की छटनी कर दी जाय? उन स्थानों को तोड़ दिया जाय जो अनावश्यक हैं हमारे दोस्तों के शब्दों में, तो क्या प्रशासन चल सकेगा? क्या गौरव की बात नहीं है कि ३०, ३० वर्ष के हमारे नौजवानों ने जिलों में प्रशासन को सुन्दरता से चलाया और ऐसी परिस्थित में चलाया जब देश में तथा सूबे में एक बड़ा बवंडर आया हुआ था। उस समय कितना अच्छा इन्तजाम करके दिखाया गया? यह कम गौरव की बात है कि देश का निर्माण करके देश को इतना आगे बढ़ा दिया है? जो निर्माण की योजनायें चलाई जा रही हैं उन सबको कार्यान्वित करके देश को समृद्धि के रास्ते पर डाल दिया है? जिस कठिन समय में इस देश में उन्होंने शांति स्थापित की है, व्यवस्था कायम की है ये चीजें ऐसी नहीं हैं जिनकी उपेक्षा की जा सके।

यह सत्य है कि कुछ ढिलाई आ गई है। उसकी पृष्ठभूमि पर विचार करें तो उसका बहुत कुछ दायित्व हम पर है। जरा हमारे दोस्त सोचें कि आज क्या हो रहा है। आज सूबे के अन्दर आये दिन आन्दोलन चलते हैं। आज आन्दोलन चलाने का एक रवैया सा हो गया है। जब देखिये एक आन्दोलन खड़ा कर दिया जाता है और राज्य कर्मचारियों को इन आन्दोलनों को निबटाने में काफी समय लग जाता है। यहां तक होता है कि जो एस० पी०, कलेक्टर विरोधी दल पार्टीज की बात नहीं मानते हैं उनके खिलाफ जलूस निकलते हैं, नारे लगते हैं, पिकेटिंग होती है जिससे प्रशासन चलाना दुश्वार हो जाता है और ऐसी हालत पैदा हो जाती है कि प्रशासन समाप्त हो जाय। इसी तरह से हमारे इटावा में आन्दोलन चले और तहसीलों में धरने दिये गये। कलेक्टर, एस० पी० के खिलाफ भी जलूस निकले। लेकिन उन्होंने बड़े साहस व धैर्य से इसका मुकाबला किया। मैं अपने दोस्तों से अपील करूंगा कि वे आलोचना करें। लेकिन साथ ही साथ यह सोचें कि जो स्थिति पैदा हो गई है उसका दायित्व हम पर कितना है? हम सब इस देश के नागरिक हैं। हमें प्रशासन चलाने में सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाना चाहिये ताकि स्वस्थ वातावरण उत्पन्न हो और प्रशासन ठीक ढंग से चल सके। इन शब्दों के साथ में माननीय मन्त्री जी की मांग का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध कर रहा हूं।

श्री महादेव (जिला फैजाबाद)—अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं और मुझे उसके बाद आलोचना करने का न समय है, न मेरी इच्छा है। सन १९४६ ई० में इस उत्तर प्रदेश में कुल गजटेड आफिसर की संख्या ३१५२ थी, सन् ५५ में ५२८० हुई और सन् ६० में यह संख्या ९६१९ हो गई। १९४६ में हरिजन थे १६, पिछड़ी जातियों के ३४। सन ५५ में हरिजन हुये ७०, पिछड़े जातियों के हो गये २५ और ६० में हरिजन हो गये १९४ और पिछड़ी जाति के ६७। इन आंकड़ों के लिये मुझे बहस करने की जरूरत नहीं है और वह पिछड़ी जातियां जिनकी संख्या ६० प्रतिशत के करीब है इस सूबे में, मैं इन आंकड़ों के साथ उस सरकार को, उस पार्टी को जिसके पीछे एक इतिहास है, जिसके हाथ में १५ साल से हुकूमत है, उसके मेम्बरों तथा नेताओं को उनकी जनभावना, न्याय भावना को चैलेंज देता हूं।

श्री मैनेजर (जिला बलिया)—एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय मुख्य मन्त्री जी हाउस में फाइल देख रहे हैं और उस पर नोट कर रहे हैं।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जितनी बातें आप लोग कहते हैं उन पर जो कमेंट्स आते हैं वह मैं देख रहा हूं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—क्या माननीय शांतिप्रपन्न शर्मा आपके सामने पीठ कर सकते हैं?

श्री अध्यक्ष—वहां प्रश्न कुछ और है और आपने एक दूसरा प्रश्न उठा दिया। माननीय महादेव अपना भाषण जारी रखें।

श्री महादेव—मेरे दो मिनट चले गये, यह याद रखियेगा। मैं इन आंकड़ों के साथ कह रहा हूं उस पार्टी का जिसके पीछे एक इतिहास है देश की स्वतन्त्रता का, उसके नेताओं को, उनकी जन भावना की ओर उनकी न्याय भावना को चैलेंज करता हूं कि क्या १५ साल की आजादी के बाद इसी न्याय का दिग्दर्शन करने के लिये हम हैं। इसके लिये शब्द की जरूरत नहीं है, किसी आलोचना की जरूरत नहीं है, यह समझने की बात है। अक्सर जब पिछड़ी जातियां, दलित वर्ग के लोग कभी इसकी आवाज उठाते हैं तो बड़े ठाठ से कह दिया जाता है कि यह तो जातिवादी बात हो रही है। मैं आपके द्वारा सरकार से पूछता हूं कि इसका उनके पास क्या जवाब है कि ६० फीसदी जिन पिछड़ी जातियों की जनसंख्या है उनके गजटेड आफिसर आज ६७ से अधिक नहीं हैं जब कि कुल संख्या नौ हजार से ऊपर पहुंच चुकी है। क्या १५ साल की इस आजादी के बाद हम ऐसे इन्सान ६० फीसदी जनता के अन्दर नहीं पैदा कर सके जो इन जिम्मेदारी के कामों को ले सकें? इसकी जिम्मेदारी किस के ऊपर है? और अगर हममें यह कूवत नहीं रही तो इससे ज्यादा और ब्लाट किसी सरकार के ऊपर क्या हो सकता है। और अगर इस तरह के आदमी हमारी सरकार ने पैदा किये तो वह कौन सा न्याय है, वह कौन सी पद्धति है, वह कौन सी व्यवस्था है जिसके अन्दर ६० फीसदी आदमियों में से केवल ६७ आदमी ९ हजार में से गजटेड अफसर की पोस्ट पर आ सकें? इसलिये मैं चैलेंज दे रहा हूं।

आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं। मेरा आपको यह भी चैलेंज है कि लाख उपाय करने पर भी आप भ्रष्टाचार को बन्द नहीं कर सकते और वह दिन दूर नहीं कि यह नौकरशाही रूपी अजगर आपको हड़प जायगा, आपके सारे जनतन्त्र को खत्म कर देगा। इससे बचने का एक ही रास्ता है और वह यह कि जनता अपनी सबल हो या उसके अन्दर इतना नेतृत्व हो गांव के अन्दर या नौकरशाही के अन्दर वह जनभावना हो जिससे प्रेरित हो कर वह जनता के साथ एक रूप धारण कर सकें। आज नौकरशाही अजगर की तरह से लपट रही है और जनता के अन्दर वह सामर्थ्य नहीं है कि वह उसकी जहरीली सांस का मुकाबला कर सके। क्या आप उसका मुकाबला करना चाहते हैं सदन के अन्दर बहस के बल पर या नौकरशाही की मशीन के बल पर? यह संभव नहीं है।

आप सुझाव मांगते हैं । दो मिनट में सुझाव नहीं दिये जा सकते । दो मिनट में आग लगाई जा सकती है बुझाई नहीं जा सकती । मैंने मुख्य मंत्री महोदय से प्रार्थना की है, मैंने उनसे समय की प्रार्थना की है । मैं उनके घर पर मिलूंगा । मेरे पास सुझाव हैं । मैं गांव का रहने वाला हूं । तीस साल से मेरी जिन्दगी इसी में गयी है । मैं किसान के घर पैदा हुआ हूं । मुझे किसान का दुःख, दर्द अच्छी तरह मालूम है । लेकिन जैसा मैंने पहले दिन कहा था कि एक गरीब वैद्य के विचार, उसके नुस्खों को सुनने की फुर्सत शायद सरकार को नहीं है । फिर भी मैं सुनाने की कोशिश करूंगा । मैं दो मिनट में भी सुझाव देने की कोशिश करूंगा। सुझाव यह है कि आप एक एक कर्मचारी के कारनामे को देख कर उसका सुधार नहीं कर सकते । आपको ऐसी व्यवस्थायें करनी पड़ेंगी जिसमें आटोमेटिकली उसका कंट्रोल हो सके । प्रश्न है कि क्या नौकरशाही अब जन भावना से प्रेरित बन सकती है । अगर जवाब है हां, तो ५० फी सदी उसका भ्रष्टाचार यों ही समाप्त हो जाता है । अगर जवाब नहीं में है तो उसके लुटेरेपन को आप कानून से नहीं रोक सकते हैं । क्या इसकी व्यवस्था आप कर सकते हैं ? क्या उसके दिलों में वह दर्द पैदा कर सकते हैं ? यह है आपके नेतृत्व और बुद्धि की परीक्षा । यह परीक्षा नहीं है कि आप किसी नौकर को दंड दे सकते या नहीं । परीक्षा इस बात की है कि नौकरशाही को जिसके हाथ में शासन की बागडोर है उसके दिलों में जनता के प्रति वह भावना आप प्रेरित कर सके या नहीं कि वह अपने को देश का सच्चा नागरिक समझ कर देश के उत्थान में लग जाय । इसमें हमारी बुद्धि की परीक्षा है ।

दूसरा सुझाव है कि क्या कोई ऐसी नान-नौकरशाही एजेंसी आप देहातों के अन्दर डेवलप कर सकते हैं, जो इस नौकरशाही के बढ़ते हुये आंतक को रोक सके । यह दो बातें हैं जिनके द्वारा आप नौकरशाही को राहेरास्त पर ला सकते हैं और उसके मुकाबले में एक नान-नौकरशाही ऐजेंसी खड़ी करके जब आप इस कार्य को करेंगे तो आप नौकरशाही को राहेरास्त पर ला सकते हैं । और जब तक आप गैर सरकारी एजेंसी देहातों में नहीं पनपा सकते और नौकरशाही में जनभावना नहीं भर सकते तब तक आप उनको गाली देकर, उनके खिलाफ कार्यवाही करके, या उनके दंड देकर निकाल देने के बाद भी उनके व्यापक भ्रष्टाचार को दूर नहीं कर सकते । उसमें आप असमर्थ रहे हैं और रहेंगे । उसको रोका नहीं जा सकता ।

श्रीमन्, मुझे दो बातें और कहनी है । आपको धन्यवाद है कि आपने मुझे ५ मिनट या १० मिनट का समय दे दिया । मैंने यह भी देखा है कि बहुत से हमारे कर्मचारी हैं जो निहायत ईमानदारी के साथ दरअस्ल देश की सेवा करना चाहते हैं लेकिन उनको मुसीबत है । पार्टीबन्दियों के पीछे, या और बातों के पीछे, या बड़े अधिकारियों के पीछे जो हमारे ईमानदार और कर्मठ कर्मचारी हैं उनको हम प्रोत्साहन नहीं दे सकते । भले यह रहा हो कि हम सजा दे लें लेकिन वह भी हमारे लिये टेढ़ी खीर है क्योंकि सजा पाने वाला आदमी कानून की पकड़ से निकल जाता है लेकिन ईनाम, पुरस्कार और प्रोत्साहन तो हम दे सकते हैं । हमने कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की जिसमें ईमानदार ओवरसियर एक बेईमान इंजीनियर के पंजे से बच सके। ऐसी कोई व्यवस्था हमारे पास नहीं है कि उच्चाधिकारी अगर गलत रास्ते पर जाय तो उससे निम्न श्रेणी पर काम करने वाले जो ईमानदार भी है, देश सेवक भी है वह पनप सके । जब तक आप उसके लिये कोई रास्ता नहीं बनाते जिससे वह उससे बच सके जो उसका अधिकारी उससे अपनवाता है । तो हमें इस बात की जरूरत है कि उन सारे कर्मचारियों को जो चाहे छोटे हों या बड़े और जिनकी संख्या कम नहीं है जो ईमानदार हैं लेकिन जिन पर डिसिप्लिन के नाम पर भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जाने पर जिनको पीस डाला जाता है उनको बचाव दें । (लाल बत्ती होने पर) मैं खुद ही कह रहा हूं कि मैं दो मिनट में कुछ सुझाव दे सकता ।

श्री अध्यक्ष—लाल बत्ती होने के मतलब यह नहीं हैं कि समय समाप्त हो गया । अभी आपके दो मिनट और हैं ।

श्री महादेव—मुझे जो कुछ कहना था वह मैं कह चुका ।

श्री बेचन (जिला मिर्जापुर)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं सामान्य प्रशासन की मांग का समर्थन करता हूं और विरोधी दल के नेता द्वारा जो कटौती का प्रस्ताव है उसके तथा उनके विचारों के संबंध में दो चार शब्द निवेदन करना चाहता हूं । विरोधी दल के नेता ने सामान्य प्रशासन के संबंध में जो अभिधारणायें या कंसेप्शंस रखे हैं, जो उनकी रूपरेखा है उसके उनसे विचारों का और उनके स्वनिर्मित सामान्य प्रशासन की रूपरेखा का पता चलता है । वह किस प्रकार का सामान्य प्रशासन चाहते हैं, किस तरह के सामान्य प्रशासन के कर्मचारियों और अधिकारियों के कार्यकलापों को चाहते हैं, वह तमाम बातें उनके कटौती प्रस्ताव के संबंध में प्रसारित उनकी बातों द्वारा पता चलता है उनका विश्वास है कि सामान्य प्रशासन में विलम्ब होता है और ६ महीने का काम ६ दिन में, ६ घंटों में और तुरन्त होना चाहिये । प्रशासन में वेग हो, प्रचंडता हो । यह प्रशासन की नियंत्रण रूपरेखा जो उनके मस्तक में रखी हुई है और उसी के अनुरूप हमारी मशीनरी को वह निरखना चाहते हैं । उनको पता नहीं है कि किस पृष्ठभूमि में हमारी सरकार को यह मशीनरी मिली है जब यह मशीनरी मिली तो हमारी सरकार ने, हमारी संस्था ने क्या-क्या काम इस मशीनरी को जनतांत्रिक रूप में ढालने के लिये किये और कौन से नियंत्रण लागू किये, किस प्रकार से सामान्य प्रशासन के अधिकारियों के चरित्र को जनतंत्रीयकरण के रूप में लगा कर कार्य किया गया । अभी आपने माननीय मुख्य मंत्री जी के वक्तव्य को कोट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि यह नौकरशाही बड़े भारी विकराल रूप में है । उन्हें मालूम होना चाहिये कि मुख्य मंत्री का पद ग्रहण करने के पश्चात् उन्होंने क्या काम किया है ?

अंतरिम जिला परिषदों में जिलाधीश अध्यक्ष होते थे । इनको हमारे मुख्य मंत्री जी ने हटाकर गैर सरकारी व्यक्तियों को रखा । यह जनतंत्रीय भावना के विचार से जनतंत्रवाद में सरकारी मशीनरी को ढालने का कार्य था । हमें इसको इस पहलू से देखना चाहिये और इसकी प्रशंसा करनी चाहिये कि यह कार्य किस प्रकार हुआ । ये अध्यक्ष चाहे कांग्रेस के हों, चाहे जनसंघ के हों, चाहे समाजवादी पार्टी के हों, लेकिन जनतंत्रवाद की भावना की जीत हुई नौकरशाही के ऊपर । इसके अलावा ए० डी० एम० जो महत्वपूर्ण अधिकारी है और जिसके अन्तर्गत अनेक गजटेड आफिसर्स काम करते हैं वह उनके अधीन काम करता है । हमारा गैर सरकारी अध्यक्ष उसके ऊपर नियंत्रण रखता है और उसको मार्ग निर्देशन का अधिकार है । यह बहुत बड़ी जीत है । यह हमारी बड़ी भारी कामयाबी है ।

इसके साथ ही साथ सदन को मालूम होना चाहिये कि जिस तरह से जिला स्तर पर अध्यक्ष के पद को रखा गया है और गैर सरकारी आदमी सरकारी मशीनरी पर नियंत्रण रखता है उसी प्रकार से ग्राम स्तर पर जब अंतरिम जिला परिषद् अधिनियम लागू होगा तो जो आजकल बी० डी० ओ०, ए० डी० ओज० काम करते हैं उनके ऊपर भी चुने व्यक्ति का नियंत्रण होगा और सरकारी कर्मचारियों के ऊपर जनतंत्रवाद का नियंत्रण होगा ।

इसके अलावा कमिश्नरों के पद के लिये चारों तरफ से यह कहा गया है कि यह पद बेकार है और इनको तोड़ देना चाहिये । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप १९५४ की प्रशासकीय रिपोर्ट को देखें उसमें लिखा है और कमिश्नर के पद की महत्ता बताते हुये कहा गया है कि नियोजन के कार्यों का विस्तार इतना बढ़ रहा है कि जिलाधीश के ऊपर जिले में उसके उत्तरदायित्वपूर्ण कार्यों पर नियंत्रण रखने के लिये कमिश्नरों के पद को रखा जाना चाहिये ।

पशु पालन विभाग, पंचायत विभाग तथा अन्य विभाग नियोजन अधिकारी के अन्तर्गत कार्य करते हैं । पहले कृषि उपसंचालक, पंचायत उप संचालक जो कार्य करते हैं उनका मुख्य आवास लखनऊ में था और वे डायरेक्टर के अन्डर में थे । लेकिन जब कमिश्नर रखे गये तो डिप्टी डायरेक्टर्स को इनके ही अधीन रखा गया और डिवीजन में इसका कार्यालय बना है । यह केन्द्रीयकरण के स्थान पर विकेन्द्रीकरण की ओर एक कदम था । जो नियोजन कार्यों का विस्तार हो रहा है, जो विकास योजनाएं बन रही हैं, उनके नियंत्रण के लिये, कमिश्नर के पद को रखा गया । कमिश्नर का पद इसलिये नहीं रखा गया कि शांति और सुरक्षा की दृष्टि से उसको रखने की आवश्यकता थी अथवा केवल इसलिये कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट उसको अपनी पाक्षिक अथवा मासिक रिपोर्ट भेज दे, या जैसा कि अंग्रेजों के जमाने में कमिश्नर का पद स्वतंत्रता संग्राम के आन्दोलनों को दबाने के लिये रखा गया था, इसलिये रखने की आवश्यकता थी बल्कि इसलिये कि हमारी नयी रूपरेखा में नियोजन के कार्यों को अधिक विस्तार देने के लिये जो बहुत से अधिकारी रखे गये हैं, उनकी अंतर विभागीय गति–विधि पर नियंत्रण रखने के लिये कमिश्नर के पद की आवश्यकता थी ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि बहुत सी बातें कर्मचारियों के भ्रष्टाचार के संबंध में कही गयीं । लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि हमारी सरकार की मशीनरी ने भ्रष्टाचारी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही भी की है । मैं जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट से पढ़ कर सुनाना चाहूंगा । १९५५ में ३४८७ कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाये गये । उनमें जिनका कि कोर्ट में प्रासीक्यूशन किया गया उनमें ६१ कनविक्ट हुए और ८७ छोड़ दिये गये । जिन पर डिपार्टमेंटल ऐक्शन हुआ उनमें जो डिस्मिस या रिमूव किये गये उनकी संख्या ६१९ है । अदरवाइज पनिश्ड १४७१, जिन्होंने रिजाइन किया २०, और जो एक्विट किये गये ३०६ । १९५६ में २३५६ व्यक्तियों पर भ्रष्टाचार के संबंध में आरोप लगाये गये । जिनका कोर्ट प्रासीक्यूशन हुआ उनमें ३४ आदमी कनविक्ट किये गये और ५४ अक्विट किये गये । जिन पर डिपार्टमेंट ऐक्शन हुआ उनमें जो डिस्मिस या रिमूव किये गये उनकी संख्या ५७९ है । अदरवाइज पनिश्ड १२४५, जिन्होंने रिजाइन किया २४ और अक्विटेड ४२०। तो सरकारी मशीनरी जो है वह भ्रष्टाचार को बन्द करने के लिये कार्यवाही करती है, ऐक्शन लेती है, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि हमारे यहां भ्रष्टाचार है, विलम्ब है । यह नहीं कहा जा सकता कि हमारी मशीनरी पूर्णतया विशुद्ध है । यह सरकार दावा कहीं करती है कि हमें अपने विचारों के अनुरूप, अपने दर्शन, अपनी विचाराधारा के अनुसार अपनी मशीनरी को बदल दिया है । लेकिन हमारी सरकार ने प्रशासन की मशीनरी को अधिकाधिक जनवादी भावनाओं के अन्तर्गत लाने की कोशिश की । बहुत से विभाग तोड़ रही है और कुछ नये विभाग खोल रही है । पहले समाज कल्याण विभाग नहीं था । हमने समाज कल्याण विभाग बनाया । समाज कल्याण विभाग की अंग्रेजों को आवश्यकता नहीं थी क्योंकि उनको देश हित की चिंता नहीं थी । उनको केवल शांति व्यवस्था कायम रखने की आवश्यकता थी । लेकिन हमारी सरकार की नजर में देश हिताहित हैं । देश के कल्याण के तमाम विभागों की आवश्यकता होती है । उन तमाम कार्यवाहियों को किया गया । ऐसे ही बहुत सी बातें करते जा रहे हैं । बहुत सी बातें जो छूट गयी हैं उनको आगे करेंगे ।

हमें चाहिये कि जब हम कोई समालोचना करें, तो उसकी पृष्ठभूमि पर दृष्टिपात करें । विरोधी दल ने नेता एक पक्ष की बात कहते हैं, विरोधी पार्टी के दूसरे नेता दूसरे पक्ष की बात कहते हैं । दोनों की विचारधाराएं अन्तर्विरोधी हैं । एक साम्यवाद का प्रतीक है तो दूसरा सामन्तवाद का प्रतीक है । एक एक बात कहता है, दूसरा दूसरी बात कहता है । फिर किस की बात मानी जाय ? नेता विरोधी दल ने जो बात कही उससे यह बू आती है कि जल्दी काम हो, दस आदमी की जगह एक आदमी काम करे । लेकिन यह तो तभी संभव है जब

[श्री बेचनराम]

एकतंत्रावद की हुकूमत हो जाय, एक आदमी की हुकूमत हो जाय, पंचायती राज तोड़ दिया जाय । यह निश्चित बातें हैं जिनको हमें देखना चाहिये । और विरोधी दलों के नेताओं ने जो बातें कहीं उनमें अगर एक की बात मान लें तो दूसरा नहीं रहेगा और दूसरे की मान लें तो पहला नहीं रहेगा । इसलिये हम उन दोनों की बातें नहीं मानते । मिक्स्ड एकोनामी की व्यवस्था हमारी है जिसमें आप दोनों जिन्दा रहें । आप को हमारी सरकार की व्यवस्था को समझना चाहिये और इस प्रासपेक्टिव में उसे देखना चाहिये । अंग्रेजों ने जो मशीनरी हमको दी, जो व्यवस्था दी, सामाजिक, आर्थिक, पूंजी संबंधी, जो व्यवस्था वह छोड़ गये, उस व्यवस्था को लेकर हम कार्य कर रहे हैं । पूंजीवादी साधनों का स्वामित्व कुछ आदमियों के हाथ में है । हम उनको एकदम से समाप्त नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा करें तो फिर आप नहीं रहेंगे । तो हम आपको तोड़ रहे हैं, न उनको तोड़ रहे हैं बल्कि धीरे-धीरे देश के कल्याण के लिये, जनता के हित के लिये अपनी बड़ी-बड़ी योजनाओं के लिये कार्य कर रहे हैं ।

श्री विजयसिंह (जिला जालौन)---मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने इस समय मुझे इस संबंध में कुछ कहने का अवसर दिया । मैं आपके द्वारा माननीय सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि जो सुझाव मैं दे रहा हूं उन पर वह थोड़ा विचार करें । जो खर्चा आज ऐडमिनिस्ट्रेशन पर बढ़ा वह रेकरिंग खर्चा है और वह अनप्रोडक्टिव भी है तथा अवायडेबिल भी है । इसलिये इन बढ़ते हुये खर्चों की स्क्रूटिनी होना आवश्यक है क्योंकि इस पर सामान्य विवाद के अवसर पर भी बड़ी बहस हुई और इस वक्त भी हो रही है । इस राज्य के अन्दर नान-प्लान के प्रशासनिक खर्चे जो हैं वह रेकरिंग खर्चे हैं और वह अवायडेबिल हैं । यह तभी ठीक हो सकते हैं जब कि इसके लिये कोई जांच समिति हो। सन् १९४७ में एकपे कमीशन बैठा जरूर और उसने कुछ रिडक्शन (Reduction) किये लेकिन और बाकी पे ज्यों की त्यों रखी। इस नौकरशाही के बजट में आज जो रेकरिंग खर्चा बढ़ रहा है वह हमेशा के लिये एक बोझ बढ़ रहा है । इस पर गौर करना आवश्यक है ।

एक छोटा सा सुझाव मैं इस सिलसिले में देना चाहता हूं कि जिस तरह शासन समाजवाद को देहातों की तरफ फैला रहा है, बड़े यूनिट को ४० एकड़ अधिक से अधिक और छोटे यूनिट को साढ़े बारह एकड़ कम से कम सीलिंग रखी गई है, उसी आधार पर सारी तनख्वाहों को निश्चित किया जाना चाहिये । वेतन का फिक्सेशन (fixation) प्रोडक्शन (production) पर आश्रित होना चाहिये । इस तरह से बिना किसी मापदण्ड के एक की तनख्वाह का बढ़ाना और एक की तनख्वाह का घटाना, इस तरह से कमी वेशी करना जिसका कि कोई आधार न हो, ठीक नहीं है। १९४७ पे कमीशन की जो रिपोर्ट हुई, उसका कोई आधार उस समय नहीं था । अब आपने ४० एकड़ की जो सीलिंग की है उसी की आय को आधार बनाकर इसको फिर ठीक किया जाना चाहिये। आखिर जब जनता की आमदनी अधिक से अधिक एक आपने मान ली है तो कोई वजह नहीं है कि उसके नौकर उससे ज्यादा तनख्वाह पायें। नौकर का मालिक से भी ज़्यादा वेतन पाना उपयुक्त नहीं, ४० एकड़ जो बड़े से किसान लिये सीलिंग रखी गई है उसकी आमदनी ४००० रुपया मानी गई है। इस हिसाब से करीब ३०० रुपये महीना आमदनी का पड़ता है और १२५० रुपये की आय साढ़े बारह एकड़ की मानी गई है जो १०० रुपये महीने होती है, इससे कम किसी भी कर्मचारी की तनख्वाह नहीं होनी चाहिये । तनख्वाह के लिये दो ही आधार हो सकते हैं । एक तो यह कि वेतन इतना हो कि कोई भूखा न रहे और दूसरी तरफ वेतन इतना अधिक न हो जाय कि एकोनामिक (Economic) डिस्टर्बेंस पैदा हो जाय । लेकिन आपका पूर्वकथित समाजवाद देहातों में किसानों के पास घूम रहा है पर वह सेक्रेटरिएट की तरफ नहीं आया है । वह समाजवाद देहातों की ही तरफ विकसित हो रहा है। यहां Secretariat में वह नहीं आ पा रहा है। तो यह लंगड़ा समाजवाद इस तरह से नहीं चल सकेगा। वेतन के घटाव बढ़ाव में कोई बेसिक प्रिंसिपुल होना जरूरी है। उसमें बुनियादी बात, जैसा मैंने निवेदन किया, यह है कि तनख्वाहों में ज्यादा

अन्तर नहीं होना चाहिये । १०० रुपये से कम किसी की तनख्वाह न हो और ३०० रुपये से ज्यादा किसी की तनख्वाह न बढ़ सके । कुछ टेक्निकल साइंटिफिक आदमी ऐसे हो सकते हैं जिनको कुछ अधिक तनख्वाह देने की आवश्यकता पड़े, तो उनको आप ६०० रुपये तक दे सकते हैं । लेकिन एक और ६ से ज्यादा अन्तर वेतन में नहीं होना चाहिये। इस सिद्धान्त को कांग्रेस ने भी माना था । पुराने वक्त में ऐसी बात थी कि डी० एम० को १५०० रुपये मिलते थे और उसी स्तर पर ग्वालियर स्टेट में उसी पावर और कैटेगरी में जो डी० एम० होता था जिसे कि "सूबा साहब" बोलते थे उसकी तनख्वाह १५० रुपये रखी गई थी । अंग्रेजों का वेतन निर्धारण उनके देश की आय तथा यहां के जमींदारों के स्टैंडर्ड के आधार पर १५०० थी उस सूबा साहब की और डी० एम० की तनख्वाह में कितना अन्तर था । उसका कारण यही था कि जो राज्य में वहां पर आय थी उसी के अनुसार तनख्वाहों को रखा जाता था । राज्य में अगर खर्चा आमदनी से ज्यादा हो गया तो उससे प्रान्त में अशांति पैदा हो जाती है । अगर यदि आमदनी थोड़ी ही है और उसके अनुसार ही खर्चा और भी थोड़ा रखा जाता है और वह खर्चा यदि आमदनी के अन्दर ही आता है तो उससे यह ज्ञान हो जायगा कि राज्य के रहने वालों के अन्दर शांति रहेगी और वे शांति से अपना जीवन व्यतीत कर सकेंगे ।

माननीय मुख्य मंत्री ने रामपुर में २९-४-६२ को अपने भाषण में यह कहा है कि राज्य को रुपये की आवश्यकता है और जो आदमी एक रोटी खाता है और यदि वह दो रोटी का भूखा हो, तो उसको उसमें से एक बटा बारह या एक बटा १० अंश जरूर देना चाहिये । यह सही बात है कि राज्य को सहयोग सबको देना चाहिये लेकिन गांव की तरफ ही इस सिद्धांत की बात को नहीं देखना चाहिये । समता की दृष्टि चारों ओर सबकी तरफ (यानी सभी वर्गों की तरफ) डालना चाहिये । यहां पर सेक्रेटरियट में बड़े बड़े वेतन पाने वाले जो आफिसर हैं, वे १५ वर्ष पहले ५० थे और अब २२९ हो गये हैं और पहले जो असिस्टेंट ३०० थे अब वे ३२१२ हो गये हैं तो उनके लिये भी सोचने की जरूरत है कि उस तरह हम बढ़ें और गरीब असिस्टेंट और बड़े (officer) के वेतन में समाजवाद के अनुसार समानता लावें । यदि हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी इस सेक्रेटरियट की तरफ बढ़ें और बढ़े हुये वेतन कम करें और छोटों के वेतन बढ़ावें, तो हम लोग उनका स्वागत करेंगे । आपको जो यह धन-अर्जन सुझाव है उसका हम स्वागत करते हैं लेकिन थोड़ा सा इस तरफ भी आप देखने की कृपा करें । जब बढ़ी नौकरशाही की तनख्वाहों में कमी करने का प्रश्न सामने आता है तो आप दब जाते हैं और घुटने टेक देते हैं । और नौकरशाही से बाहर जाकर आप दावा करते हैं कि हम समाजवाद की तरफ जा रहे हैं लेकिन नौकरशाही आपसे तनख्वाहें तथा पद बढ़वाती जाती है और उनकी तनख्वाहों या पद की कमी के सवाल पर आप चुप हो जाते हैं । अगर उस तरह थोड़ा सा विचार किया जाय तो हम लोग आपका साथ देने के लिये तैयार हैं और आपको काम करने के लिये तमाम लोग मिल सकते हैं ।

वेतन कमीशन की सिफारिशों के विषय में, यहां पर जोरदार शब्दों में बात कही गई । मैं उसका जोरदार समर्थन करता हूं परन्तु उसका मापदंड यहां यानी राज्य के प्रोडक्शन तथा Prices पर आधारित होना चाहिये । जैसे जैसे प्रोडेक्शन प्रति एकड़ बढ़ता जाय वैसे वैसे ही तनख्वाहें बढ़ती जायं या उसके आधार पर ही घट बढ़ सकती हैं इससे राज्य का बहुत सा अपव्यय बच सकता है। इसमें एक अच्छी बात यह होगी कि आदमी का उसमें इंटरेस्ट रहेगा । जैसा कि अभी एक हमारे मित्र ने कहा कि राज्य में प्लानिंग का तथा पैदावर की बढ़ोतरी को फर्जी कागजात में लिखा जाता है कार्य वास्तव में नहीं होता है । तो वह असलियत भी आपके सामने आ जायगी । उसी आधार पर यदि वेतन नियत किये जायें तो उनको फिर घटा या बढ़ा सकना पैदावार घटने या बढ़ने पर निर्भर होता होगा ।

[श्री विजय सिंह]

एक बात मैं बजट स्क्रुटनी कमेटी के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि ऐसी एक कमेटी बननी चाहिये जिसको सभी दलों का सहयोग प्राप्त हो। सभी दलों के नेताओं को लेकर एक ऐसी कमेटी तैयार की जाय जो हर हेड के विषय में अपनी जानकारी प्राप्त करे और यदि कहीं पर कोई कमी हो सकती है तो उसमें कमी करे। यहां पर फिर अधिक आलोचना का समय भी बच जायगा। मैं चाहता हूं कि बजट का सारा काम उस बजट स्क्रुटनी कमेटी के अधीन होना चाहिये और उसके आधार पर ही उसका सारा कार्य हो।

अब आपके सामने मेरी एक तीसरी मांग है जो मैंने जनरल बजट के समय भाषण देते हुये कही थी कि जितना खर्च हमारी प्लानिंग का है वह तो प्लान के अनुसार बढ़ता ही है और वह खर्चा उसमें प्लान के अनुसार करना उपयुक्त होता है लेकिन यह जो रिकरिंग खर्चा राज्य के ऊपर हो रहा है इसका बहुत बड़ा बोझ पड़ रहा है। इस वर्ष १४ लाख से ऊपर की मांग नये आइटम्स में नान-प्लान और रिकरिंग खर्चे के बोझ की है। हमारी तीसरी प्लान के लिये तो ४९७ करोड़ का खर्चा रखा गया है। वह तो अलग है लेकिन रिकरिंग खर्चा नहीं बढ़ना चाहिये। इस समय शासन में जो यह ढील हो रही है वह कमेटी इस ढील को भी देखे और जांच करे और पता लगाये कि किस तरह से हमारा काम सही रूप में चले और हमारी प्लान सक्सेसफुल हों। वह कमेटी इस बात को भी देखे कि कहीं पर डुप्लीकेशन आफ वर्क तो नहीं हो रहा है। एक आदमी की जरूरत है लेकिन उसकी जगह पर दो आदमी रख दिये जाते हैं जब कि एक आदमी उस काम को ठीक तरह से कर सकता है। यदि एक काम को एकाउन्टटेन्ट सही रूप में कर सकता है तो उसके ऊपर एकाउन्ट आफिसर के रखने की जरूरत नहीं है। यह सरकार नौकरशाही के प्रभाव में आकर उनकी बात स्वीकार कर लेती है। यह बजट नौकरशाही का अभास दे रहा है इसमें खर्चा अनप्रोडेक्टिव एक्सपैन्डीचर से भरा पड़ा है। पहले ९ कमिश्नर थे अब वे २० हो रहे हैं। जो कार्य क्लास २ का officer काम कर सकता है और अच्छी तरह से कर सकता है तो फिर उसके लिये क्लास १ को रखने की क्या जरूरत है। मैं समझता हूं बजट स्क्रुटनी कमेटी के अधीन यह सब कार्य होना चाहिये जो यह देखे कि आर्थिक आधार पर सरकार के हाथ किस तरह से मजबूत किये जा सकते हैं। इस वजह से मेरा निवेदन है कि बजट स्क्रूटनी कमेटी जरूर बने। जब सरकार के पक्ष के लोग भी इस बात को मानते हैं कि शासन में कुछ ढीलापन है तो उस ढीलापन को दूर करने के लिये शासन का रिआर्गनाजेशन होना चाहिये। जब सरकार भी रिआर्गनाजेशन की आवश्यकता समझती है तो यह स्पष्ट हो गया कि शासन ढीला है। वह ढीलापन तभी ठीक हो सकता है जब इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाय।

माननीय आचार्य जुगुल किशोर ने अपने भाषण में यह बात स्पष्ट कही है कि एफीशियेन्शी और क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत है। जनता और कर्मचारियों के बीच इतना विश्वास होना चाहिये कि जनता समझने लगे कि कर्मचारी हमारे हित में ही काम कर रहे हैं (लाल बत्ती होने पर,) श्रीमान्, मैं प्रार्थना करूंगा कि मुझे दो मिनट और दे दिये जायं। तो शासन की ढिलाई तभी दूर हो सकती है कि जब सरकार नौकर शाही से दबी न रहे। जनता में कर्मचारियों के प्रति विश्वास पैदा हो यह बात शासन के हाथ में है। और यह कार्य तो स्वयं कर्मचारियों द्वारा ही संभव है। वह जनता का जब विश्वास प्राप्त करेंगे तो वह उनको सहयोग देगी और तभी बड़ी से बड़ी आपकी स्कीम सफल हो सकेगी।

मैंने पिछली बार निवेदन किया था कि पंजाब में विजिलेंस ऐंड वाच कमेटी है, वैसी ही एक कमेटी यहां बननी चाहिये। वह कर्मचारियों की देखरेख करे और उसे एक्जीक्यूटिव पावर्स भी होनी चाहिये तभी वह सारा काम ठीक प्रकार से कर सकेगी। यदि माननीय मुख्य मंत्री उसे कायम करें तो कोई वजह नहीं कि शासन की कार्यकुशलता न बढ़ जाय और अपव्यय न रोका जा सके।

एक अजीबोगरीब मेरा सुझाव और है। कभी कभी सेक्रेटेरियट व डाईरेक्टोरेट आफिसर्स में आपस में एक तनाव पैदा हो जाता है और उससे शासन कार्य में ढिलाई आ जाती है। इसलिये मैं चाहूंगा कि हर विभाग का यहां एक एक्जीक्यूटिव बोर्ड बना दिया जाय ताकि उसकी देखरेख में उस विभाग की कार्यकुशलता भी बढ़ जाय और हर काम समय से हो सके।

इन शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी मेरे सुझाव पर विचार करने की कृपा करें और उसमें जो मौलिक बात है जैसे वेतन का निर्धारण प्रोडक्शन की बिना पर किया जाय, आदि उन पर खास तौर से विचार करें और अनुरूप व्यवस्था करें तो अवश्य ही नया रूप सामने आयेगा।

श्री उग्रसेन---श्रीमन्, एक निवेदन है। सामान्य प्रशासन की रिपोर्ट हम लोगों को नहीं मिली है। हर विभाग की रिपोर्ट उसका बजट प्रस्तुत होने के पूर्व हम लोगों को मिल जाती है, लेकिन सामान्य प्रशासन की रिपोर्ट अभी तक नहीं आयी है। क्या माननीय मंत्री जी इस बारे में कोई जानकारी देने की कृपा करेंगे ?

श्री चन्द्र भानु गुप्त---मुझे दुख है कि रिपोर्ट अभी छपी नहीं है और इसलिये प्रसारित नहीं की जा सकी।

***श्री देवदत्त** (जिला उन्नाव)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रशासकीय विभागों की मांगों और उन पर विरोधी दल के नेता द्वारा प्रस्तुत कटौती का प्रस्ताव सदन के सामने है। मैं मुख्य मंत्री जी की मांगों का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का जोरदार विरोध करता हूं।

किसी भी देश का प्रशासन उसके समाज का प्रतिबिम्ब हुआ करता है। आज समाज में जिस अनुपात में अधिनायकवाद, अनाचार, भ्रष्टाचार व्याप्त है, यदि उस परिणाम में उसी अनुपात मेंउसका प्रतिबिम्ब उस प्रशासन में दिखायी पड़े तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की कम और समाज का निर्माण करने वालों की अधिक है। आज आप राजनीतिक क्षेत्र की बात छोड़ दीजिये, समाज के अन्य किसी भी क्षेत्र में आप देखें, अनाचार और भ्रष्टाचार देखें कि किस मात्रा में व्याप्त है। तो जब तक एक संगठित प्रयास और उस प्रयास में प्रशासन के साथ साथ विरोधी पक्ष का भी पूर्ण सहयोग न हो उस व्याप्त भ्रष्टाचार और अनाचार को दूर करने में तब असमर्थ रहेंगे।

श्रीमन्, अभी मेरे मित्र माननीय महादेव प्रसादजी ने प्रशासन की आलोचना करते हुये कुछ आंकड़ों को पेश किया और उसमें हरिजन तथा पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों के अनुपात का जिक्र किया। माननीय सदस्य को मालूम है कि प्रशासकीय नियुक्तियों के लिये एक प्रणाली होती है और कुछ न्यूनतम योग्यतायें होती हैं जिनके आधार पर नियुक्तियां होती हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा भी नियुक्तियां होती हैं। तो इस ओर हमारे माननीय सदस्य ने ध्यान नहीं दिया और केवल जातिवाद से प्रभावित हो कर इस प्रकार की आलोचना की। अन्यथा वे इस बात को भी देखते कि आजादी के पूर्व उनका क्या अनुपात था, उनकी क्या दशा थी। हमारे कहने का मतलब यह है कि जिसमें जितनी योग्यता होती है उसके अनुसार वह हर क्षेत्र में आगे आता है और उसको सुविधा मिलती है। आज स्वतन्त्रता आन्दोलन का इतिहास यह बतलाता है कि स्वतंत्रता से पूर्व पिछड़ी हुई जातियां की क्या दशा थी उनकी क्या कार्य क्षमता थी और वे हर कार्य में कितना हिस्सा ले पाते थे। आज स्वतंत्रता के पश्चात् आप उनकी दशा को देखिये। उनको विशेष सुविधायें दी गयी है उनको आर्थिक सुविधायें दी गयी हैं सैक्षिक और सरकारी नौकरियां पाने की सुविधायें दी गयी हैं जिससे यह किया गया

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री देवदत्त]

है कि न्यूनतम योग्यता का उल्लघंन करने पर भी उनको नौकरियों में लिया जायगा। उनके लिये उसमें कुछ विशेष छूट दी गयी हैं। जहां तक प्रशासन का संबंध है उसमें उनको काफी सुविधायें दी गयी हैं। इस दृष्टि से आप उसको क्यों नहीं देखते ?

यद्यपि आज पिछड़े वर्ग को सुविधायें दी जाती हैं परन्तु क्या यह सही नहीं है कि जो उच्च-वर्ग कहे जाते हैं उनमें पिछड़े हुए लोग नहीं हैं उनमें पिछड़े हुओं की तादाद नहीं है ? किन्तु सामाजिक व्यवस्था के अनुसार हजारों वर्षों से उनका एक रहन सहन-रहा है। उसमें चाहे विदेशी शासन का दोष रहा हो चाहे सामाजिक दोष रहा हो किन्तु आज के प्रशासन में वे चीजें दर होती जा रही हैं। आज बिना योग्यता के आधार पर उनके अनुपात में नियुक्तियों की मांग करना कैसे ठीक हो सकता है ? अगर उनके अनुपात में उनको नौकरियां दी जायेंगी तो फिर प्रशासन की क्या हालत होगी ?

इस संबंध में माननीय मुख्य मंत्री जी से एक निवेदन करना चाहता हूं।

विकेन्द्रीकरण करते समय हमारे एक मित्र ने जिक्र किया कि बड़े अधिकार दिये गये हैं। हम उन अधिकारों का स्वागत करते हैं। मेरे जिले के अंतरिम जिला परिषद् के अध्यक्ष ने जिस प्रकार से अधिकारों का दुरुपयोग किया और परिषद् के सारे अधिकारों को अपने हाथ में ले लिया है वह ठीक नहीं है और इस प्रकार से विकेन्द्रीकरण के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का दुरुपयोग किया जा रहा है। ऐसी कोई प्रणाली हो कि इस संबंध में कोई रिपोर्ट प्रशासन को दी जाती रहे। आप जानते हैं कि हमारे संविधान में राज्यपाल या राष्ट्रपति को ऐसे अवसरों के लिये विशेष अधिकार दिये गये हैं कि वह संविधान को भी स्थगित करके सारे अधिकारों को ले अगर यह समझें कि प्रशासन में अव्यवस्था और अराजकता फैल रही है। हमारे जिले में तो वह कहावत चरितार्थ हो रही है कि "I am the Monarch of all I survey. There is none to dispute my right." इस प्रकार से वहां के अध्यक्ष कार्य कर रहे हैं। मैं माननीय मंत्राणी सुचेता कृपालानी जी से निवेदन करूंगा कि उनको नियंत्रण में लाने की कोई व्यवस्था होनी चाहिये। श्रीमन्, मैं जानता हूं कि हमारे सूबे में ५२ जिलों में अंतरिम जिला परिषदें कार्य कर रही हैं। हर जगह इस प्रकार की अराजकता हो ऐसी बात नहीं है। लेकिन जहांपर भ्रष्टाचार और अनाचार हो वहां किसी न किसी रूप में उन पर अंकुश तो लगना ही चाहिये। हमारे जिले में--

(लाल बत्ती होने पर)

श्रीमन, मुझे दो मिनट का समय और दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--जिले का नाम तो बताइये।

श्री देवदत्त--उन्नाव जिला। हमारे उन्नाव जिले में आज ला ऐंड आर्डर बहुत ही शिथिल हो गया है। प्रतिदिन हत्याओं के समाचार आया करते हैं। अभी एक घोर दारुण हत्याकांड भौली गांव में, जो लखनऊ और कानपुर के बीच में नवाबगंज से थोड़ी दूर पर है, हो गया। जिसमें बैलगाड़ी में यात्रा करते हुये ५ व्यक्तियों की, जिनमें ३ महिलायें हैं हत्या की गई इसी प्रकार प्रत्येक जिले के प्रत्येक क्षेत्र में जो अराजकता है, उस सम्बन्ध में जो लम्बी योजना बनायी जाय वह तो बनाई जाय, किन्तु मेरा निवेदन है कि कम से कम जो धारदार हथियार खुल्लम खुल्ला प्रदर्शित हुआ करते हैं, उन पर अविलम्ब प्रतिबन्ध लगा देना चाहिये। भले ही धारदार हथियारों को रखने का अधिकार आप दें परन्तु उनको लेकर सड़क पर, न्यायालयों में एक एक हाथ, दो दो हाथ के सैले जो आज प्रदर्शन होता है उससे समझा जा सकता है कि इस अधिकार से कितना फायदा समाज विरोधी तत्व उठा रहा है।

जिनकी सुरक्षा के लिये हमने इन शस्त्रास्त्रों पर छूट दे रखी है उससे वह फायदा नहीं उठा पाते हैं बल्कि समाज विरोधी तत्व उससे फायदा उठाते हैं। तो जहां एक धारदार हथियार पर प्रतिबन्ध लगाने की आवश्यकता है दूसरी तरफ इस बात की भी आवश्यकता है कि उन गांवों वालों को, किसानों को साधारण वर्ग की सुरक्षा के लिये फायर आर्म्स के लाइसेंस ज्यादा उदारता के साथ दिये जांय । जैसे गांव सभा के प्रधान हैं,सदस्य हैं, सरपंच हैं का न्याय पंचायत के सदस्य हैं जिनके सम्बन्ध में किसी प्रकार की शिकायत न हो उनको फायर आर्म्स के लाइसेंस, बन्दूक, रिवाल्वर और पिस्तौल के लाइसेंस ज्यादा दिये जांय ताकि साहस के साथ वह समाज विरोधी तत्वों का मुकाबला कर सकें।

श्री नेकराम शर्मा—अध्यक्ष महोदय, समाचार पत्रों के द्वारा मालूम हुआ है कि हमारे भूतपूर्व सदस्य, विधान सभा, श्री शिव मंगल सिंह कपूर तथा श्री बद्रीनारायण मिश्र का कत्ल हो गया है। तो आप कृपा कर कन्डोलेंस के लिये पांच मिनट रख देते। मालूम होता है माननीय मुख्य मन्त्री जी को अभी इसकी सूचना नहीं मिली है।

श्री अध्यक्ष—ज्यादा अच्छा यह है कि माननीय सदस्य मुख्य मन्त्री जी से पहले इस सम्बन्ध में बात कर लें।

***श्री कमलासिंह यादव** (जिला गाजीपुर)—अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमन्त्री जी का ध्यान बनारस–बलिया रोड पर बनने वाले ब्रिज की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। यह ब्रिज रेलवे पुल के पूरब एक फर्लांग पर बनाया जा रहा है। अभी यह बनना शुरू नहीं हुआ है। अगर इसकी जगह पर रेल कम रोड ब्रिज बना दिया जाय तो इस वैस्टेज को रोका जा सकता है।

जहां तक सामान्य प्रशासन का सवाल है, इसमें आम तौर से दो खराबियां पाई जाती हैं पहली तो यह कि कर्मचारियों में भ्रष्टाचार हो और दूसरे यह कि जिस तरह से हमारी सरकार की नीति है उसको कार्य रूप में लाने के लिये हमारे पास कोई रास्ता नहीं है और न कोई तरीका है जिससे कार्यरूप में उसे हम परिणत कर सकें। अब प्रश्न यह उठता है कि वास्तव में कर्मचारियों में जो भ्रष्टाचार है वह क्यों है। पहला कारण तो उनके वेतन कम हो सकते हैं। हम देखते हैं कि एक ही जगह पर दो तरह के आदमी होते हैं, एक को सेंट्रल गवर्नमेन्ट से तनख्वाह पाता है और दूसरा यू० पी० गवर्नमेन्ट से पाता है, दोनों में जमीन आसमान का अन्तर होता है। इस सदन में कुछ दिन पूर्व जब डियरनेस एलाउन्स के सम्बन्ध में प्रश्न पूछा गया था तो माननीय त्रिपाठी जी ने कहा था कि हमारे प्रदेश के कर्मचारियों को डियरनेस एलाउन्स ज्यादा दिया जाता है। लेकिन अगर सही तरीके पर देखा जाय तो सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट जो ७० रुपया डी० ए० देती थी उसका ५० रुपया तनख्वाह में जोड़ दिया गया और २० रुपये का डी० ए० रखा गया। इस तरह से अब उत्तर प्रदेश की सरकार का डी० ए० ज्यादा होता है लेकिन अगर टोटल पे देखी जाय तो सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट की पे आज भी बहुत अधिक है।

इसके बाद मैं मेडिकल डिपार्टमेन्ट का नमूना इस सदन के सामने रखना चाहता हूं। कहा जाता है कि डाक्टर नहीं मिल रहे हैं। रूरल एरियाज के लिये एम० बी० बी० एस० डाक्टरों को ३० रुपया एलाउन्स देने जा रहे हैं।

लेकिन साथ ही साथ हमारे सामने जो आयुर्वेदिक डाक्टर हैं ....

श्री अध्यक्ष—आप क्या बात कह रहे हैं। यह अनुदान सामान्य प्रशासन का है। यह हैड मेडीकल का है। उस अनुदान के समय आप यह कह सकते हैं।

---

*वक्ता ने भाषण की पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री कमलासिंह यादव—मैं उसी के ऐडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बोल रहा हूं । डिटेल में नहीं जा रहा हूं ।

एम० बी० बी० एस० और आयुर्वेद दोनों में ही आई० एफ० सी० लिये जाते हैं और दोनों का कोर्स भी ५ साल का ही होता है । लेकिन जहां एम० बी० बी० एस० को आप २२५ रुपया से ६०० रुपया के ग्रेड में रखते हैं वहां आयुर्वेदाचार्य को आप केवल १२० से २०० रुपये का ही ग्रेड देते हैं। सोचिये जो थानेदार होता है उसे आप १२०–२०० रुपया के ग्रेड में रखते हैं और उसी ग्रेड में इसको भी रखते हैं । एक ओर तो आप एम० बी० बी० एस० लोगों को प्रोत्साहन दे रहे हैं एलाउन्स दे रहे हैं। दूसरी तरफ आयुर्वेद में मैं देखता हूं कि उनको दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश होती है ताकि वे सर्विस में न आवें और न कोई फायदा उठा सकें । मैं समझता हूं कि उनको प्रोत्साहन देने के लिये उनकी पे स्केल को रिवाइज करना बहुत जरूरी है अगर व आज देहातों के अन्दर आयुर्वेदिक अस्पताल ज्यादा संख्या में खोल दिये जायं तो उससे पब्लिक का ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सकता है ।

जहां तक विकेन्द्रीकरण का सवाल है आज हम यह देखते हैं कि इस प्रदेश के अन्दर या इस देश के अन्दर जितने भी काम हम लोगों को करने हैं उन सब को सेन्टर से न करके उनका विकेन्द्रीकरण करना चाहते हैं । इसलिये आज अन्तरिम जिला परिषदों को ज्यादा से ज्यादा पावर देने जा रहे हैं । ऐसी सूरत में हम यह देखते हैं कि आई० सी० एस० वगैरह जितने भी ऊंचे कर्मचारी हैं उनसे अगर गांव का काम कराना है, गांव का विकास कराना है, या अन्तरिम जिला परिषदों में उनसे काम लेना है और वहां के बारे में उनको किसी तरह से जानकारी न हो तो आगे चल कर बड़ी दिक्कत हो सकती है । इसीलिये जैसा कि राजा साहब ने प्रस्ताव किया है कि सेक्रेटेरिएट के लोगों को जिले में भेजना जरूरी है । राजस्थान में तो ऐसा है कि जितने भी आई० सी० एस० आदि ऊंचे आफिसर्स हैं उनको बी० डी० ओज० के साथ ट्रेनिंग लेने की बात है ताकि वे हर ब्लाक में जायं और वहां के काम को देखें और वहां की दिक्कतों को महसूस करें । मैं समझता हूं कि यह सरकार भी अगर इस तरह की चीज करे कि सेक्रेटेरिएट के जो बड़े बड़े आफिसर्स हैं ....

श्री अध्यक्ष—५ बजे गये, अब हम उठते हैं कल ११ बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊः
१ मई, १९६२

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५९० पर)

टांडा पम्प कैनाल दिसम्बर १९५८ में संचालित हुई थी उससे की गई सिंचाई इस प्रकार है :

१३६६	रबी	६७९ एकड़
१३६७	खरीफ	३४७९ एकड़
१३६७	रबी	३८१२ एकड़
१३६८	खरीफ	२७७९ एकड़
१३६८	रबी	३२९१ एकड़
१३६९	खरीफ	२३३० एकड़
१३६९	रबी	४७६२ एकड़

उक्त नहर से आयोजित सिंचन क्षेत्र निम्न प्रकार है :

खरीफ	१८,६६६ एकड़
रबी	२२,५३६ एकड़
कुल योग	४१,२००

विधान सभा प्रदेश

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५९३ पर)

बख्शी का तालाब स्थित शव उपयोग एवं चर्मशोधन कन्द्र के विस्तार की योजना

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत नीदरलैन्ड सरकार की आर्थिक सहायता से बख्शी का तालाब स्थित शब उपयोग एवं चर्म-शोधन केन्द्र का विस्तार करने की योजना बनी। इससे पहले उक्त केन्द्र पशु पालन एवं उद्योग विभाग के अन्तर्गत चलता था। इस केन्द्र को विकसित करके एक आधुनिक रूप दिया गया है। इसके विस्तार हेतु नीदरलैन्ड सरकाकार ने १२ लाख रुपये का अनुदान मशीनों तथा टेक्नीकल एड के रूप में दिया है और भारत सरकार ने ८ लाख रुपया इमारतों, कर्मचारियों तथा अन्य सामग्री खरीदने हेतु दिया है। अब तक नीदरलैन्ड सरकार से लगभग ६ लाख रुपयों की मशीनें प्राप्त हो चुकी हैं। शेष रुपया विशोषज्ञों आदि पर व्यय हो रहा है। भारत सरकार के दिये हुए धन से समस्त इमारतें (छात्रावास क्वार्टर्स तथा वर्कशाप), कर्मचारियों का वेतन व अन्य आकस्मिक व्यय किया जाता है। भारत सरकार की धनराशि से ७,२४,४५७ रु० वित्तीय वर्ष १९६१–६२ तक खर्च हो चुका है।

२––इस केन्द्र को तीन शाखायें हैं––

(क) पशु शव उपयोग।

(ख) चर्म-शोधन तथा

(ग) चर्म उपयोग एवं जूता बनाना है।

३––इस केन्द्र का मुख्य उद्देश्य देश के पशुओं के शवों का समुचित उपयोग करने के लिये हर राज्य से आये हुये प्रशिक्षणार्थियों को पशु शव के उपयोग, चर्म-शोधन व चर्म उद्योगों का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमें हरिजनों तथा अन्य पिछड़ी जाति के इच्छक प्रशिक्षणार्थियों को प्राथमिकता दी जाती है। प्रशिक्षण के साथ ही साथ उक्त शाखाओं में सन्बन्धित वस्तुओं का उत्पादन भी किया जाता है जिससे प्रदेश की आय व राष्ट्र के उत्पादन में वृद्धि हो। इस योजना स गांव वालों को अधिक लाभहोगा तथा प्रशिक्षित व्यक्तियों को व्यवसाय मिलेगा।

पी० एस० यू पी० ए० पी०––६२ एल० ए०––१९६२–८४५।